उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा विभाग

वर्ष
1979-80

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक
(परफार्मेन्स)
आय-व्ययक

6/5/79

542
79.12
TT-K

इलाहाबाद
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

प्रस्तावना

प्रशासनिक सुधार आयोग (एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन) की संस्तुति के अनुसार प्रथम बार शिक्षा विभाग का वर्ष 1975–76 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शन बजट बनाकर सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया था । इस समय वर्ष 1979–80 का कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक बजट तैयार करके सदन के पटल पर रखा जा रहा है । इसका उद्देश्य विभाग के विशिष्ट उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिये निर्दिष्ट कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना तथा प्रदिष्ट धनराशि पर नियंत्रण रखना है ।

लखनऊ :
दिनांक 5 मई, 1979 ई० ।

जी० पी० मीतल,
सचिव,
शिक्षा विभाग ।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No.....
Date.....

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
1—भूमिका		
	प्राथमिक शिक्षा	1
	माध्यमिक शिक्षा	1–2
	उच्च शिक्षा	2
	शिक्षा विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या	2
	वर्ष 1978–79 में किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण	5–2
	पांचवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय	4
	भौतिक उपलब्धियों के इण्डिकेटर्स	4–5
	विभिन्न पंच वर्षीय योजनावधि में सामान्य शिक्षा पर होने वाले व्यय एवं उसका प्रतिशत	5
2—वित्तीय आवश्यकतायें—		
	(क) कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों का वर्गीकरण	6–11
	(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण	12–13
	(ग) वित्तीय साधनों के स्रोत	14–17
3—वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण—		
1—(अ) अनुदान संख्या 28, लेखा शीर्षक 277—शिक्षा		
	क—प्राथमिक शिक्षा	
II	निदेशन और प्रशासन	18–19
2	निरीक्षण	19
3	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	19–20
4	अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	20
V	शिक्षकों को प्रशिक्षण	21–32
VI	न्यूनतम आवश्यकतायें कार्यक्रम	32
VII	अन्य व्यय	32
	ख—माध्यमिक शिक्षा	
II	निदेशन और प्रशासन	33–34
III	निरीक्षण	34-35
III	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	35–37
IV	अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	37-38
V	छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	38–41
VII	शिक्षकों का प्रशिक्षण	41 42
VII	अन्य व्यय	42–46
	(i) माध्यमिक शिक्षा परिषद्	42–43
	(ii) मनोवैज्ञानिक ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	43
	(iii) केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय	43–44
	(iv) स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की स्रोत सामग्रियों का संकलन एवं प्रकाशन	44
	(v) शैक्षिक संग्रहालय	44
	(vi) प्रकीर्ण अन्य व्यय—अध्यापकों को राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार	44–45
	(vii) मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों में नियुक्त अध्यापकों/प्रधानाचार्यों का चयन ..	45–46

	विषय	पृष्ठ संख्या
	ग--विशेष शिक्षा	
(1)	प्रौढ़ शिक्षा	
	(i) ग्रामोत्थान योजना	46–47
	(ii) ग्रामीण एवं नागर क्षेत्रों में अंशकालिक प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की स्थापना	47
	(iii) आधुनिक भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की प्रोन्नति	48
	(iv) संस्कृत शिक्षा	48–49
	(v) अन्य भाषाओं की शिक्षा	49–50
	घ--विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा	
I	निदेशन और प्रशासन	50
II	विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिये सहायता--सहायक अनुदान	50–51
III	राजकीय महाविद्यालय	51–54
IV	अशासकीय महाविद्यालय को सहायता--सहायक अनुदान	54–55
V	अध्यापकों का विकास कार्यक्रम	55
VI	छात्रवृत्तियां	55–57
VII	पुस्तकों की प्रोन्नति	57
VIII	अन्य व्यय	57–58
	(1) पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद का प्रान्तीयकरण एवं सुदृढ़ीकरण	58
	च--क्रीड़ा एवं युवक कल्याण	
III	युवक कल्याण योजनायें	59–61
	(i) विद्यार्थियों के लिये सैन्य प्रशिक्षण	59
	(ii) नेशनल फिटनेस कोर योजना (राष्ट्रीय स्वस्थता दल)	59–60
	(1) राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यान्वयन	60
	(2) राष्ट्रीय शारीरिक रक्षता अभियान कार्यक्रम	60
	(3) शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्यक्रम की प्रोन्नति	60
	(4) केन्द्र सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत नेशनल सर्विस कोर की सहायता	60
	(9) खेल-कूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु व्यवस्था ..	60–61
	(12) राष्ट्रीय सेना छात्रदल	61
	छ--सामान्य व्यय	
I	छात्रवृत्तियां	61
II	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	61–63
	(3) अनुदान संख्या--53 लेखा शीर्षक--299--विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र--1--ग--शिक्षा	63
	(3) भवन-शिक्षा	63
	(4) अनुदान संख्या 29--लेखा शीर्षक 259--सार्वजनिक निर्माण कार्य (ङ) शिक्षा ..	63
	(5) अनुदान संख्या 43--लेखा शीर्षक 283--आवास भवन--ग--राजकीय आवास भवन (झ) शिक्षा ..	63
	(6) अनुदान संख्या 77--सा0नि0 अधिष्ठान--लेखा शीर्षक 477--शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय ..	63
	(7) अनुदान संख्या 82--लेखाशीर्षक--459--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (1) निर्माण अनावासिक भवन (ङ) शिक्षा	64
	(8) अनुदान संख्या 83--लेखा शीर्षक 477--शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय (प्राविधिक शिक्षा को छोड़कर)	64
	(9) अनुदान संख्या 90--लेखा-शीर्षक--499--विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय का पर्वतीय क्षेत्र का विकास VIII--शिक्षा	64
	(10) अनुदान संख्या 111--ऋण और अग्रिम--शिक्षा--लेखा शीर्षक 677--शिक्षा, कला एवं संस्कृति के लिये ऋण (प्राविधिक शिक्षा को छोड़कर)	64–65

भूमिका

मनुष्य को अपने वातावरण के अनुसार ढालने, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने, स्वस्थ्य जीविकोपार्जन करने तथा जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण विकसित करने के लिये शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। इसके साथ-साथ समाज में आर्थिक वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिये शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्पादन बढ़ाने में विकसित तकनीकी का प्रयोग शिक्षा के अभाव में कर पाना असम्भव है।

शिक्षा निदेशालय में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित निदेशन, निरीक्षण तथा विकास से सम्बन्धित कार्य वर्ष 1975–76 से एक ही शिक्षा निदेशक द्वारा और उच्च शिक्षा के कार्यों का संचालन शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा हो रहा है। सामान्य शिक्षा का प्रशासनिक कार्य प्राथमिक एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में विभक्त है।

प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक (नर्सरी), प्राथमिक (जूनियर बेसिक) तथा लघु माध्यमिक (सीनियर बेसिक) स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में है। इन विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु राजकीय दीक्षा विद्यालय तथा शिशु प्रशिक्षण विद्यालय हैं। मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों की देख भाल के लिये निदेशालय स्तर पर अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण), उप शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक), उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) उप शिक्षा निदेशक (अर्थ), उप शिक्षा निदेशक (महिला), सहायक निदेशक (प्रारम्भिक), सहायक निदेशक (बालाहार) एवं सहायक निदेशक (जीवन बीमा) तथा कई सहायक उप शिक्षा निदेशक हैं। वित्तीय कार्यों के सम्पादनार्थ एक संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ), ज्येष्ठ लेखाधिकारी, एक लेखाधिकारी तथा एक सहायक लेखाधिकारी हैं। 25 जुलाई, 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, (1972) के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया था और जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित नर्सरी, प्राइमरी तथा लघु माध्यमिक (जूनियर तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों) के संचालन तथा इन श्रेणियों के गैर सरकारी निजी विद्यालय की मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण के कार्य इस परिषद् को दिये गये। मण्डलीय एवं जिला स्तर पर विद्यालयों की देख-रेख का कार्य मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), उप विद्यालय निरीक्षक तथा उप विद्यालय निरीक्षिका द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लाक स्तर पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर के शिक्षा के कार्य की देख-रेख की जाती है। एक बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को भोजन की भी व्यवस्था है। इससे सम्बन्धित खाद्य सामग्री की देख-रेख हेतु कतिपय जिलों में स्टोर कीपरों की भी व्यवस्था की गई है। प्राथमिक पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों के बच्चों को सामान्य स्तर की पाठ्य पुस्तकें सुलभ करने हेतु राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का निर्माण तथा मूल्य निर्धारण तथा उसके लिये रियायती मूल्य के कागज की व्यवस्था सम्बन्धित कार्य पाठ्य पुस्तक अधिकारी, लखनऊ द्वारा किया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6 से 10 की शिक्षा हाई स्कूलों में और 6 से 12 तक की शिक्षा इण्टर कालेजों में दी जाती है। राजकीय तथा अशासकीय संस्कृत पाठशालाओं का संचालन, माध्यमिक विद्यालयों के लिये अध्यापकों का प्रशिक्षण एवं शारीरिक प्रशिक्षण का कार्य भी माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत किया जाता है। राजकीय केन्द्रीय अध्यापन शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण कालेज लखनऊ एवं मनोविज्ञान शाला आदि पुरुषों के लिये तथा राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद महिलाओं के प्रशिक्षण का कार्य करता है। पुरुषों को शारीरिक प्रशिक्षण राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर में तथा महिलाओं के शारीरिक शिक्षा के अध्यापन का प्रशिक्षण राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में दिया जाता है। प्रदेश में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं का संचालन, विनियम उनके पाठ्यक्रमों तथा पुस्तकों का निर्धारण तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जाता है। माध्यमिक स्तर के शिक्षा के कार्यों को सुसंगठित कर उनके प्रसार एवं प्रचार के कार्यों को भलीभांति निस्तारण करने हेतु शिक्षा निदेशालय में विभिन्न स्तर के अधिकारीगण हैं। इनमें अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत), उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उप शिक्षा निदेशक (शिविर), उप शिक्षा निदेशक (विज्ञान), सहायक शिक्षा निदेशक (भवन) एवं सहायक शिक्षा निदेशक एन0एफ0सी0 आदि हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई सहायक उप शिक्षा निदेशक भी हैं। माध्यमिक शिक्षा स्तर के वित्तीय मामलों की देख-रेख करने के लिये निदेशालय में एक ज्येष्ठ लेखाधिकारी, चार लेखाधिकारी तथा एक सहायक लेखाधिकारी भी हैं।

प्रदेश के बालक/बालिकाओं के सम्पूर्ण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण एवं उन्हें विभिन्न प्रकार अनुदान प्रदान करने का उत्तरदायित्व शिक्षा निदेशक का है। शिक्षा निदेशक ही माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पदेन सभापति भी हैं। वर्ष 1975–76 से राज्य के माध्यमिक शिक्षा स्तर के बालक-बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में समानता लाने की दृष्टि से माध्यमिक स्तर के राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का निर्माण भी प्रारम्भ कर दिया गया है और हाई स्कूल स्तर की हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों की और इण्टर की हिन्दी की राष्ट्रीयकृत पुस्तकें छात्र/छात्राओं को सुलभ करा दी गई हैं।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु प्रदेश को 11 प्रशासकीय संभागों में विभाजित किया गया है जो मेरठ, आगरा, बरेली, इलाहाबाद, झांसी, गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ, नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल मण्डलों के नाम से प्रसिद्ध हैं। संभागीय स्तर पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक तथा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें कार्य कर रही हैं। जिला

स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक और कतिपय जिलों में जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें भी कार्यरत हैं। कतिपय मण्डलों में सह मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें एवं कतिपय जिलों में सह जिला विद्यालय निरीक्षक, सहयुक्त विद्यालय निरीक्षिकायें भी कार्यरत हैं। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की देख-रेख निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया जाता है। निदेशालय स्तर पर इस कार्य के लिये उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) भी हैं। इनके अधीन एक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें एवं दस सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें भी हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित संस्कृत पाठशालाओं का निरीक्षण करते हैं।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय एजेन्सी के माध्यम से वेतन वितरण सुनिश्चित करने तथा उनसे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय रखते हुये उच्च शिक्षा के नियम एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वियन करने का दायित्व शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) का है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्र वृत्तियां प्रदान करने का कार्य भी इसी निदेशालय द्वारा किया जाता है। निदेशालय स्तर पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के सहायतार्थ एक संयुक्त शिक्षा निदेशक, एक उप शिक्षा निदेशक, दो सहायक शिक्षा निदेशक तथा दो सहायक उप शिक्षा निदेशक कार्य करते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय से सम्बन्धित वित्तीय मामलों की देख-रेख करने के लिये एक ज्येष्ठ लेखाधिकारी एक लेखाधिकारी एवं एक सहायक लेखाधिकारी भी हैं।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिये सहायक अनुदान प्रदान करने से सम्बन्धित समस्त कार्य शासन स्तर पर ही व्यवहृत होता है। वर्ष 1976–77 से पर्वतीय क्षेत्र में दो विश्वविद्यालय (1) कुमायूं विश्वविद्यालय तथा (2) गढ़वाल विश्वविद्यालय स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे हैं, जिन्हें अन्य विश्वविद्यालयों की भांति शासन के स्तर से अनुदान दिये जा रहे हैं।

1 अप्रैल, 1979 को सचिवालय के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नवत् थी :—

अधिकारी	कर्मचारी	योग
29	158	187

गत तीन वर्षों की शिक्षा विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों की संख्या :—

वर्ष	राजपत्रित अधिकारी			अराजपत्रित अधिकारी		
	स्थायी	अस्थायी	योग	स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5	6	7
1 अप्रैल, 1976	1,005	1,086	2,091	20,838	9,686	30,524
1 अप्रैल, 1977	1,044	1,399	2,443	21,138	10,627	31,765
1 अप्रैल, 1978	1,009	1,414	2,423	21,137	12,936	34,173

वर्ष 1978–79 में किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण :—

शिक्षा म महत्वपूर्ण गुणात्मक सुधार एवं विकास के कार्य किये गये, जिनमें वर्ष 1978–79 के अन्त तक निम्नांकित कार्य उल्लेखनीय हैं :—

प्राथमिक शिक्षा—

1—कक्षा 3 से 8 में विज्ञान किट, राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें प्रचलित की गईं :

2—कक्षा 1 से 12 तक के विज्ञान पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण किया गया।

3—हिन्दी विषय की कक्षा 11 से 12 तक की पुस्तकों और हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय की कक्षा 9 और 10 की पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीयकृत किया गया।

4—यूनीसेफ सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 5.39 लाख रुपये की विज्ञान विषयक पाठ्य पुस्तकें वर्ष 1978–79 में वितरित कराई गईं।

5—प्रदेश में शिक्षा के नये आर्थिक कार्यक्रमों, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों की विकास योजनायें, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लिये विशेष सुविधा तथा भाषायी अल्पसंख्यकों की शिक्षा की सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये।

6—छात्रों को विशेष सुविधा के लिये उनको पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकायें तथा छात्रावासों में आवश्यक सामग्री निर्धारित मूल्यों में उपलब्ध करायी गयी।

7—वर्ष 1978–79 में 2170 नये प्राइमरी, 1038 नये मिडिल स्कूल तथा 287 अनुवर्ती कक्षायें खोली गईं। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक 96 प्रतिशत बच्चे प्राइमरी पाठशालाओं तथा 38 प्रतिशत बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ने लगेंगे।

8--वय वर्ग 11-14 की आयु के काफी बड़ी संख्या में बच्चे आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों के कारण प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उनको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रारम्भिक स्तर पर ह्रास एवं अवरोध को कम करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में 35 अंशकालिक कक्षाएं प्रारम्भ की गईं। इन कक्षाओं में पुस्तकें और लेखन सामग्री निःशुल्क दी जाती है। वर्ष 1978-79 में कार्यक्रम का और विस्तार कर 2750 और नई कक्षायें प्रारम्भ की गई हैं।

9--जिला परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के वर्तमान भवनों की आवश्यक मरम्मत हेतु वर्ष 1978-79 में 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। इन विद्यालयों में टाट पट्टी आदि की समुचित व्यवस्था हेतु 10.00 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

10--गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 1977-78 में 90 अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लाया गया तथा कुछ विद्यालयों को अपने कार्य-कलाप बढ़ाने के लिये अनुदान स्वीकृत किया गया है।

11--विज्ञान शिक्षा की नींव को सही तथा ठीक ढंग से रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सभी प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में आधारिक उपकरण की व्यवस्था की जाये। वर्ष 1977-78 में 466 प्राइमरी तथा 132 मिडिल स्कूलों के लिये एक-एक विज्ञान किट उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1978-79 में भी 467 प्राइमरी तथा 132 मिडिल स्कूलों के लिये यह व्यवस्था की गई।

माध्यमिक शिक्षा--

12--वर्ष 1978-79 में 28 नये राजकीय हाई स्कूल खोलने 11 राजकीय हाई स्कूलों को इन्टर तक उच्चीकरण करने तथा 11 राजकीय इण्टर कालेजों में द्विपाली योजना प्रारम्भ करने की व्यवस्था की गई। ऐसे ही पहाड़ी जिलों के 16 अशासकीय विद्यालय, जिनकी आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी, का प्रान्तीयकरण किया गया।

13--माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु अशासकीय विद्यालयों को हाई स्कूलों एवं इण्टर की नयी एवं अतिरिक्त वर्ग तथा विषयों की मान्यता दी गई। गुणात्मक सुधार के लिये 285 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनुदान सूची पर लाये गये तथा चुने हुए विद्यालयों को भवन, साज-सज्जा, पुस्तकालय, विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था आदि के लिये अनावर्तक अनुदान दिये गये।

14--एकीकृत छात्र वृत्ति परीक्षा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों के लिये 20 जनपदों में चल रही आवासी योजना का 6 अन्य जनपदों में विस्तार किया गया है। इस योजना में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 18 प्रतिशत स्थान सुरक्षित है तथा इनके लिए एकीकृत परीक्षा पास करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

15--छात्रों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक निदेशन देने के लिये मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा गाइडेन्स डिप्लोमा प्रशिक्षण में संशोधन किया गया तथा कानपुर, आगरा, बरेली एवं वाराणसी में मण्डलीय मनोवैज्ञानिक केन्द्रों की पुनर्स्थापना की गई। वर्ष 1978-79 में 3 और मनोवैज्ञानिक केन्द्र लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर की भी स्थापना हो चुकी है।

16--हाई स्कूल परीक्षा की भांति वर्ष 1978 की परीक्षा से इण्टर की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था की गई।

उच्च शिक्षा--

17--वर्ष 1978-79 में चरखारी (हमीरपुर) एवं ऊंचाहार (रायबरेली) में बालकों के तथा बांदा एवं देवरिया में बालिकाओं के नए राजकीय डिग्री कालेज खोले गये हैं।

भाषाओं का विकास--

18--हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों के क्रय करने एवं संस्कृत पाठशालाओं तथा अरेबिक मदरसों को अनुरक्षण तथा विकास अनुदान स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई है। उर्दू, हिन्दी तथा संस्कृत के विद्वानों को राज्य सरकार की ओर से विशेष पुरस्कार दिये जा रहे हैं।

19--उर्दू को बढ़ावा देने के लिये सक्रिय कदम उठाये गये हैं। कक्षा 1-8 तक की पाठ्य-पुस्तकों में उर्दू संस्करणों की कीमत हिन्दी पुस्तकों के समकक्ष रखने के लिये दोनों संस्करण की कीमत के अन्तर के बराबर सब्सीडी दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर उर्दू के साहित्य उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

खेलकूद तथा प्रबन्ध कार्यक्रम--

20--युवक/युवतियों की शिक्षा के साथ सामाजिकता का प्रशिक्षण देने, उनके शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने एवं उन्हें चुस्त रखने के उद्देश्य से अनेक युवक कार्यक्रम संचालित किये गये।

21--प्रदेश की समस्त संस्थाओं में कक्षा 6 से 8 तक बालचर (स्काउटिंग तथा गाइडिंग) कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय पद्धति के लाभप्रद व्यायाम और यौगिक आसनों को बेसिक स्कूलों तथा दीक्षा विद्यालयों में शिक्षा क्रम का अनिवार्य विषय बना दिया गया है। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की प्रतियोगितायें, विद्यालय, जिला मण्डल तथा राज्य स्तर पर नियमित ढंग से आयोजित की जाती है और प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्र वेतन दिया जाता है।

अध्यापकों को सुविधा--

22--उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्थायी अध्यापकों/कर्मचारियों को उनके पूर्ण सेवाकाल में 12 मास का तथा अस्थायी अध्यापकों/कर्मचारियों को 4 मास का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों/कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता भी स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया, जो नगरपालिका क्षेत्र में उनके वेतन का 10 प्रतिशत तथा 14 नगरपालिका क्षेत्रों में उनके वेतन का 7-1/2 प्रतिशत की दर से देय होगा।

23—बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय, सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके आश्रितों को अनुग्रह मृत्यु उपादान की धनराशियों में समानता लाने के दृष्टिकोण से शासन ने यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह मृत्यु उपादान की धनराशि एक मार्च, 1978 से 5,000 से बढ़ाकर राज्य कर्मचारियों की भांति 12,000 कर दी जाय ।

24—शासन द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधिकतम रु० 450 प्रतिमाह वेतन पाने वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों के अधिकतम तीन पुत्रों अथवा पुत्रियों को जूनियर हाई स्कूल से लेकर इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

25—सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इनमें से मुख्य निर्णय निम्नवत् हैं :—

(i) दिनांक 30 जून, 1974 ई० से राजकीय कर्मचारियों के समान दर पर पेंशन देना और यदि कोई 58 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त होने का विकल्प दे तो उसे सेवा-निवृत्ति अनुतोषिक भी देना ।

(ii) सहायता प्राप्त जू० हा० स्कूलों के 5 वर्ष का शैक्षिक अनुभव रखने वाले इण्टर, बी०टी० सी० अध्यापकों को सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध जूनियर कक्षाओं के शिक्षकों को अनुग्रह वेतन मान देना ।

(iii) सी०टी०, एल०टी० और प्रवक्ता वेतन क्रमों में कार्यरत शिक्षकों के लिये सेलेक्शन ग्रेड देना, बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों की भांति आवासीय पर्वतीय सीमान्त भत्ता देना । माध्यमिक विद्यालयों को दो वर्ष के अन्दर निर्धारित अर्हतायें पूरा करने के प्रतिबन्ध के साथ मान्यता वर्ष के क्रमानुसार अनुदान सूची पर लाना तथा मई, 1972 के पश्चात् अनुदान सूची पर लाये गये विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन निर्धारण उनके वास्तविक वेतन के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित वेतनमानों में सामान्य स्तर पर किया जाना । सामान्य शिक्षा के लिये 86.89 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । 74-75 में वास्तविक व्यय 62.43 करोड़ रुपये हुआ था । 1979-80 में 19.39 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । इनका वर्गवार परिव्यय एवं व्यय निम्न प्रकार है :—

पांचवीं पंच वर्षीय योजना में परिव्यय एवं व्यय का विवरण (रुपया करोड़ में)

वर्ग	पाँचवीं योजना का परिव्यय (1974-79)	1974-78 वास्तविक-व्यय	1977-78 वास्तविक-व्यय	1978-79 परिव्यय	1978-79 अनुमानित-व्यय	1979-80 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1—प्राथमिक शिक्षा	47.32	33.75	14.73	16.30	16.28	7.14
2—माध्यमिक शिक्षा	25.40	16.54	6.56	9.36	9.33	3.76
3—अध्यापक शिक्षा (प्रशिक्षण)	1.68	1.22	0.38	0.50	0.49	0.26
4—उच्च शिक्षा—	8.37	8.89	3.17	3.75	3.75	1.64
5—प्रौढ़ शिक्षा	2.06	0.87	0.56	1.12	1.12	1.26
6—खेलकूद तथा युवक-कल्याण	0.74	0.39	0.11	0.11	0.11	0.08
7—निदेशन एवं प्रशासन तथा निरीक्षण	0.48	0.19	0.08	0.24	0.24	0.03
8—अन्य कार्यक्रम	0.84	0.58	0.23	0.23	1.80	0.22
शिक्षा योग	86.89	62.43	25.82	31.61	33.10	14.39

पाँचवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में अपनाई गई नीति एवं उद्देश्यों तथा वर्ष 1979-80 के लिये निर्धारित परिव्यय के फलस्वरूप विभिन्न सूचकों की प्रगति निम्नवत् होगी :—

भौतिक उपलब्धियों के इंडिकेटर्स :

क्रम-संख्या	विवरण	मद	विकास का स्तर: चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अन्त में	77-78 के अन्त में अनुमानित	78-79 के अन्त में अनुमानित	1979-80 के अन्त में प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7
1	प्राथमिक विद्यालय	संख्या	63,695	68,824	70,979	71,618
2	जूनियर हाई स्कूल (मिडिल स्कूल)	,,	10,076	11,390	12,531	12,781

1	2	3	4	5	6	7
3—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाई स्कूल)		संख्या	4,165	4,644	4,937	5,137
4—महाविद्यालय (स्नातकोत्तर)		,,	346	365	368	372
	राजकीय	,,	18	24	28	30
	अशासकीय	,,	328	341	340	342
5—विश्वविद्यालय		,,	14	19	19	19
6—विद्यालय में आने वाले बालकों का प्रतिशत						
	6–11 आयु वर्ग के बालक :	,,	99	94	96	95
	11–14 वर्ष तक की आयु वर्ग के	,,	36.3	36.6	38	39
7—विद्यालय में जाने वाली बालिकाओं का प्रतिशत						
(I) 6–11 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालिकाओं का प्रतिशत		,,	77.0	74.0	76.0	77.0
(II) 11–14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालिकाओं का प्रतिशत		,,	15.3	10.4	21.4	22.0
8—हाई स्कूल के उत्तीर्ण छात्र संख्या (लाख में)		,,	2.47	3.83	3.90	4.70

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सामान्य शिक्षा पर होने वाले व्यय तथा उसके प्रत्येक अनुभागों पर होने वाले व्यय तथा उनका प्रतिशत निम्नवत् हैं :—

विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधि में सामान्य शिक्षा पर अनुभागवार होने वाले व्यय एवं उनके प्रतिशत का विवरण

अवधि	प्राथमिक शिक्षा (वास्तविक-व्यय) (करोड़ रुपयें में)	माध्यमिक शिक्षा (वास्तविक व्यय) (करोड़ रुपयें में)	उच्च शिक्षा वास्तविक व्यय) (करोड़ रुपये में)	अन्य कार्यक्रम (वास्तविक व्यय) (करोड़ रुपये में)	योग (वास्तविक व्यय) (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
प्रथम पंचवर्षीय योजना	12.71 70%	1.25 7%	0.43 3%	3.68 20%	18.07 100%
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	8.41 59%	2.97 21%	1.75 12%	1.18 8%	14.31 100%
तृतीय पंचवर्षीय योजना	29.49 66%	7.41 17%	4.94 11%	2.87 6%	44.71 100%
वार्षिक योजना (1966–69)	7.32 60%	2.40 20%	2.30 18%	0.29 2%	12.31 100%
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	37.96 67%	9.32 17%	6.33 11%	2.73 5%	56.36 100%
पंचम पंचवर्षीय योजना (1974–79)	50.05 53%	25.90 28%	12.64 14%	5.45 5%	94.04 100%

बजट शीर्षक	वास्तविक व्यय 1977-78			आयव्ययक अनुमान 1978-79	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
1	2	3	4	5	6
277—शिक्षा—					
(क) प्राथमिक शिक्षा—					
I—निदेशन और प्रशासन ..	40.751	0.235	40.986	42.796	2.2990
II—निरीक्षण ..	264.710	2.803	267.513	257.266	3.1660
III—राजकीय प्राथमिक शिक्षा ..	46.800	..	46.800	48.461	...
IV—अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता ..	9959.683	118.330	10078.013	11344.453	170.8000
V—प्राथमिक शिक्षा के लिये स्थानीय निकायों को सहायता	..	..	..	..	...
VI—शिक्षकों को प्रशिक्षण ..	351.976	4.654	356.630	349.750	11.6279
VII—न्यूनतम आवश्यकतायें कार्यक्रम ..	..	659.463	659.463	..	1000.2275
VIII—अन्य व्यय	68.109	101.968	170.077	82.852	106.9930
योग (क) प्राथमिक शिक्षा (मतदेय)	10732.029	887.453	11619.482	12125.572	1295.1134
(ख) माध्यमिक शिक्षा					
I—निदेशन और प्रशासन	54.457	0.542	54.999	85.196	0.6910
II—निरीक्षण	106.795	5.732	112.527	108.305	13.6660
III—रा0 माध्यमिक विद्यालय ..	600.473	77.314	677.787	623.280	135.0070
IV—अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	6259.199	216.953	6476.152	5255.038	297.3330
V—माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता	..	..	..	..	..
VI—छात्रवृत्ति छात्रवेतन ..	44.924	34.580	79.504	46.663	36.7710
VII—शिक्षकों का प्रशिक्षण ..	119.412	12.620	132.032	128.604	16.3310
VIII—पाठ्य पुस्तक	..	..	..	..	..
IX—अन्य व्यय	554.701	13.826	568.527	550.420	24. 540
योग (ख) माध्यमिक शिक्षा ..	7739.961	361.567	8101.528	6797.506	524. 230
(ग) विशेष शिक्षा					
I—प्रौढ़ शिक्षा	15.935	49.470	65.411	11.213	113. 260
II—आधुनिक भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की प्रोन्नति ..	12.200	..	12.200	11.450	2. 000
III—संस्कृत शिक्षा	201.727	5.104	206.831	216.933	8.410
IV—अन्य भाषाओं की शिक्षा ..	1.232	2.875	4.107	2.300	4.940
वाणिज्यक संस्थान	..	..	..	..	..
योग (ग) विशेष शिक्षा	231.094	57.455	288.549	241.896	128.610

आवश्यकतायें

क्रियाकलापों का वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

पुनरीक्षित अनुमान 1978–79			आवश्यक अनुमान 1979–80			
योग	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
7	8	9	10	11	12	13
45.080	40.790	1.760	42.550	41.990	1.890	43.380
260.426	256.092	3.160	259.252	288.700	..	288.700
48.461	..	48.416	48.416	50.360	..	50.360
11515.253	9739.283	170.770	9910.053	12824.589	51.620	12876.200
..	..	..	..	..	..	..
361.429	334.591	8.925	343.516	349.320	4.000	353.320
1000.275	..	993.215	93.215	..	267.560	267.560
189.782	92.252	106.930	199.182	826.680	46.500	873.180
13420.706	10511.424	1284.760	11796.184	14381.630	371.070	14752.700
85.806	61.993	0.610	62.603	91.390	6.670	98.060
121.965	107.720	13.140	120.860	122.240	2.840	125.080
758.350	622.793	126.910	749.703	775.980	38.580	814.560
5552.368	5937.716	297.330	6235.046	6402.410	26.820	6429.230
..	..	..	..	..	..	..
83.373	45.200	36.710	81.910	81.910	4.170	86.080
144.914	128.641	14.112	142.753	138.710	1.300	140.010
..	..	..	..	..	..	..
574.960	563.640	23.638	587.278	577.730	23.480	601.210
7321.736	7467.703	512.450	7980.153	8190.370	103.860	8294.230
124.473	10.849	121.787	132.636	127.000	0.150	127.150
13.450	11.450	2.000	13.450	..	5.000	5.000
225.343	216.143	8.202	224.345	233.930	1.850	235.780
7.240	2.300	4.940	7.240	..	1.430	1.430
..	..	..	..	..	..	..
370.506	240.742	136.929	377.671	360.930	8.430	369.360

1	2	3	4	5	6
(घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा—					
1—अ					
I—निदेशन और प्रशासन ..	9.122	2.070	11.192	10.485	5.000
II—विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिये सहायता	404.530	63.018	467.548	413.815	66.440
III—राजकीय महाविद्यालय ..	38.589	15.623	54.212	38.364	31.640
IV—अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता	1969.698	152.090	2121.788	2110.675	112.000
V—अध्यापकों का विकास कार्यक्रम ..	1.044	..	1.044	1.950	..
VI—छात्रवृत्तियाँ	35.289	6.490	41.779	39.601	9.200
VII—पुस्तकों की प्रोन्नति	..	6.000	6.000	..	20.000
VIII—अन्य व्यय	38.282	2.147	40.429	46.719	5.860
योग (घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा	2496.554	247.438	2743.991	2661.609	250.140
(ङ) प्राविधिक शिक्षा	538.580	102.063	640.643	582.578	100.911
योग (ङ) प्राविधिक शिक्षा ..	538.580	102.063	640.643	582.578	100.911
(च) क्रीड़ा एवं युवक कल्याण ..	261.312	85.859	347.171	268.584	119.460
योग (च) क्रीड़ा एवं युवक कल्याण ..	261.312	85.859	347.171	268.584	119.460
(छ) सामान्य	0.129	0.837	0.966	0.231	..
योग (छ) सामान्य ..	0.129	0.837	0.966	0.231	..
(ज) कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धियों के लिये एक मुश्त प्राविधान	..	..	..	458.400	1.900
1—अ—बड़ा योग शीर्षक "277—शिक्षा" (मतदेय)	21999.659	1742.672	23742.331	23136.376	2420.385
1—ब—288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण					
क—अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन-जातियों एव अन्य पिछड़े हुये वगा का कल्याण	..	29.597	29.597	..	236.760
1—(अ—ब) कुल योग "277 तथा 288" (मतदय)	21999.659	1772.269	23771.928	23136.376	2657.145
2—अनुदान सं0 53—लेखा शीर्षक—299—विशेष एव पिछड़े हुये क्षत्र, पवतीय क्षेत्र ग—शिक्षा	1346.707	793.622	2140.329	1727.982	765.490
3—अनुदान संख्या 53—लेखा शीर्षक 299—विशेष एव पिछड़े हुये क्षत्र पवतीय क्षत्र—ख—सावजानक निमाण काय—1—निमाण काय (1) सामावता निमाण काय (2) भवन शिक्षा	..	..	..	..	0.576
4—अनुदान संख्या 29 लेखा शीर्षक 259—सार्वजानिक निर्माण कार्य (2) (निर्माण) अनावासिक भवन (ड) शिक्षा	..	0.050	0.050	..	0.361

7	8	9	10	11	12	13
15.485	10.585	4.139	14.724	13.550	6.000	19.550
480.255	413.815	66.440	480.255	409.800	12.600	422.400
70.004	38.164	37.644	75.808	64.760	16.920	81.680
2222.675	2131.310	212.000	2343.310	2244.430	29.620	2274.050
1.950	1.450	..	1.450	0.750	..	0.750
48.801	39.433	9.200	48.633	47.480	1.050	48.530
20.000	..	20.000	20.000	..	20.000	20.000
52.579	46.378	5.890	52.268	46.770	9.750	56.520
2911.749	2681.135	355.313	3036.448	2827.540	95.940	2923.480
683.489	598.049	109.270	707.319	..	..	..
683.489	598.049	109.270	707.319	..	..	..
588.044	276.262	136.108	412.370	244.090	56.280	300.370
388.044	276.262	136.108	412.370	244.090	56.280	300.370
0.231	0.231	..	0.231	0.240	..	..
0.231	0.231	..	0.231	0.240	..	..
460.300	..	..	..	599.850	7.050	606.900
25556.761	21775.546	2534.830	24310.376	26604.650	642.630	27247.280
236.760	..	222.364	222.364	250.330	52.870	303.200
25793.521	21775.546	2757.194	24532.740	26854.980	695.500	27550.480
2493.472	1707.291	880.886	2588.177	2620.490	437.030	3057.520
0.576	..	0.040	0.040	..	0.010	0.010
0.361	..	0.361	0.361	..	0.360	0.360

1	2	3	4	5	6
5--अनुदान संख्या 43–लेखा शीर्षक–283 आवास भवन राजकीय आवासीय भवन (ङ) निर्माण (झ) शिक्षा	..	0.198	0.198	..	..
6--अनुदान संख्या 76–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) लेखा शीर्षक 277–शिक्षा	..	0.050	0.050	..	..
7--अनुदान संख्या 77–सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान लेखा शीर्षक–483 आवासन पर पूंजीगत परिव्यय शिक्षा आवासीय योजनायें	..	..	..	..	0.050
8--अनुदान संख्या 77–सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान अधिष्ठान व्यय का अनुपातिक वितरण लेखा शीर्षक 477–शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	..	3.999	3.999	..	5.983
9--अनुदान संख्या 82–लेखा शीर्षक 459–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (1) निर्माण अनावासिक भवन (ङ)–शिक्षा	..	(—) 0.167	(—) 0.167	..	2.000
10--अनुदान संख्या 83–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) लेखा शीर्षक–477–शिक्षा कला और संस्कृत पर पूंजीगत परिव्यय (प्राविधिक शिक्षा को छोड़कर)	..	23.634	23.634	..	58.924
11--अनुदान संख्या 90–लेखा शीर्षक 499–विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय–क–पर्वतीय क्षेत्र का विकास 1, सार्वजनिक निर्माण विभाग (क)–भवन 3–शिक्षा	..	131.572	131.572	..	85.307
योग विभिन्न अनुदानों के पूंजीगत व्यय (क्रम 3 से 11 तक)	..	159.336	159.336	..	153.201
12--अनुदान संख्या 111–लेखा शीर्षक 677–शिक्षा कला एवं संस्कृत के लिये ऋण–ग—सामान्य शिक्षा	7.871	46.257	54.128	50.100	26.000
महा योग ..	23354.237	2771.484	26125.721	24914.458	3601.836

7	8	9	10	11	12	13
..	..	0.100	0.100	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.050	..	..	..	..	..	..
5.983	..	5.124	5.124	..	13.470	13.470
2.000	..	2.000	2.000	..	4.000	4.000
58.924	..	44.660	44.660	..	124.190	124.190
85.307	..	119.030	119.030	..	153.670	153.670
153.201	..	171.315	171.315	..	295.700	295.700
76.100	48.000	20.000	68.000	41.080	21.320	62.400
28516.294	23530.837	3829.395	27360.232	29516.550	1449.550	30966.100

ख—उद्देश्यवारर

क्रम-सं0	मदों के नाम		वास्तविक व्यय 1977–78		
			आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
1	2		3	4	5
1	वेतन (अधिष्ठान)	..	1328.093	390.008	1718.101
2	मंहगाई भत्ता	..	654.296	104.118	758.414
3	यात्रा व्यय	..	91.040	12.785	103.825
4	अन्य भत्ते	..	59.776	6.144	65.920
5	कार्यालय व्यय	..	94.694	29.595	124.289
6	मुद्रण व्यय	..	121.672	0.958	122.630
7	(1) निर्माण कार्य	..	6.306	2.959	9.265
	(2) विभिन्न अनुदानों पर पूंजीगत निर्माण व्यय	..	..	159.336	159.336
8	निर्माण-कार्य अनुरक्षण	..	11.965	..	11.965
9	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	..	19.275	0.098	19.373
10	भवन किराया -उपशुल्क एवं कर	..	20.297	0.348	20.645
11	निवास गृहों पर जलकर	..	3.144	..	3.144
12	छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन	..	187.176	49.947	237.123
13	मोटर गाड़ियों का क्रय	..	6.120	..	6.120
14	सहायक अनुदान	..	19565.365	1570.167	21135.528
15	अंशदान	..	77.559	..	77.559
16	पेंशन/ग्रेच्युटी	..	81.907	..	81.907
17	बालाहार योजना	..	51.989	111.043	163.032
18	मशीन और सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	..	10.791	23.053	33.844
19	मजदूरी	..	9.800	23.140	32.940
20	अन्य व्यय	..	395.070	92.894	487.964
21	टेलीफोन पर व्यय	..	6.626	0.688	7.314
22	प्राविधिक शिक्षा	..	543.405	118.353	661.758
23	शिक्षा कला और संस्कृत के लिये ऋण (प्राविधिक शिक्षा को छोड़कर)	..	7.871	46.257	54.128
24	लेखा शीर्षक 288– ामजिक सुरक्षा एव कल्याण		..	29.597	29.597
	महायोग	..	23354.237	2771.484	26125.721

टिप्पणी—(1) वर्ष 1978–79 का पुनरीक्षित अनुमान 27360.232 रुपया है ।

(2) वर्ष 1977–78, 1978–79 एवं 1979–80 के विवरण में मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र के वास्तविक व्यय एवं आय-व्ययक अनुमान के आँकड़े सम्मिलित हैं ।

वर्गीकरण

आय व्ययक अनुमान 1978–79			आय-व्ययक अनुमान 1979–80		
आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
6	7	8	9	10	11
1365.561	360.226	1725.787	1781.720	46.740	1828.460
1139.767	150.703	1290.470	1022.750	27.490	1050.240
84.471	18.661	103.132	97.440	5.900	103.340
62.761	18.416	81.177	90.620	3.240	93.860
96.246	48.161	144.407	126.700	9.700	136.400
115.630	1.800	117.430	127.720	1.350	129.070
8.546	10.500	19.046	8.660	1.400	10.060
..	153.201	153.201	..	295.700	295.700
13.930	0.200	14.130	29.020	0.070	29.090
20.935	0.200	21.135	20.370	2.820	23.190
18.251	0.791	19.042	18.320	0.320	18.640
4.294	..	4.294	2.850	..	2.850
154.402	60.350	214.752	217.430	11.270	228.700
4.800	..	4.800	8.000	19.550	27.550
20509.192	2186.510	22695.702	24268.811	698 370	24967.181
39.651	..	39.651	56.510	..	56.510
93.570	..	93.570	117.650	..	117.600
74.000	16.000	90.000	27.740	37.980	65.720
11.240	59.899	71.139	15.680	36.590	52.270
8.000	..	8.000	10.000	0.300	10.300
440.064	126.547	566.611	548.750	54.700	603.450
4.630	0.360	4.990	4.700	0.520	5.220
594.417	126.551	720.968	623.699	121.350	745.049
50.100	26.000	76.100	41.080	21.320	62.400
..	236.760	236.760	250.330	52.870	303.200
24914.458	3601.836	28516.294	29516.550	1449.550	30966.100

ग--वित्तीय साधनों के स्रोत

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 1977-78		आय-व्ययक अनुमान 1978-79	
			आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर
1	2	3	4	5	6	7
1--अ	34	लेखा शीर्षक--277--शिक्षा	21999.659	1742.672	23742.331	23136.376
1--ब	34	लेखा शीर्षक--288--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	..	29.597	29.597	..
		कुल योग ..	21999.659	1772.269	23771.928	23136.376
2	53	लेखा शीर्षक--299--विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र--ग--शिक्षा	1346.707	793.622	2140.329	1727.982
3	53	लेखा शीर्षक--299--विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र--पर्वतीय क्षेत्र ख--सार्वजनिक निर्माण कार्य 1--निर्माण कार्य--				
		(i) सीमावर्ती निर्माण कार्य	..	..	..	..
		(ii) भवन शिक्षा	..	..	..	..
4	29	लेखा शीर्षक--259--सार्वजनिक निर्माण कार्य (2) (निर्माण) अनावासिक भवन (ङ) शिक्षा	..	0.050	0.050	..
5	43	लेखा शीर्षक--283--आवास भवन--राजकीय आवासीय भवन--(1) निर्माण (ग्र) शिक्षा	..	0.198	0.198	..
6	76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) लेखा शीर्षक--277--शिक्षा	..	0.050	0.050	..
7	77	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान लेखा शीर्षक--483--आवासन पर पूंजीगत परिव्यय शिक्षा आवासीय योजनायें	..	..	..	..
8	77	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान अधिष्ठान व्यय का अनुपातिक वितरण लेखा शीर्षक--477--शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	..	3.999	3.999	..
9	82	लेखा शीर्षक--459--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (i) निर्माण अनावासिक भवन (ङ) शिक्षा	..	(—)0.167	(—)0.167	..
10	83	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) लेखा शीर्षक--477--शिक्षा कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय (प्राविधिक शिक्षा को छोड़कर)	..	23.634	23.634	..
11	90	लेखा शीर्षक--499--विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्ययपक--पर्वतीय क्षेत्र का विकास 1--सार्वजनिक निर्माण विभाग (क) भवन 3--शिक्षा	..	131.572	131.572	..
		योग, विभिन्न अनुदानों के पूंजीगत निर्माण कार्य (क्रम 3 से 11 तक)	..	159.336	159.336	..

पुनरीक्षित अनुमान 1978–79			भाय-व्ययक अनुमान 1979–80				
आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
8	9	10	11	12	13	14	15
2420.385	25556.761	21775.546	2534.830	24310.376	26604.650	642.630	27247.280
236.760	236.760	..	222.364	222.364	250.330	52.870	303.200
2657.145	25793.521	21775.546	2757.194	24532.740	26854.980	695.500	27550.480
765.490	2493.472	1707.299	880.886	2588.177	2620.490	437.030	3057.520
..	..	..	..	..	..	..	..
0.576	0.576	..	0.040	0.040	..	0.010	0.010
0.361	0.361	..	0.361	0.361	..	0.360	0.360
..	..	..	0.100	0.100	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
0.050	0.050	..	..	..	..	..	..
5.983	5.983	..	5.124	5.124	..	13.470	13.470
2.000	2.000	..	2.000	2.000	..	4.000	4.000
58.924	58.924	..	44.660	44.660	..	124.190	124.190
85.307	85.307	..	119.030	119.030	..	153.670	153.670
153.201	153.201	..	171.315	171.315	..	295.700	295.700

1	2	3	4	5	6	7
12	111	लेखा शीर्षक—677—शिक्षा कला एवं संस्कृति के लिये ऋण—ग—सामान्य शिक्षा	7.871	46.257	54.128	50.100
		महायोग ..	23354.237	2771.484	26125.721	24914.458

8	9	10	11	12	13	14	15
26.000	76.100	48.000	20.000	68.000	41.080	21.320	62.400
3601.836	28516.294	23530.837	3829.395	2736.232	29516.550	1449.550	30966.100

3--वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण

क--प्राथमिक शिक्षा

(लाख रुपयों में)

1--निदेशन और प्रशासन	1977--78 वास्तविक व्यय	1978--79 पुनरीक्षित अनुमान	1979--80 आयव्ययक अनुमान
	40.986	42.550	43.380

बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्य को सुचारु रूप से संचालन हेतु वर्ष 1972--73 में बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया था। निदेशालय के मुख्यालय एवं शिविर कार्यालय, लखनऊ में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत नर्सरी एवं किंडरगार्डेन, प्राथमिक एवं मिडिल स्तर की शिक्षा को सुचारु रूप से संचालित करने के कार्य किये जाते हैं। इनके प्रशासन नियन्त्रण एवं कार्यों के निस्तारण हेतु निदेशालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या निम्नवत है:--

क्रम संख्या	अधिकरियों के पद	वेतन क्रम	पदों की सं०
1	2	3	4
1	अतिरिक्त शिक्षा निदेशाक (बेसिक)	1,600--2000	1
2	संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ)	1,400--1,800	1
3	उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी, उर्दू, अर्थ, विज्ञान, महिला)	900--1,600	5
4	सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्	900--1,600	1
5	सहायक निदेशक (प्राइमरी, बालाहार, सामाजिक शिक्षा, अर्थ एवं जीवन बीमा)	800--1,450	4
6	पाठ्य पुस्तक अधिकारी	800--1,450	1
7	ज्येष्ठ लेखाधिकारी	800--1,450	1
8	लेखाधिकारी	550--1,200	1
9	सहायक उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी, प्रशिक्षण, सामान्य एवं सेवायें)	550--1,200	4
10	शोध अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)	550--1,200	1
11	सहायक पाठ्य पुस्तक अधिकारी	450--950	1
12	सहायक लेखाधिकारी	450--950	1
13	कृषि अधीक्षक	450--950	1
14	प्रोडक्शन आफिसर	450--950	1
15	निरीक्षक कला कौशल ..	450--950	1
16	सहायक शोध अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)	450--950	1
	योग ..		26

चालू वित्तीय वर्ष 1979--80 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल रु० 8,3000 की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः बेसिक शिक्षा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण एवं बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान नामक योजनाओं को सम्मिलित किये जाने के कारण है।

II--निरीक्षण--

1977--78 वास्तविक व्यय	1978--79 पुनरीक्षित अनुमान	1979--80 आयव्ययक अनुमान
रु०	रु०	रु०
267.513	259.252	288.700

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत निरीक्षक वर्ग के अधिकारियों का कार्य बालकों तथा बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालय, सीनियर बेसिक स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल तक के विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की देख--रेख तथा अध्यापक, अध्यापिकाओं का चयन नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा समय से इनको वेतन वितरण की व्यवस्था करना है। राजकीय दीक्षा विद्यालय (बालक/बालिका) में छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं के चयन का कार्य भी इन्हीं अधिकारियों के द्वारा सम्पादित किया जाता है। अतएव इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रदेश के जिला स्तर के निरीक्षक वर्ग के अधिकारियों, उनके कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों तथा कार्यालय के विभिन्न व्यय के लिये प्राविधान किया जाता है।

इस शीर्षक के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :--

क्र०सं०	अधिकारियों के पद	वेतनक्रम	पदों की संख्या
1	2	3	4
		रु०	
1	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	550--1,200	56
2	अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)	550--1,200	47
3	उप विद्यालय निरीक्षक	450--950	56
4	उप विद्यालय निरीक्षक (उर्दू माध्यम) ..	450--950	10

1	2	3	4
		रु0	
5	अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक	450–950	36
6	उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका	450–950	153
7	प्रति उप विद्यालय निरीक्षिका (सेलेक्शन ग्रेड) बालाहार	350–700	9
8	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक (सेलेक्शन ग्रेड)	350–700	86
9	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	325–575	1046
10	सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका	325–575	330
11	सह परियोजना अधिकारी	325–575	11
12	स्टोर कीपर ((बालाहार)	300–500	35
13	स्टोर कीपर (बालाहार)	250–425	6
14	निरीक्षक, अरेबिक मदरसाज	550–1,200	1
		योग ..	1,782

प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारियों के निर्धारित निरीक्षण दिवस की सूचना निम्नवत् है :—

क्र0सं0	अधिकारी के पद	शिक्षा संहिता के अनुच्छेद	निरीक्षण दिवस का विवरण
1	2	3	4
1	उप विद्यालय निरीक्षक	31	वर्ष में 150 दिन/प्रत्येक विद्यालय का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करना होगा ।
2	विद्यालय प्रति उप निरीक्षक	39	वर्ष में 200 दिन/प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का मासिक तथा विद्यालय का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करना होगा।
3	बालिका विद्यालय/सहायक निरीक्षिका	50(1)	प्रत्येक विद्यालय में दो बार उ0वि0नि0 150 दिन । (बालकों के आधार पर नहीं) स0वि0नि0200 दिन (बालकों के आधार पर हो) ।
4	उर्दू माध्यम विद्यालय के निरीक्षक	51(क)	दिवस निर्धारित नहीं है ।
5	उर्दू माध्यम विद्यालय के उप निरीक्षक	52(क)	दिवस निर्धारित नहीं है ।
6	निरीक्षक, अरेबिक मदरसाज	55(क)	70 दिन।
7	सहायक निरीक्षक अरेबिक मदरसाज	56	दिवस निर्धारित नहीं है ।
8	अधीक्षक, कृषि शिक्षा	57	दिवस निर्धारित नहीं है ।
9	सहायक निरीक्षक कला एवं शिल्प	58	दिवस निर्धारित नहीं है ।

इस वर्ष इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 29,44,800 रु0 की वृद्धि हुई है, जो विशेषतः निरीक्षक वर्ग के अधिकारियों के सामान्य वेतन वृद्धियों एवं पंचम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत ललितपुर जिले में खोले गये निरीक्षक वर्ग के कार्यालयों एवं उनमें कार्यरत अधिकारियों एवं स्टाफ पर होने वाले व्यय को विलीन किये जाने के फलस्वरूप है।

III—राजकीय प्राथमिक विद्यालय—

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आयव्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
46.800	48.416	50.360

राज्य के समस्त बालकों के राजकीय प्राथमिक विद्यालय शासन के आदेशानुसार 1 अप्रैल, 1974 से प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। अब केवल कतिपय प्रशिक्षण विद्यालयों से संलग्न प्राथमिक पाठशालाओं का प्राविधान इसमें शामिल है। शेष प्राविधान बालिकाओं के राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूलों के लिये हैं। पंचम पंचवर्षीय योजना काल में राजकीय बाकर जूनियर हाई स्कूल को भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर उच्चीकृत कर दिया गया है।

इस शीर्षक के अन्तर्गत 1,94,400 रु0 की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धियों के फलस्वरूप है।

IV--अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता--

1977--78 वास्तविक व्यय	1978--79 पुनरीक्षित अनुमान	1979--80 आय व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
10078.013	9910.053	12876.200

अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है :--

1--पूर्व प्राथमिक शिक्षा (शिशु शिक्षा)।

2--प्राथमिक शिक्षा (जूनियर बेसिक शिक्षा)

3--पूर्व माध्यमिक शिक्षा (सीनियर बेसिक शिक्षा)।

1--पूर्व प्राथमिक शिक्षा--

आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष तक के बालक-बलिकाओं को इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। अधिकांश शिशु शिक्षा से सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय निजी संस्थाओं द्वारा संचालित है। इस स्तर की शिक्षा अभी तक नगरों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु विद्यालयों की संख्या नगण्य है। शिशु शिक्षा महंगी पड़ने के कारण कुछ शिक्षण संस्थाओं का संचालन शासन द्वारा किया जाता है। अशासकीय मान्यता प्राप्त शिशु संस्थाओं को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान दिया जाता है।

कार्यालय निरीक्षक, अरेबिक मदरसाज--

प्रदेश में अरबी शिक्षा की देख-रेख तथा प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य निरीक्षक, अरेबिक मदरसाज द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय में एक निरीक्षक का पद रु0 550-1,200 के वेतन क्रम में है तथा 5 लिपिक के एवं तीन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पद हैं।

निरीक्षक अरबी मदरसाज अरबी तथा फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार भी हैं। इनके द्वारा विभाग की 5 परीक्षायें संचालित की जाती हैं, जिनमें से 2 फारसी की परीक्षाएं, मुंशी, कामिल तथा 3 अरबी की परीक्षायें--मौलवी, आलिम तथा फाजिल की हैं। नये अरबी मदरसों को मान्यता से सम्बन्धित कार्य भी इसी कार्यालय द्वारा किया जाता है। मान्यता प्राप्त मदरसों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है। इन मदरसों में अरबी तथा फारसी परीक्षाओं के लिये छात्र तैयार किये जाते हैं। विगत तीन वर्षों में मान्यताप्राप्त अरबी मदरसों की संख्या, छात्रों की संख्या तथा शिक्षकों की संख्या निम्नवत् है :--

वर्ष	सहायता प्राप्त मदरसे	असहायता प्राप्त मदरसे	मदरसों का योग	छात्रों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1976-77	135	41	176	40,000	1,930
1977-78	135	44	179	32,760	1,664
1978-79	179	46	225	40,985	2,363

अरबी शिक्षा के विकास के लिये शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं। अनुरक्षण अनुदान की स्वीकृति मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों द्वारा दी जाती है। इन मदरसों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रबंध है। मदरसों की ओर से लड़कों के रहने एवं खाने का प्रबंध भी निःशुल्क किया जाता है। मान्यता प्राप्त मदरसों में से कुछ को प्रति वर्ष शासन द्वारा अनुदान सूची पर लाया जाता है।

अरबी मदरसों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिये पहले कोई वेतनक्रम स्वीकृत नहीं था। वेतन आयोग द्वारा इन कर्मचारियों के लिये भी विभिन्न प्रकार के वेतनक्रम स्तर नुसार संस्तुत किये गये, जिन्हें शासन ने स्वीकार कर लिया और तदनुसार इन मदरसों में कार्यरत कर्मचारियों को भी नया वेतन दिया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में भी अरबी मदरसों के 2 अध्यापकों को उनकी विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

निरीक्षक अरेबिक मदरसों द्वारा अरबी तथा फारसी की 5 परीक्षायें संचालित की जाती हैं। इन परीक्षाओं में सम्मिलित तथा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आदि का विवरण नीचे दिया गया है :--

वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की सं0	उत्तीर्ण छात्रों की की संख्या	परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय
1976-77	1935	1210	20881
1977-78	2016	899	18,066
1978-79	2428	1538	15,870

प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य में दो राजकीय एवं तीन अराजकीय प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय हैं जिनमें दो वर्षीय सी0टी0 (नर्सरी) पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा 154 अध्यापिकायें प्रति वर्ष प्रशिक्षित करने हेतु स्थान निर्धारित है। राजकीय महिला प्रशिक्षक्ष महाविद्यालय, इलाहाबाद में शिशु प्रशिक्षण में विशिष्टता प्रदान करने की सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

राज्य में शिशु (नर्सरी) स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों एवं उनमें कार्यरत अध्यापकों की संख्या निम्नवत् है :--

वर्ष	विद्यालय	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या
1976–77	125	27,216	986
1977–78	125	27,472	1,021
1978–79	125	28,814	1,033

प्रदेश में 48 सहायता प्राप्त नर्सरी एवं किंडर गार्डन विद्यालय हैं, जिनमें 6 वर्ष से कम आयु वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये विद्यालय प्राइमरी स्तर से नीचे की शिक्षा देते हैं। गत तीन वर्षों में निम्नलिखित धनराशियां अनुदान के रूप में स्वीकृत की गईं--

वर्ष	अनुदान
1977–78	4,66,000
1978–79	5,13,000
1979–80	5,13,000

2--प्राथमिक शिक्षा--

भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिये। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। पांचवीं योजना काल में बच्चों को मैदानी क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र में एक किलोमीटर की परिधि में जूनियर बेसिक स्कूलों की सुविधायें उपलब्ध कराने का उद्देश्य सामने रखा गया है इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1978–79 में मैदानी जिलों में 2873 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 297 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये।

प्राथमिक शिक्षा में हुई प्रगति का आभास निम्नलिखित तालिकाओं में प्रदर्शित आंकड़ों से स्पष्टतया परिलक्षित होता है--

प्राथमिक शिक्षा में हुई प्रगति का विवरण

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	अध्यापकों की संख्या	छात्रों की संख्या (कक्षा 1 से 5 तक) (लाख में)			अशासकीय प्राथमिक वि0 को सहायता सहायक अनु0 (लाख रु0 में)	प्रति छात्र अनुदान (रु0 में)	छात्र/अध्यापक अनुपात
			बालक	बालिका	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1973–74	63,695	2,40,748	74.57	43.42	117.99	4319.499	36.86	1.49
1976–77	65,647	2,43,538	75.84	43.81	119.65	9689.901	80.99	1.49
1977–78	68,824	2,46,700	77.40	46.91	124.31	10306.911	82.91	1.50
1978–79	69,244	2,49,362	78.60	49.01	127.61	11375.082	89.14	1.51

नोट--वर्ष 1973–74 तथा 74–75 का प्रतिशत भारत सरकार द्वारा पूर्व अनुमानित जनसंख्या पर आधारित है। वर्ष 1975–76 तथा बाद के वर्षों का प्रतिशत संशोधित जन संख्या के आंकड़ों पर दिखाया गया है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारम्भिक शिक्षा की जन संख्या का प्रतिशत तथा छात्रों से सम्बन्धित अन्य सूचनायें नीचे दी गई हैं --

वर्ष	आयु वर्ग			
	बालक (6–11)	बालिका (6–11)	बालक (11–14)	बालिका (11–14)
1	2	3	4	5
1973–74	100	76.5	55.8	15.5
1974–75	100	76.1	54.6	16.0
1975–76	100	71.0	51.9	16.0
1976–77	100	70.0	51.3	16.2
1977–78	100	73.9	52.8	18.4
1978–79	100	76.0	53.8	21.4

3—पूर्व माध्यमिक (सीनियर बेसिक) शिक्षा—

इस स्तर की शिक्षा के विस्तार हेतु वर्ष 1978-79 में मैदानी जिलों में 1000 नये सीनियर बेसिक स्कूल एवं 270 क्रमोत्तर कक्षायें खोली गयीं। पर्वतीय जिलों में 38 नये सीनियर बेसिक स्कूल तथा 17 क्रमोत्तर कक्षायें खोली गयीं। वर्ष 1978-79 में 2047 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये।

बालकों को अधिक स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत 2689 विद्यालयों में कृषि एवं शिल्प विषय को मुख्य शिल्प के रूप में अंगीकृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के 2853 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसके लिये मैदानी क्षेत्र के लिये वर्ष 1979-80 हेतु 1,64,87,000 एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिये रुपया 17,24,000 का प्राविधान स्वीकृत किया गया है।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की दिशा में "कार्यानुभव योजना" के अन्तर्गत 214 विद्यालयों में 214 अध्यापक कार्यरत हैं। इसके लिये वर्ष 1979-80 में मैदानी क्षेत्र के लिये रु0 13,36,000 एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिये रु0 2,11,000 का प्राविधान स्वीकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष	योजनाओं के प्राविधान	
	शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना	कार्यानुभव योजना
1	2	3
1977-78	1,36,71,300	11,36,100
1978-79	1,76,52,800	14,84,200
1979-80	1,82,11,000	15,47,000

वर्ष 1978-79 में कक्षा 1 से 8 तक की कुल 81 राजकीय पुस्तकों की लगभग 2.75 करोड़ प्रतियां मुद्रित/प्रकाशित करवाकर समय से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गईं। उक्त पुस्तकों का मुद्रण/प्रकाशन/वितरण का कार्य विभाग के प्रभावी नियंत्रण में प्रदेश के लगभग 700 मुद्रकों/प्रकाशकों से कराया गया, जिसके लिये लगभग 3000 टन रियायती दर से कागज मिलों से दिलाया गया। आबंटित पुस्तकों के मूल्य पर राजस्व (रायल्टी) के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 2500 लाख से ऊपर रुपये प्राप्त होने की आशा है।

प्राइमरी स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य निर्धारण हेतु पाठ्य-पुस्तक अनुभाग में पंचम पंच-वर्षीय योजना के अन्तिम चरण में योजना संकेत संख्या 60101002 के अन्तर्गत एक इकाई की स्थापना की गई है। वर्ष 1978-79 में लगभग 400 पाठ्यपुस्तकों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की गई। युनिसेफ सहायता कार्य-क्रम के अन्तर्गत लगभग 5.39 लाख रुपये की विज्ञान विषयक पाठ्य-पुस्तकें वर्ष 1978-79 में वितरित की गईं।

जुलाई, 1978 से प्रारम्भ शिक्षा-सत्र 1978-79 हेतु कक्षा 1 से 8 तक के लिये शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तथा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों की सूची निम्नवत है:—

कक्षा 1

1—बेसिक हिन्दी रीडर—भाग 1 (पुनः रचित संस्करण)

कक्षा 2

1—बेसिक हिन्दी रीडर—भाग 2
2—बेसिक अंकगणित—भाग 2

कक्षा 3

1—बेसिक हिन्दी रीडर—भाग 3
2—बेसिक अंकगणित—भाग 3
3—विज्ञान आओ करके सीखें—भाग 1
4—हमारी दुनिया हमारा समाज—भाग 1

कक्षा 4

1—बेसिक हिन्दी रीडर—भाग 4
2—बेसिक अंकगणित—भाग 4
3—विज्ञान आओ करके सीखें—भाग 2
4—हमारी दुनिया हमारा समाज—भाग 2

कक्षा 5

1—बेसिक हिन्दी रीडर—भाग 5 (पुनः रचित संस्करण)
2—बेसिक अंकगणित—भाग 5
3—विज्ञान आओ करके सीखें—भाग 3
4—हमारी दुनिया हमारा समाज—भाग 3

कक्षा 6

1—नवभारती—भाग 1
2—हमारे पूर्वज—भाग 1
3—सामान्य हिन्दी—कक्षा 6, 7 और 8 के लिये
4—अंकगणित—भाग 1
5—बीजगणित और रेखागणित—भाग 1
6—प्रारम्भिक विज्ञान—भाग 1
7—हमारा भूमण्डल—भाग 1
8—हमारा इतिहास तथा नागरिक जीवन—भाग 1
9—कृषि विज्ञान—भाग 1 (पुनः रचित संस्करण)
10—बेसिक इंगलिश रीडर—बुक 1
11—जनरल इंगलिश—कक्षा 6, 7 और 8 के लिये
12—संस्कृत सुबोध—भाग 1
13—स्काउटिंग कक्षा—6, 7 और 8 के लिये

कक्षा 7

1—नवभारती—भाग 2
2—हमारे पूर्वज—भाग 2
3—सामान्य हिन्दी—कक्षा 6, 7 और 8 के लिये
4—अंकगणित—भाग 2
5—बीजगणित और रेखागणित—भाग 2
6—प्रारम्भिक विज्ञान—भाग 2
7—हमारा भूमण्डल—भाग 2
8—हमारा इतिहास तथा नागरिक जीवन—भाग 2
9—कृषि विज्ञान—भाग 2 (पुनः रचित संस्करण)
10—बेसिक इंगलिश रीडर—बुक 2
11—जनरल इंगलिश—कक्षा 6, 7 और 8 के लिये

12--संस्कृत सुबोध--भाग 2
13--स्काउटिंग--कक्षा 6, 7 और 8 के लिये

कक्षा 8

1--नवभारती--भाग 3
2--हमारे पूर्वज--भाग 3
3--सामान्य हिन्दी--कक्षा 6, 7 और 8 के लिये
4--अंकगणित--भाग 3
5--बीजगणित और रेखागणित--भाग 3
6--प्रारम्भिक विज्ञान--भाग 3
7--हमारा भूमण्डल--भाग 3
8--हमारा इतिहास तथा नागरिक जीवन--भाग 3
9--कृषि विज्ञान--भाग 3 (पुनः रचित संस्करण)
10--बेसिक इंगलिश रीडर--बुक 3
11--जनरल इंगलिश--कक्षा 6, 7 और 8 के लिये
12--संस्कृत सुबोध--भाग 3
13--स्काउटिंग--कक्षा 6, 7 और 8 के लिये

उर्दू लिपि में

कक्षा 1

1--बेसिक उर्दू रीडर--भाग 1

कक्षा 2

1--बेसिक उर्दू रीडर--भाग 2
2--बेसिक हिसाब की किताब--भाग 2

कक्षा 3

1--बेसिक उर्दू रीडर--भाग 3
2--बेसिक हिसाब की किताब--भाग 3
3--साइंस आओ तजुर्बे से सीखें--भाग 1
4--हमारी दुनिया हमारा समाज--भाग 1

कक्षा 4

1--बेसिक उर्दू रीडर--भाग 4
2--बेसिक हिसाब की किताब--भाग 4
3--साइंस आओ तजुर्बे से सीखें--भाग 2
4--हमारी दुनिया हमारा समाज--भाग 2

कक्षा 5

1--बेसिक उर्दू रीडर--भाग 5
2--बेसिक हिसाब की किताब--भाग 5
3--साइंस आओ तजुर्बे से सीखें--भाग 3
4--हमारी दुनिया हमारा समाज--भाग 3

कक्षा 6

1-हमारी जबान--भाग 1
2--अथमेटिक--भाग 1
3--अलजबरा और ज्योमेटरी--भाग 1
4--हमारी तारीख और इल्म तमद्दुन--भाग 1
5--हमारा कुर्रये जमीन--भाग 1
6--इब्तिदायी साइंस--भाग 1

कक्षा 7

1--हमारी जबान--भाग 2
2--अर्थमेटिक--भाग 2
3--अलजबरा और ज्योमेटरी--भाग 2
4--हमारी तारीख और इल्मतमद्दुन--भाग 2
5--हमारा कुर्रये जमीन--भाग 2
6--इब्तिदायी साइंस--भाग 2

कक्षा 8

1--हमारी जबान--भाग 3
2--अथमेटिक--भाग 3
3--अलजबरा और ज्योमेटरी--भाग 3
4--हमारी तारीख और इल्मतमद्दुन--भाग 3
5--हमारा कुर्रये जमीन--भाग 3
6--इब्तिदायी साइंस--भाग 3

यूनिसेफ सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान विषयों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ विभाग को उपहार स्वरूप कागज इस प्रतिबन्ध के साथ प्राप्त हुआ है कि प्राप्त कागज के मूल्य के बराबर का विज्ञान विषयक पाठ्य-पुस्तकें निर्धन एवं जरूरतमन्द छात्रों में निःशुल्क वितरित की जाय, अतएव इस मद के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 से लगभग 8.37 लाख रुपये की पुस्तकें वितरित की गई। वर्ष 1978-79 में भी पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया।

कम से कम मूल्य पर अच्छी से अच्छी पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रणार्थ वर्ष 1977-78 में विभिन्न भारतीय कागज के मिलों से रियायती दर पर 3,332 टन कागज की व्यवस्था करायी गई थी। वित्तीय वर्ष 1978-79 में 3,400 टन कागज की व्यवस्था करायी गयी। रियायती दर पर प्राप्त कागज पर मुद्रित 525 पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य निर्धारण की कार्यवाही वर्ष 1977-78 में सम्पादित की गई। वित्तीय वर्ष 1978-79 में लगभग 600 पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य निर्धारित किये गये।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना वर्ष 1973-74 तथा पंचम पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1978-79 के अन्त तक बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों की संख्या निम्नवत् है--

बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक			पंचम पंचवर्षीय योजना के वर्ष 78-79 तक			वृद्धि का प्रतिशत
	ग्रामीण क्षेत्र	नागर क्षेत्र	योग	ग्रामीण क्षेत्र	नागर क्षेत्र	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
11--प्राइमरी स्कूल	54,529	3,990	58,519	62,259	4,167	66,426	13.3
22--जूनियर हाई स्कूल	4,841	406	5,247	6,703	442	7,145	36.5
योग ..	59,370	4,396	63,766	68,962	4,609	73,571	

पंचम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 1978–79 में ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में खोले गये बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की स्थिति निम्नवत् है––

योजना संकेत सख्या 60101053 तथा 55–प्रदेश के ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान ।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 में कुल 2170 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये, जिसमें से 1873 मैदानी क्षेत्र में तथा 297 पर्वतीय क्षेत्र में खोले गये ।

योजना संकेत सख्या––60101068––प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालक बालिका सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 में 1038 सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये, जिसमें से 1000 मैदानी क्षेत्र में तथा 38 पर्वतीय क्षेत्र में खोले गये ।

योजना संकेत सख्या––60101070––प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमोत्तर कक्षायें खोलने हेतु अनुदान ।
इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 में पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र में 17 क्रमोत्तर कक्षायें खोली गई ।
योजना संकेत सख्या 60101021––नगर क्षेत्र के जूनियर बेसिक स्कूलों के रख–रखाव एवं मरम्मत हेतु अनुदान।

इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के तीन विद्यालयों को अनुदान दिया गया ।

योजना संकेत सख्या––60101050 नगर क्षेत्र के वर्तमान सीनियर बेसिक स्कूलों के रख रखाव तथा मरम्मत हेतु अनुदान।

इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के दो विद्यालयों को अनुदान दिया गया ।

योजना संकेत संख्या 6010 1058––ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं विज्ञान उपकरण बाक्स के क्रय हेतु 90,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया ।

योजना संकेत संकेत 6010 1059––नगर क्षेत्रों के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान ।

इसके लिये 30,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया ।

योजना संकेत संख्या 6010 1063––नगर क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तकों के वितरणार्थ अनुदान ।

मैदानी क्षेत्र के 10,000 छात्र छात्राओं को तीन रुपया प्रति छात्र की दर से अनुदान दिया गया ।

योजना संकेत संख्या 6010 1073––ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान 100 सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण के सुधार तथा विज्ञान उपकरण बाक्स के क्रय हेतु 2,50,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया ।

योजना संकेत संख्या 6010 1074––नगर क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार हेतु विज्ञान सामग्री तथा रख रखाव हेतु अनुदान ।

पर्वतीय क्षेत्र में 4 विज्ञान किट हेतु अनुदान दिया गया तथा मैदानी क्षेत्रों के लिये 50,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया ।

राज्य में सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या में क्रमिक विकास किया जा रहा है । निम्नलिखित आंकड़ों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है :––

वर्ष	विद्यालयों की सख्या
1976–77	10,783
1977–78	11,390
1978–79	11,428
1979–80	11,648

प्राथमिक शिक्षा (ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों) से सम्बन्धित वर्ष 1977–78 के व्यय एवं वर्ष 1978–79 के पुनरीक्षित अनुदान तथा वर्ष 1979–80 के आय व्ययक अनुमान की स्थिति निम्नवत् है :––

	1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
(1) ग्रामीण क्षेत्र	92,87,23,826	1,14,79,41,040	1,15,32,13,000
(2) शहरी क्षेत्र	10,75,60,000	15,58,85,200	19,05,29,000
योग ..	1,03,62,83,826	1,30,38,26,240	1,34,37,42,000

उपरोक्त व्यय का विभाजन निम्नवत् है :--

	1977 78 वास्तविक व्यय	1978 79 पुनरीक्षित अनुमान	1979 80 आय व्ययक अनुमान
(1) वर्तमान विद्यालयों के अनुरक्षण पर होने वाला व्यय--			
(क) ग्रामीण क्षेत्र	91,57,19,226	1,13,37,31,940	1,11,76,38,000
(ख) शहरी क्षेत्र	10,75,60,000	15,58,85,200	18,62,73,000
योग ..	1,02,32,79,226	1,28,96,17,140	1,30,39,11,000
(2) नये खुले विद्यालयों पर होने वाला व्यय--			
(क) ग्रामीण क्षेत्र	1,30,04,600	1,42,09,100	3,55,75,000
(ख) शहरी क्षेत्र	..	..	42,56,000
योग ..	1,30,04,600	1,42,09,100	3,98,31,000

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत खोले गये नवीन विद्यालयों पर निम्नांकित मदों पर 8 माह में होने वाले औसत व्यय का विवरण निम्नवत् प्रदर्शित है :

विद्यालय	विज्ञान उपकरण पर व्यय		भवन पर व्यय	फर्नीचर पर व्यय	अध्यापकों पर व्यय (अ)	आकस्मिक मदों पर व्यय
1	2		3	4	5	6
(क) जूनियर बेसिक स्कूल -						
(1) ग्रामीण क्षेत्र	300	मैदान	28,500			
		पहाड़	26,700	400	2,585	100
		बुन्देलखण्ड	39,900			
(2) शहरी क्षेत्र			28,000	2,000	13,026	1,900ब
(ख) सीनियर बेसिक स्कूल--						
(1) ग्रामीण क्षेत्र	2,500	मैदान	66,200	3,000	14,188	500
		पहाड़	92,000			
		बुन्देलखण्ड	92,700			
(2) शहरी क्षेत्र			50,000	3,000	14,284	2,600स
(ग) क्रमोत्तर कक्षायें						
(1) ग्रामीण क्षेत्र			..	500	1,568	200द
(2) शहरी क्षेत्र			..	750	2,750	200 (प्र0 वर्ष)

नोट--(अ) स्तम्भ 5 में प्रदर्शित अध्यापकों पर होने वाला व्यय केवल 8 माह का है । ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर बेसिक स्कूल के सम्मुख स्तम्भ 5 में प्रदर्शित व्यय पंचम पंच वर्षीय योजनान्तर्गत खोले गये एक अध्यापकीय विद्यालय से सम्बन्धित है ।

(ब) इस धनराशि में किराये और मरम्मत के लिये 200 रु0 प्रति माह आकस्मिक व्यय मद के लिये 200 रु0 वार्षिक एवं लेखन सामग्री हेतु 100 रु0 वार्षिक सम्मिलित है ।

(स) इस धनराशि में किराया एवं मरम्मत हेतु 200 रु0 मासिक आकस्मिक मद के लिये 700 रु0 वार्षिक एवं लेखन सामग्री हेतु 300 रु0 वार्षिक सम्मिलित है ।

प्राथमिक शिक्षा के विकास को निम्नांकित बिन्दुओं से भी देखा जा सकता है :

एक विद्यालय पर होने वाले व्यय का औसत विवरण निम्नवत् है :

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
क---जूनियर बेसिक स्कूल--					
(1) ग्रामीण क्षेत्र	2,384	4,065	4,124	4,184	4,244
(2) शहरी क्षेत्र	23,526	32,253	32,573	32,894	33,214

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
ख - सीनियर बेसिक स्कूल -	रु0	रु 0	रु0	रु0	रु0
(1) ग्रामीण क्षेत्र	20,463	22,787	22,918	23,433	24,330
(2) शहरी क्षेत्र	19,884	25,154	25,644	26,133	26,623
ग --क्रमोत्तर कक्षायें -					
(1) ग्रामीण क्षेत्र	872	4,586	7,433	8,520	8,719
(2) शहरी क्षेत्र	..	..	..	..	..
2--अध्यापक छात्र अनुपात -					
(1) जूनियर बेसिक स्कूल	..	..	..	..	1.49
(2) सीनियर बेसिक स्कूल	..	..	..	..	1.26

नोट—छठीं पंचवर्षीय योजनायें क्रमोत्तर कक्षाओं का कोई प्राविधान नहीं है ।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में भी पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है । प्रत्येक जनपद में अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत 11–14 आयु वर्ष के बालक/बालिकाओं को भाषा ज्ञान तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु 35 अंशकालिक कक्षायें चलाई जा रही हैं ।

शासन के पर्वतीय विकास विभाग द्वारा प्रदेश के आठों पर्वतीय जनपदों के प्रत्येक ब्लाक को एक एक लाख रुपये वर्ष 1976–77 व 1977–78 में स्वीकृत हुआ । वर्ष 1978 79 में इन आठ जनपदों के 56 प्राइमरी तथा 26 जूनियर हाई स्कूल भवनों के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत हुआ है ।

मार्च, 1978 में परिषदीय भवन रहित प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल भवनों के निर्माणार्थ 3.49 करोड़ का अनुदान बेसिक शिक्षा परिषद् को प्राप्त हुआ है । इससे 688 प्राइमरी तथा 213 जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण कराये जा रहे हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल भवनों का मरम्मत का दायित्व स्थानीय निकायों का है किन्तु निकायों द्वारा धनाभाव के कारण मरम्मत कार्य न करवाये जाने के कारण शासन ने इस वर्ष 15 लाख रुपये की स्वीकृति दी है और तदनुसार भवनों के मरम्मत का कार्य पूरा करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को भवन उपलब्ध करा दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त विशेष वर्ष 1978–79 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु शासन ने परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु क्रमशः 15 लाख एवं 14 लाख रुपये का विशेष स्वीकृति प्रदान की है ।

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत भवन निर्माण की समस्या विद्यमान है । वर्ष 1972–73 में भवनों के लिये (8,500 रु0 प्रति भवन की दर से) 4,99,97,000 रु0 की धनराशि स्वीकृत की गयी थी । भवन सामग्रियों के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा 1,100 भवनों का निर्माण 9,300 रु0 प्रति भवन की दर से किया गया । अवशेष धनराशि को 13,500 रु0 प्रति भवन की दर से तथा भवन के सज्जा हेतु 1,350 रु0 प्रति भवन की दर से स्वीकृत किया गया है । इसके अनुसार कुछ और भवनों का निर्माण हुआ है, परन्तु पुनः क्रय हुई सामग्री के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण भवन निर्माण की दरों में निम्नलिखित प्रकार से वृद्धि की गयी :--

वर्ष 1978–79 में भवन निर्माण की दरें

	प्राइमरी स्कूल 0	जूनियर हाई स्कूल रु0
मैदानी क्षेत्र	28,500	66,200
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	39,900	92,700
पर्वतीय क्षेत्र	26,700	92,000

पर्वतीय क्षेत्र में अब तक केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश द्वारा 2,600 से अधिक भवनों का निर्माण कराया जा चुका है तथा शेष भवनों का निर्माण अभियंत्रण सेवा तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा द्रुत गति से कराया जा रहा है । ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी पाठशालाओं के लिये उपलब्ध भवनों की स्थिति निम्न प्रकार है :

ग्रामीण क्षेत्र की बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राइमरी पाठशालाओं/जूनियर बेसिक स्कूल से सम्बन्धित विवरण :
(वर्ष 1978-79 के स्थिति के अनुसार)

वर्तमान विद्यालयों की कुल संख्या		वर्तमान उपलब्ध भवनों की कुल संख्या		भवन रहित विद्यालयों की कुल संख्या	
प्राइमरी स्कूल	जूनियर हाई स्कूल	प्राइमरी स्कूल	जूनियर स्कूल	प्राइमरी स्कूल	जूनियर हाई स्कूल
1	2	3	4	5	6
62,259	6,703	50,100	4,500	12,159	2,203

बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के बाद प्राथमिक शिक्षा में व्यय का शत प्रतिशत भार शासन वहन करता है । विद्यालय की शिक्षा सर्व सुलभ कराने के अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा एवं किसान साक्षरता केन्द्रों का संचालन इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु किया जा रहा है । इसमें नये विद्यालयों के खोलने के अतिरिक्त भवन, निर्माण मरम्मत, साज-सज्जा, विज्ञान शिक्षा हेतु अनुदान, छात्र संख्या की स्थिरता निर्बल वर्ग को पाठ्य पुस्तक वितरण एवं कमोत्तर कक्षा में आदि खोलना सम्मिलित है । वर्ष 1979–80 में निम्नांकित योजनाओं के लिये उनके सम्मुख अंकित धनराशि की व्यवस्था की गई है :

		रु0
1	निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की योजना	10,00,000
2	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों को भवन निर्माण हेतु अनुदान	11,94,000
3	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों को भवन निर्माण हेतु अनुदान	27,25,000
4	प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु अनुदान ..	15,00,000
	योग ..	64,19,000

अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

बालक तथा बालिकाओं के सहायक अनुदान नामक शीर्षक के अन्तर्गत मैदानों तथा पर्वतीय जिलों के अशासकीय सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान महंगाई भत्ता, आन्तरिक सहायता भत्ता, त्रिभाषा अनुदान कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 7 से 8 तक की बालिकाओं का निःशुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्तियां, सामान्य विज्ञान विषय के संचालित हेतु अनुदान दिया जाता है । अनावर्तन अनुदान के अन्तर्गत सज्जा एवं काष्ठ प्रकरण इत्यादि के लिये अनुदान स्वीकृत किया जाता है । ये अनुदान के मद वचनबद्ध व्यय हैं, जिन पर गत वर्षों में भी अनुदान स्वीकृत किये गये हैं और आगामी वर्षों में भी धन स्वीकृत किये जायेंगे ।

प्रत्येक वर्ष बालक तथा बालिकाओं के नये पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलते हैं जिनको अस्थायी एवं स्थायी मान्यता दी जाती है । विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले विद्यालयों को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है । प्रति वर्ष इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन हुआ और अधिनियम की धारा 8 (3) के प्राविधानों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा समितियों एवं बेसिक शिक्षा परिषद् के मुख्यालयक लेखाओं की परीक्षा हेतु परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को संपरीक्षक (आडीटर) नियुक्त किया गया है । चूंकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है अतः उसके लेखा सम्परीक्षा कार्य के लिये परीक्षक स्थानीय निधि लेखा को नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क देय है । अतएव परिषद् द्वारा प्रबन्ध किये गये एवं संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के लिये गये सम्परीक्षा के शुल्क को भुगतान करने वर्ष हेतु 1978–79 के प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को वर्दी और चौकीदारों के लिये कम्बल की व्यवस्था किये जाने हेतु वर्ष 1979–80 के आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान किया गया है । साथ ही परिषद् के शिक्षकों, निरीक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के अधिकतम 3 पुत्र/पुत्रियों तथा आश्रितों को इण्टरमीडिएट स्तर तक जिनका वेतन 450 रुपये तक है, शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान करने हेतु इस वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यक व्यवस्था की गई है । यह सुविधा 1 जुलाई, 1978 से दी जाने लगी है । योजना संख्या 6101041 असहायिक मान्यता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूलों के अनुरक्षण अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के असहायिक जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लाया जाता है । वर्ष 1978–79 में पर्वतीय क्षेत्र के 15 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया । वर्ष 1979–80 में भी पर्वतीय क्षेत्र के 20 और मैदानी क्षेत्र के 40 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाये जाने का प्रस्ताव है ।

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत पर्वतीय तथा मैदानी जिलों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली कतिपय छात्रवृत्तियों के विवरण निम्नवत् हैं

क्रम संख्या	छात्र वृत्तियों के नाम	आय–व्ययक अनुमान 1979–80	छात्रवृत्तियों की संख्या एवं दर
1	2	3	4
1	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को छात्रवृत्तियां	48,000	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के आधार पर कक्षा 1–5 में 3 रु0 कक्षा–6–8 में 4 रु0 कक्षा 7 में 5 रु0 कक्षा 8 में 6 रु0 कक्षा 9–10 में 10 रु0 तथा 11–12 में 15 रु0 प्रतिमाह। पुस्तकीय सहायता (कक्षा–1–5 में 10 रु0) 6–8 में 15 रु0, 9–10 में 20 रु0 तथा कक्षा 11–12 में 25 रु0)।
2	वर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा	1,000	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के आधार पर 15 रु0 प्रति वर्ष प्रति छात्र पुस्तकीय सहायता कक्षा 1 से 5 तक 15 रु0 प्रतिवर्ष कक्षा 9 से 10 तक 60 रु0 प्रतिवर्ष कक्षा 11 से 12 तक 75 रु0 प्रति वर्ष तथा 11 से 12 तक 7 5 रु0 प्रतिमाह छात्र वृत्ति 6 से 10 तक 60 रु0 प्रतिमाह तथा 11–12 तक 75 रु0 प्रतिमाह ।

1	2	3	4
3	सीमान्त क्षेत्रों के युद्ध ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू0पी0पी0एस0सी0 जवानों स्वस्थ पुलिस कर्मचारियों के बच्चों/आश्रितों को छात्रवृत्ति	1,000	जो प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों को प्रदान की जाती हो वही इसमें भी दी जाती है ।
4	रान्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों के छात्रवेतन	1,06,000	5 रु0 प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से 448 छात्र वृत्तियाँ ।
5	सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों के बच्चों एवं आश्रितों को शैक्षिक सुविधायें	4,000	जो प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों को प्रदान की जाती है वही इसमें भी दी जाती है ।
6	1962 तथा 1965 के युद्धों के मारे गये अथवा स्थायीरूप से अपंग तथा 1971 में गये युद्ध बंदियों अथवा लापता घोषित प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों/विधवाओं को शैक्षिक सुविधायें	7,000	,,
7	वीर चक्र श्रृन्खला विजेताओं के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें	4,000	
	योग ..	1,71,000	

4—शिक्षकों का प्रशिक्षण	1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
	356.630	343.516	353.320

प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक, अध्यापिकायें सुलभ कराने हेतु प्रदेश में 154 (पुरुषों के 111 तथा महिलाओं के 43) राजकीय दीक्षा विद्यालय तथा 19 बी0टी0सी0 इकाइयों (पुरुषों के 2 तथा महिलाओं के 17) थी । इनकी वार्षिक प्रवेश संख्या 6280 पुरुष तथा 2526 महिला रही है । किन्तु प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि राजकीय दीक्षा विद्यालयों को पुनर्गठन किया जाय, जिससे इनका वार्षिक उत्पादन कम किया जा सके । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1–7–1978 से पुरुषों के 48 तथा महिलायें 2 राजकीय दीक्षा विद्यालय एवं 2 बी0टी0सी0 इकाइयां समाप्त की जा चुकी है । इसके परिणाम स्वरूप अब पुरुषों के 61 राजकीय दीक्षा विद्यालय तथा महिलाओं के 41 राजकीय दीक्षा विद्यालय एवं 15 बी0टी0सी0 इकाइयाँ कार्यरत रह गयी हैं । इनमें से इस वर्ष नया प्रवेश महिलाओं के सभी 56 तथा पुरुषों के केवल 20 विद्यालयों में किया गया है, क्योंकि शेष में समाप्त किये गये दीक्षा विद्यालयों के द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापक स्थानान्तरित किये गये हैं । इनकी वार्षिक प्रवेश संख्या अब घट कर 3050 पुरुषों के तथा 1680 महिलाओं की रह गयी है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राइमरी स्तर पर उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये 4 बी0टी0सी0 इकाइयां भी चालू रक्खी गयी हैं । इनके नाम तथा प्रवेश संख्या निम्नलिखित है—

संस्था का नाम	निर्धारित प्रवेश संख्या
1—राजकीय दीक्षा विद्यालय, मावाना, मेरठ	30
2—राजकीय दीक्षा विद्यालय, आगरा	30
3—राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ से संलग्न बी0टी0 इकाई ..	30
4—राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, सकलडीहा (वाराणसी से संलग्न बी0टी0सी0 इकाई) ..	30

सेवारत अध्यापक के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (रिफ्रेशर कोर्स) की व्यवस्था निम्नांकित प्रशिक्षण संस्थाओं में है—

यह प्रशिक्षण जूनियर स्तर के सेवारत अध्यापकों अध्यापिकाओं को दिया जाता है । प्रत्येक संस्था में यह प्रशिक्षण एक एक मास का 100–100 अध्यापक अध्यापिकाओं को वर्ष में 9(नौ) फेरों में दिया जाता है । इस प्रकार प्रत्येक संस्था में वर्ष में 900 सेवारत अध्यापक अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्राविधान है ।

प्रशिक्षण संस्थाओं का नाम जहाँ नवीन रिफ्रेशर कोर्स (पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण) प्रदान किया जाता है—

(1) राजकीय दीक्षा विद्यालय, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) ।
(2) राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, आगरा ।
(3) राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, फैजाबाद ।
(4) राजकीय दीक्षा विद्यालय, फरीदपुर (बरेली) ।
(5) राजकीय दीक्षा विद्यालय, गोवर्धन (मथुरा) ।

(6) राजकीय दीक्षा विद्यालय, बुढ़नपुर (मुरादाबाद)।
(7) राजकीय दीक्षा विद्यालय, बिसवाँ (सीतापुर)।
(8) राजकीय दीक्षा विद्यालय, शिवकुटी (इलाहाबाद)।
(9) राजकीय दीक्षा विद्यालय, नर्वल (कानपुर)।
(10) राजकीय दीक्षा विद्यालय, प्रयागपुर (बहराइच)।
(11) राजकीय दीक्षा विद्यालय, मामूरगंज, (वाराणसी)।
(12) राजकीय दीक्षा विद्यालय, पकवाइनार (बलिया)।
(13) राजकीय दीक्षा विद्यालय, मझोली राज (देवरिया)।
(14) राजकीय दीक्षा विद्यालय, टिहरी (गढ़वाल)।
(15) राजकीय दीक्षा विद्यालय, भीमताल (नैनीताल)।
(16) राजकीय दीक्षा विद्यालय, रामपुरा (जालौन)।
(17) राजकीय दीक्षा विद्यालय, छोटा मवाना, मेरठ।
(18) राजकीय जू0 ट्रे0 का0, ललितपुर।
(19) राजकीय जू0 ट्रे0 का0, गोरखपुर
(20) राजकीय दीक्षा विद्यालय, शिवगढ़, रायबरेली।
(21) राजकीय दीक्षा विद्यालय, देहरादून।
(22) राजकीय दीक्षा विद्यालय, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा।

} ये केन्द्र पंचम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत खोले गये हैं।

प्राइमरी स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार प्रणाली द्वारा बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में एक पत्राचार प्रणाली केन्द्र स्थापित है। इस केन्द्र के माध्यम से सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में काफी सहायता मिल रही है।

पूर्व माध्यमिक स्तर पर अध्यापिकाओं को राजकीय गृह विज्ञान महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद में दो वर्षीय सी0 टी0 (गृह विज्ञान) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 1977–78 से जे0बी0टी0सी0 (पुरुष) तथा सी0टी0 (महिला) का प्रशिक्षण सम्प्रति समाप्त कर दिया गया है। इस प्रशिक्षण के समाप्ति के फलस्वरूप मान्यता प्रदान प्राप्त अशासकीय जे0बी0टी0सी0 तथा सी0टी0 संस्थाओं वर्ष 1977–78 (जुलाई 1977) से समाप्त हो गई है। इसके साथ ही 4 राजकीय जे0बी0टी0सी0 तथा 3 राजकीय महिला सी0टी0 कालेजों को संभागीय शिक्षा संस्थान में परिवर्तन कर दिया गया है। ये संस्थान पूर्णरूप में जुलाई 1977 से अपने दायित्व को वहन कर रही हैं।

1––अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान––

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षक/शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा प्रकाशन है अंग्रेजी प्रशिक्षण आधुनिक विधियों, विद्याओं तथा नई तकनीकी पर आधारित है। पिछले कई वर्षों से प्रशिक्षण केवल राजकीय विद्यालयों के अंग्रेजी अध्यापक अध्यापिकाओं तक सीमित रहता था। शासन द्वारा वर्ष 1967 में लिये गये निर्णय के अनुसार जनवरी, 1968 से कुछ नये स्नातक भी सीधी भर्ती द्वारा लिये जाते हैं। यह स्नातक नितान्त बाहरी व्यक्ति हैं, जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालय में सेवारत नहीं हैं। प्रशिक्षण में इलाहाबाद के बाहर से आये हुए अध्यापक अध्यापिकाओं को रु060 प्रतिमास की छात्रवृत्ति का भी प्राविधान है।

संस्थान के क्रिया कलाप––

प्रशिक्षण––वर्ष 1977–78 तक 40 वाँ कोर्स समाप्त हुआ था और इस कोर्स के कुल 1462 अध्यापक अध्यापिकायें प्रशिक्षित हुई। वर्ष 1978–79 में 41 वाँ डिप्लोमा कोर्स जनवरी, 1978 से अप्रैल, 1978 तक चला; जिसमें 39 अध्यापक अध्यापिकायें प्रशिक्षित किये गये। 42 वाँ डिप्लोमा कोर्स 21 अगस्त, 78 से प्रारम्भ हुआ है और इसमें कुल 19 (8 पुरुष 11 महिला) अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इस प्रकार अब तक 1501 अध्यापक अध्यापिकायें प्रशिक्षित की जा चुकी हैं और 19 अध्यापक अध्यापिकायें प्रशिक्षणरत हैं।

इसके अतिरिक्त संस्थान में अन्य प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्य सम्पादित किये गये हैं जैसे क्षेत्रीय राज्य शिक्षा संस्थानों के निमित्त रिसोर्स परसनल का प्रशिक्षण राजकीय दीक्षा विद्यालय के अंग्रेजी अध्यापकों का प्रशिक्षण, प्रफिसियेन्सी कोर्स इन स्पीकेन इंगलिश, निर्देश पुस्तिका का निर्माण हाई स्कल परीक्षा के आदर्श प्रश्नों का निराकरण एवं फालोअप, जूनियर हाई स्कूल स्तर अंग्रेजी शिक्षण का उन्नयन बी0टी0सी0 पत्राचार हेतु अंग्रेजी विषय की शिक्षण सामग्री, अल्पकालीन शिविरों का आयोजन, फिल्म द्वारा शिक्षण योजना, शोध एवं प्रकाशन कार्य 13वें एवं 14वें बुलेटिन एवं लेखों का प्रकाशन।

वर्ष 79–80 में प्रस्तावित कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य पर विशेष बल दिया जायगा:

1––निर्देश पुस्तिका का निर्माण, फालोअप प्रोग्राम तथा लघुशिविर का आयोजन, दीक्षा विद्यालय तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण को प्रभावशाली बनाना इंटरमीडिएट स्तर पर राष्ट्रीयकृत पुस्तक की रचना, विस्तार सेवा संघ शोधकार्य इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंगलिश एण्ड फारेन लैंगविजेज हैदराबाद से प्रशिक्षित अध्यायपक अध्यापिकाओं को प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षण स्तरोन्नयन हेतु चार दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जायगा।

2—राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

प्रदेश स्तर पर शैक्षिक उन्नयन को नई दिशा देने तथा विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के कार्यक्रम निर्धारित, नियोजित एवं क्रियान्वित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन ने भारत सरकार की सहायता से पहली फरवरी, 1964 को राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की ॥

19 फरवरी, 1964 से 28 मार्च, 1964 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई,दिल्ली में आयोजित राज्य शिक्षा संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों तथा उप प्राचार्यों की कार्यशाला में लिये गये निर्णय तथा शासनादेश के अनुसार शिक्षा के गुणात्मक समुन्नयन हेतु निम्नांकित चार क्षेत्रों में कार्य करने का निश्चय किया गया—

1—शोध,

2—प्रशिक्षण,

3—प्रकाशन, तथा

4—प्रसार कार्य

(i) शोध कार्य—इसके अन्तर्गत संस्थान पाठ्यक्रम संशोधन तथा पुस्तक लेखन के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण, विषय-शिक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध परियोजनाओं पर कार्य करता रहा है । इनसे प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं (शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक) तक पहुंचाने तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देने का कार्य भी संस्थान करता रहा है । इसके अतिरिक्त संस्थान शिक्षा के कुछ विशिष्ट स्थलों पर शोध संबंधी कार्य करता रहा है । जिनके अन्तर्गत अध्ययन एवं अनुसंधान योजनायें सम्मिलित हैं ।

(ii) प्रशिक्षण कार्य—संस्थान प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त कर संचालित करता रहा है ।

[1] अभिनवीकरण गोठियां—इसके अन्तर्गत निरीक्षक वर्ग, शिक्षक प्रशिक्षक वर्ग तथा अध्यापक वर्गों को प्रशिक्षित किया जाता रहा है ।

[2] सेवारत प्रशिक्षण—इसके अन्तर्गत पत्राचार प्रणाली द्वारा बी० टी० सी० प्रशिक्षण दिया जाता रहा है ।

[3] प्राविधिक परामर्श एवं निर्देशन प्राविधिक इकाई के माध्यम से परामर्श एवं निर्देशन दिया जाता है ।

उपर्युक्त संवर्गों के सदस्यों को प्रति पांच वर्ष बाद अभिनवीकृत करने की सामान्य योजना के अन्तर्गत गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है ।

(iii) प्रकाशन—शैक्षिक उन्नयन संबंधी प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा संस्थान के क्रियाकलापों से शिक्षा जगत् के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं अध्यापकों को परिचित कराने के उद्देश्य से प्रकाशन कार्य को आरम्भ से ही महत्व प्रदान किया जाता रहा । शिक्षकों तथा क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को अपने कार्यों में आने वाली बाधाओं के निराकरण हेतु उपयुक्त साहित्य एवं मार्गदर्शनार्थ शिक्षा संबंधी विविध विषयों पर नवीन चिन्तन, संकल्पनायें तथा विचार अपने प्रकाशनों के माध्यम से संस्थान क्षेत्र तक पहुंचाता रहा है । संस्थान के समाचार त्रैमासिक 48 अंक तथा वार्षिक 9 अंक प्रकाशित हो चुके हैं । "प्रतिभा की किरण" और "प्रसार संदेश" वार्षिक प्रकाशित होते हैं । इसके अतिरिक्त संस्थान के क्रिया कलापों से संबंधित शोध पत्रकों, सामान्य अध्याओं आदि का भी पृथक् रूप से प्रकाशन किया जाता है । इसके अन्तर्गत 200 से अधिक प्रकाशन निकाले जा चुके हैं ॥

(iv) प्रसार कार्य—इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्री एवं अपने क्रियात्मक शोध द्वारा परीक्षण की गई विधियों, विषयवस्तु तथा साहित्य आदि का संस्थान क्षेत्र में विस्तार करता है । यह कार्य प्राथमिक प्रसार सेवा कार्य केन्द्र तथा अभिनवीकृत विद्यालय योजना के माध्यमों से सम्पन्न किया जाता है ।

पत्राचार अनुभाग—पत्राचार अनुभाग द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के संबंध में शासन, विभाग एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया जाता है । इसके अतिरिक्त भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली के सहयोग से साक्षरता निकेतन, लखनऊ, द्वारा आयोजित कार्यशाला शिविर में 15 से 35 वयवर्ग के निरक्षर लोगों के लिये प्रवेशिका, शिक्षक संदर्शिका का निर्माण किया गया । अनौपचारिक शिक्षा के लिये एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा भोपाल में आयोजित शिविर में नौसे चौदह वय वर्ग के ग्रामीण बालिकाओं के लिये भाषा प्रवेशिका का निर्माण किया गया । विस्तार सेवा विभाग आई० टी० कालेज, लखनऊ में कक्षा 6–8 तक भूगोल संबंधी गोष्ठी में अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया तथा भूगोल प्रश्नकोष निर्माण में सहायता दी गई ।

3—राज्य हिन्दी संस्थान, उ० प्र०, वाराणसी—

राज्य हिन्दी संस्थान, उ० प्र० वाराणसी शिक्षा विभाग का प्रदेशीय स्तर का हिन्दी भाषा संस्थान है जो इलाहाबाद में आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान की तरह है । संस्थान में हिन्दी से संबंधित प्रकाशन, प्रशिक्षण एवं शोधकार्य होते हैं । संस्थान में प्रशिक्षण कार्य निर्धारित योजना के अनुसार विभिन्न संगोष्ठियों में संचालित किया जाता है ।

4—राज्य शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, आगरा एवं इलाहाबाद—

पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के लिये छात्राध्यापिकाओं को राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला विद्यालयों में दो वर्षीय सी० टी० (शिशु शिक्षा) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । ये संस्थायें जुलाई सन् 1965 से सेवारत हैं । इनमें प्रशिक्षणार्थियों को शिशु शिक्षण विधि का ज्ञान मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक पद्धति से कराया जाता है । शिशु शिक्षण हेतु अनेक अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं को तैयार करके शिशुओं की शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है ।

प्रशिक्षण संस्थाओं से संबंधित वर्ष 1978–79 की स्थिति के अनुसार कतिपय सूचनायें निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित हैं —

विवरण	राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें		अराजकीय प्रशिक्षण संस्थायें	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
क—प्राइमरी स्तर				
1—राजकीय दीक्षा विद्यालयों की संख्या	65	41	..	..
2—बी0टी0 सी0 इकाइयों की संख्या	..	15	..	..
3—बी0टी0 सी0 प्रशिक्षण संस्था की वर्ष 1978–79 की निर्धारित प्रवेश संख्या (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)	1120	1560	..	..
4—1978 की परीक्षा में बैठने वालों की संख्या	5541	3025	..	..
5—उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	5220	2474	..	.
ख—मिडिल स्तर				
6—सी0टी0 (गृह विज्ञान) (महिला)	..	1	..	..
7—1978 की परीक्षा में बैठने वाली छात्राध्यापिकायें	..	37	..	..
8—उत्तीर्ण होने वाली छात्राध्यापिकायें	..	31	..	..
9—सी0टी0 नर्सरी (महिला)	..	2	..	3
10—1978 की परीक्षा में बैठने वाली छात्राध्यापिकायें	..	50	..	89
11—उत्तीर्ण होने वाली छात्राध्यापिकायें	..	41	..	69
12—सी0पी0एड0	1	1	2	..
13—1978 की परीक्षा में बैठने वालों की संख्या	50	24	118	..
14—उत्तीर्ण होने वालों की संख्या	48	23	113	..

नोट—बी0टी0सी0एवं सी0पी0एड0 की परीक्षा में आंशिक परीक्षार्थियों की संख्या भी सम्मिलित है ।

वर्ष 1978–79 में विज्ञान शिक्षण की सुव्यवस्था हेतु प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध कराने के लिये स्नातक वेतन क्रम में विज्ञान अध्यापकों के दो अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है तथा यूनिसेफ द्वारा प्रदान किये गये विज्ञान किटों के रखरखाव हेतु 20 दीक्षा विद्यालयों को 6,500 रु0 प्रति विद्यालय की दर से 1,30,000 रु0 (एक लाख तीस हजार) का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया । इसके अतिरिक्त 5 नये दीक्षा विद्यालयों को विज्ञान किट देने के लिये यूनिसेफ को संस्तुति भी भेजी गई है ।

इसके अतिरिक्त वाराणसी, इलाहाबाद तथा मिर्जापुर जिलों को एक–एक तहसीलों में स्थित जूनियर हाई स्कूलों में कालीन बुनाई की शिक्षा प्रायोगिक रूप से प्रारम्भ की गई है ।

VII—न्यूनतम आवश्यकतायें–कार्यक्रम—

1977–78 का वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
659.463	993.215	267.560

बेसिक शिक्षा से संबंधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का प्राविधान, जो वर्ष 1974–75 तक "अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता" नामक लघु शीर्षक में होता रहा, वर्ष 1975–76 से एक नये लघु शीर्षक "न्यूनतम आवश्यकताओं" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शित किया गया है । वर्ष 1976–77 से बेसिक शिक्षा परिषद् के ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार, विज्ञान सामग्री के क्रय तथा उनके अनुरक्षण हेतु अनुदान दिये जाने का निर्णय किया गया तथा जिसके लिये उक्त वर्ष के आयोजनागत आय–व्ययक में कुल 2,10,000 रु0 की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई थी ।

योजना आयोग के निर्देशानुसार अब प्रारम्भिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के सभी कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गये हैं । इनके परिव्यय तथा व्यय का विवरण निम्नवत् है--

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय तथा व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये में)

मद	पाँचवी योजना का परिव्यय		वर्ष 1974-78 का वास्तविक व्यय		वर्ष 1978-79 का अनुमानित व्यय		वर्ष 1979-80 का परिव्यय	
	कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1--प्राथमिक शिक्षा	47.32	6.34	33.75	4.25	16.28	2.30	7.14	3.06
2--प्रौढ़ शिक्षा	2.06	0.08	0.87	0.05	1.12	0.08	1.26	0.26
योग ..	49.38	6.42	34.62	4.30	17.40	2.38	8.40	3.32

इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नांकित नई योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये उनके सन्मुख अंकित धनराशि की व्यवस्था वर्ष 1979-80 में की गई है--

	रु0
1--ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन बालकों एवं बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने तथा उनके भवनों के निर्माण हेतु अनुदान	92,20,000
2--ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	79,89,000
3--नागर क्षेत्रों में बालकों तथा बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	31,02,000
4--ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों की साज-सज्जा हेतु अनुदान	4,00,000
5--ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान	10,00,000
6--जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	20,00,000
7--छः से ग्यारह वर्ष के बच्चों को विद्यालयों में लाने हेतु छात्रवृत्ति अभियान	20,000
8--जूनियर बेसिक स्कूलों को शिक्षण्ण सामग्री हेतु अनुदान	10,25,000
9--निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान	5,00,000
योग ..	2,32,56,000

VIII--अन्य-व्यय

1977-78	1978-79	1979-80
वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
170.077	199.182	873.180

इस शीर्षक के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा निबन्धक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद कार्यालय प्राथमिक, विद्यालयों के बच्चों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था, पूर्व विद्यालयीय बच्चों एवं गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार की व्यवस्था एवं कुछ विविध प्रकार की संस्थाओं जैसे शिक्षक कल्याण निधि के लिये नेशनल फाउन्डेशन को अनुदान "शिक्षकों को राज्य पुरस्कार" आर्य प्रतिनिधि सभा को अनुदान एवं आधारिक विद्यालयों (बेसिक स्कूलों) के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार तथा सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों कर्मचारियों के लिये वेतन वितरण की व्यवस्था के प्रावधान की व्यवस्था की गई है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा माध्यमिक स्तर की इंटरमीडियेट परीक्षा को छोड़कर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षिक एवं नियुक्ति संबंधी अनेक परीक्षाओं का प्रबन्ध विभागीय परीक्षा निबन्धक द्वारा किया जाता है । राजकीय दीक्षा विद्यालयों एवं बी०टी०सी० इकाइयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों एवं छात्राध्यापकों को एच०टी०सी०, बी०टी०सी० तथा उर्दू, फारसी, अरबी आदि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का संचालन इनके माध्यम से किया जाता है । (एकीकृत छात्र-वृत्ति परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या दूने से अधिक बढ़ गई है । साथ ही कुछ नई परीक्षाओं के समावेश होने के कारण परीक्षकों की संख्या में वृद्धि होने से पारिश्रमिक पर भी अधिक व्यय होने की संभावना है) शासना द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वर्ष 1979 से जूनियर हाई स्कूल की परीक्षायें प्रदेशीय स्तर पर ली जाने लगी हैं ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत रु0 6,73,99,800 की वृद्धि प्रदर्शित है । यह वृद्धि मुख्यत: 1 मई, 1979 से अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों पर वेतन वितरण अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप अतिरिक्त प्रावधान किये जाने के कारण है ।

I—निदेशन और प्रशासन—

1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
54.999	62.603	98.060

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत व्यवहृत होने वाले समस्त कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। यह निदेशालय में माध्यमिक शिक्षा स्तर के कार्यालयों एवं विद्यालयों के निदेश एवं मार्ग दर्शन के अतिरिक्त प्रदेश के शिक्षा विभाग से संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत नवीन योजनाओं का प्रारूप तैयार करता है तथा उन योजनाओं में होने वाली न्यूनताओं का निर्धारण कर उनके सफल कार्यान्वियन में योगदान देता है, शिक्षा में गुणात्मक एवं चरित्रात्मक सुधार तथा उनके उन्नयन के लिये गोष्ठियों तथा सम्मेलनों आदि के आयोजन से सम्बन्धित कार्य का सम्पादन इसी निदेशालय द्वारा किया जाता है । इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर होने वाले समस्त व्यय इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रदर्शित किये जाते हैं ।

माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालयों में वेतन वितरण व्यवस्था एवं इन सभी विद्यालयों के लेखों की समुचित जांच करने के लिये शिक्षा विभाग के लेखा संगठन को सुदृढ़ किया जा रहा है । निदेशालय के मुख्यालय में लेखा परीक्षा संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की गई है । इस योजना के अन्तर्गत एक मुख्य लेखाधिकारी तथा 2 ज्येष्ठ लेखाधिकारी एवं एक लेखाधिकारी की नियुक्ति की गई है । मण्डलीय एवं जिला स्तर पर भी लेखाधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों एवं ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ सम्प्रेक्षकों तथा लेखाकारों एवं ज्येष्ठ एव कनिष्ठ प्रालेखकों आदि के विभिन्न स्तर के पदों का सृजन किया गया है । मण्डलीय एवं जिला स्तर पर बहुत से अधिकारियों के पद प्रोन्नति के आधार पर भरे गये हैं ।

इस निदेशालय के अन्तर्गत मुख्यालय, इलाहाबाद एवं शिविर कार्यालय, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नवत् है—

क्रम संख्या	पदों के नाम	वेतनमान			पदों की संख्या
1	2	3			4
		रु0			
1	शिक्षा निदेशक ..	2,250-2,750	..	..	1
2	अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)	1,600-2,000	..	..	1
3	संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय)	1,400-1,800	..	..	1
4	संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला प्रशिक्षण)	1,400-1,800	..	..	2
5	मुख्य लेखाधिकारी	1,200-1,800	..	..	1
6	उप शिक्षा निदेशक (शिविर, संस्कृत, मा0)	900-1,600	..	..	3
7	निदेशक (तकनीकी सेल)	900-1,600	..	..	1
8	सहायक निदेशक (भवन एवं एन0एफ0सी0)	800-1,450	..	..	2
9	ज्येष्ठ लेखाधिकारी	800-1,450	..	..	1
10	सहायक उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक, महिला, विज्ञान सेवायें) (अर्थ-1, अर्थ-3)	550-1,200	..	..	6
11	वैयक्तिक सहायक	550-1,200 (रु0 50 विशेष वेतन)		..	1
12	लेखाधिकारी	650-1,300	..	..	1
13	लेखाधिकारी	550-1,200	..	..	40
14	सांख्यिकी अधिकारी	550-1,200	..	..	1
15	विधि अधिकारी	550-1,200	..	..	1
16	स्क्रिप्ट राइटर (तकनीकी सेल)	450-950	..	..	2
17	सहायक लेखाधिकारी	450-950	..	..	30
			योग	..	95

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राविधान में 35,45,700 रु0 की वृद्धि हुई है । यह वृद्धि मुख्यतः शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धियों पर व्यय होने तथा "माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण" एवं "चतुर्थ मिनी शैक्षिक सर्वेक्षण" योजनाओं के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय के कारण है ।

11—निरीक्षण—

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
रु0 112.527	रु0 120.860	रु0 125.080

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय एवं जिला स्तर के निरीक्षक अधिकारियों एवं उनके कार्यालयों तथा स्टाफ से सम्बन्धित व्यय इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है । मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक एवं मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका मण्डलीय स्तर पर तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका जिला स्तर पर हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर के शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालयों का निरीक्षण एवं इन विद्यालयों से सम्बन्धित अन्य प्रशासकीय कार्य करते हैं तथा समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों का अनुपालन उन विद्यालयों के प्रशासकों द्वारा कराते हैं । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हाई स्कूल इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि का समय से भुगतान भी इन अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है । वर्ष 1974–75 तथा 1977–78 में घोषित नये जिलों ललितपुर तथा गाजियाबाद में माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालयों की देख भाल एवं निरीक्षण करने के लिये एक जिला विद्यालय निरीक्षक एवं एक बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई तथा उनके लिये आवश्यक स्टाफ भी नियुक्त करके कार्यालयों की भी स्थापना की गयी है ।

प्रदेश के मैदानी जिलों के 17 जिला विद्यालय निरीक्षकों के पद तथा पर्वतीय जिलों के 2 जिला विद्यालय निरीक्षकों के पद उत्तर प्रदेश बेसिक शैक्षिक सेवा (कनिष्ठ वेतनक्रम) में थे । शिक्षा की प्रगति एवं माध्यमिक व बेसिक शिक्षा के एकीकरण के फलस्वरूप जिला विद्यालय निरीक्षकों के ऊपर अधिक जिम्मेदारी आ गई । जिला विद्यालय निरीक्षक अब जिले का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी घोषित कर दिया है । अतः जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की गणना को देखते हुये प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा ज्येष्ठ वेतन क्रम में (800–1,450) कर दिया गया है । इस शीर्षक के अन्तर्गत 4,22,000 रु0 की वृद्धि की गई है, जो सामान्यतया वेतन तथा पंचम पंच वर्षीय योजना काल में सृजित निरीक्षण वर्ग के अधिकारियों एवं उनके स्टाफ पर होने वाले वचनबद्ध व्ययों के विलीनीकरण तथा सहयुक्त विद्यालय निरीक्षकों/निरीक्षिकाओं एवं जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं एवं स्टाफ के पद सृजनार्थ नई योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत मण्डलीय तथा जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या निम्नवत् है :—

क्रम सं0	अधिकारियों के पद	वेतनक्रम			पदों की संख्या
1	2	3			4
		रु0			
1	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक	900–1,600	..	..	11
2	मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका	800–1,450 (100 रु0 विशेष वेतन)		..	11
3	जिला विद्यालय निरीक्षक	800–1,450	..	..	56
4	विज्ञान प्रगति अधिकारी	550–1,200	..	..	11
5	सहयुक्त जिला विद्यालय निरीक्षक	550–1,200	..	..	33
6	जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका	550–1,200	..	..	6
7	सह मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका	550–1,200	..	..	3
8	निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें	550–1,200	..	..	1
9	सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें	450–950	..	..	10
10	परियोजना अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)	450–950	..	..	56
				योग ..	198

माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारियों के निरीक्षण दिवस की सूचना निम्नवत् है :—

अधिकारी के पद	शिक्षा संहिता के अनुच्छेद	निरीक्षण दिवस का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4
1—मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक	16(10)	कम से कम वर्ष में चार मास (120) दिन	शि0नि0 द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है ।
2—मण्डलीय बालिका विद्यालय	42(9)	वर्ष में चार महीने का दौरा	शि0नि0 की स्वीकृति लेनी होगी।
3—जिला विद्यालय निरीक्षक	20(5)	वर्ष में 6 से 10 सप्ताह तक बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।
	24	दो वर्ष में कम से कम एक-एक बार बालकों के प्रत्येक मान्यताप्राप्त उ0 मा0 वि0 का औपचारिक रूप से पूर्ण निरीक्षण जो तीन दिन का होना चाहिये ।	
	25	वर्ष में एक बार नियमित रूप से परिदर्शन की मा0 बा0वि0नि0	
4—निरीक्षक, संस्कृत विद्यालय	53	60 दिन है ।	
5—सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें	54	150 दिन है ।	

III—राजकीय माध्यमिक विद्यालय—

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
677.787	749.703	814.560

वर्ष 1978–79 में मैदानी जिलों में 17 तथा पर्वतीय जिलों में 11 नये राजकीय हाई स्कूल असेवित क्षेत्रों में खोले गये तथा 11 (6 मैदानी जिलों तथा 5 पर्वतीय जिलों के) राजकीय हाई स्कूलों को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किया गया । 11 राजकीय इण्टर कालेजों में द्विपाली योजना प्रारम्भ की गई । इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र में 16 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण किया गया । इस समय प्रदेश में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 600 है । इनमें बालकों के 426 तथा बालिकाओं के 174 विद्यालय हैं । मैदानी तथा पर्वतीय जिलों में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है:—

क्षेत्र	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय		
	बालक	बालिका	योग
1—48 मैदानी जिलों में	107	135	242
2—8 पर्वतीय जिलों में	319	39	358
56 जिलों में	426	174	600

माध्यमिक शिक्षा के विकास के उद्देश्य में वित्तीय वर्ष 1978–79 में कतिपय योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के विपरीत प्राप्त उपलब्ध लक्ष्यों का विवरण निम्नवत् है :—

योजना संकेत संख्या	योजना का नाम	प्रस्तावित लक्ष्य			
		मैदानी क्षेत्र		पर्वतीय क्षेत्र	
		निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियां	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6
60101039	प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूलों का प्रान्तीयकरण	यह मैदानी क्षेत्र में नहीं लागू है		10 विद्यालय	12 विद्यालय
60102025	राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नयन तथा नये राजकीय हाई स्कूलों का खोला जाना	15 विद्यालय	17 विद्यालय	19 विद्यालय	11 विद्यालय

1	22	3	4	5	6
60102025	राजकीय हाई स्कूलों का इइण्टर स्तर तक उच्चीकरण	6विद्यालय	6विद्यालय	5विद्यालय	5विद्यालय
60102027	राजकीय उच्चतर माध्यम्मिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नये विषयों का समावेश	45 विद–पद	11अति0पद	60 पद	19 पद
60102029	चुने हुये राजकीय उच्चतरर माध्यमिक विद्यालय में द्विपालीप्रथा की व्यव्वस्था	10विद्यालय	11विद्यालय	(यह पर्वतीय क्षेत्र में लागू नहो है ।	
60102038	अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रन्तीय–करण	3विद्यालय	..	30विद्यालय	16विद्यालय
60102039	राजकीय उच्चर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिये सुव्विधायें तथा नवीन विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्म्माण	8विद्यालय	4विद्यालय	8 विद्यालय	7विद्यालय

छठीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1979–80 में 35 राजकीय जूनियर हाई स्कूल खोलने हेतु 22 राजकीय हाई स्कूलों को इण्टर स्तर तक उच्चीकृत करने तथा 11 अशासकीय विद्यालय जिनकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है, के प्रान्तीयकरण किये जाने की प्रस्तावना है ।

योजना संकेत संख्या 60102028––प्रतिभावान छात्रों के लिये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आवासीय शिक्षा की व्यवस्था––पंचम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों के लिये प्रदेश के 20 जनपदों में आवासीय शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई । वर्ष 1978–79 में इस योजना का विस्तार 6 और जनपदों में किया गया । इस योजना का कक्षा 11 तथा 12 में भी विस्तार किया गया है । इस वर्ष से आवासीय शिक्षा योजनान्तर्गत अध्ययन करने वाले छात्रों में से मैदानी क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के छात्रों को 18 प्रतिशत स्थान पर प्रवेश देने के लिये आदेश निर्गत किये गये ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की पुस्तकों की राष्ट्रीयकरण योजना 1974 में स्वीकृत की गई थी । सर्वप्रथम परिषद् की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की हिन्दी तथा अंग्रेजी और हाई स्कूल गणित एवं विज्ञान की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के आदेश दिये गये । अब तक हाई स्कूल हिन्दी, इंटर हिन्दी तथा हाई स्कूल अंग्रेजी की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् को पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण विभाग द्वारा वर्ष 1978–79 में निम्नलिखित पुस्तकों के सम्मुख अंकित संख्या में आकृतियाँ निकाली गईई है :––

हाई स्कूल स्तर की पुस्तकें			इंटरमीडिएट स्तर की पुस्तकें	
हिन्दी	आकृतियों की संख्या	अंग्रेजी	हिन्दी	अकृतियों की संख्या
1––गद्य संकलन	4,10,000	1––इंगलिस रीडर	1––गद्य गरिमा	1,76,000
2––काव्य संकलन	4,,20,000	2––सप्लीमेन्टरी रीडर	2––काव्यांजलि	1,85,000
3––रंग-भारती	4,45,000	3––ग्रामर एण्ड कम्पोजीशन	3––कथा भारती	1,87,000
4––संस्कृत परिचायिका	4,25,000		4––संस्कृत दिग्दर्शिका	2,10,000

वर्ष 1978–79 में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन की सुविधा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित योजनाओं में उनके सम्मुख अंकित विद्यालयों के लिये आर्थिक स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गई :––

1––राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण	16 वर्पतीय क्षेत्र ।
2–– ,,	1 मदानी क्षेत्र ।
3––राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का विस्तार एवं विद्युतीकरण	18 पर्वतीय क्षेत्र ।
4––राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का विस्तार एवं विद्युतीकरण	7 मैदानी क्षेत्र ।
5––राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिये सुविधायें तथा विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण ।	4 पर्वतीय क्षेत्र ।
6–– ,,	2 मैदानी क्षेत्र

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राविधानों में 64,85,700 रु0 की वृद्धि की गई है जो मुख्यतः वार्षिक वेतन वृद्धियों एवं बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दर से महंगाई भत्ता दियेजाने,, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 6–12 में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नये विषयों का समावेश करने, द्विपाली प्रथा की व्यवस्था करने, नवीन विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण करने, राजकीय उच्चआधारिक (सीनियर बेसिक) विद्यालयों का माध्यमिक स्तर पर उन्नयन करने एवं नये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के खोले जाने के कारण है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत नई मांगों की अनुसूची द्वारा निम्नांकित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी उनके सन्मुख अंकित धनराशि की व्यवस्था की गई है :—

		(रुपया)
1—राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसों की सुविधा	.. ..	7,66,000
2—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टीपालेखक के एक-एक पद का सृजन	.. ..	9,7,000
3—राजकीय महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का विकास	.. ..	73,000
	योग ..	9,36,000

IV—अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
	6476.152	6235.046	6429.230

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन, महंगाई तथा क्षतिपूर्ति आदि पर होने वाले व्यय के लिये अनुदान दिये जाते हैं। इस शीर्षक के अन्तर्गत बालक तथा बालिका विद्यालयों को आयोजनेत्तर पक्ष के प्राविधान से निम्न प्रकार के अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं :—

(i) अनुरक्षण आवर्तक अनुदान—वेतन तथा महंगाई भत्ता विज्ञान अध्यापकों को अग्रिम वेतन-वृद्धि एवं त्रिभाषा अनुदान।
(ii) असहायिक विद्यालयों को कक्षा 6 की क्षतिपूर्ति अनुदान।
(iii) रु0 450 तक वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के बच्चों को अर्द्धशुल्क मुक्ति।
(iv) निर्वाह निधि का राजकीय अंश।
(v) आँग्ल भारतीय विद्यालयों को अनुदान।
(vi) कक्षा 7 से 10 तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति।
(vii) क्रमोत्तर कक्षाओं को अनुदान।
(viii) रीजनल कालेज, अजमेर से अध्यापकों को प्रशिक्षण।

2—आवर्तक अनुदान :

(i) साज-सज्जा काष्ठोपकरण :
(ii) भवन अनुदान।
(iii) पुनर्संगठन अनुदान।
(iv) प्राकृतिक प्रकोपग्रस्त अशासकीय उ0 मा0 वि0 को अनावर्तक अनुदान।
(v) जमीन्दारी उन्मूलन अनुदान।

वर्ष 1977-78 तक प्रदेश में 3937 बालक, 707 बालिकाओं के कुल 4644 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहे थे। जिनमें से 2503 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के तथा 2141 विद्यालय नगर क्षेत्र में स्थित थे। इनमें 519 शासन, 4011 निजी प्रबन्ध एवं 114 स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे थे।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों एवं कार्यरत अध्यापकों की संख्या निम्नवत् है :—

शीर्षक	1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4
(क) मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय :—			
(1) लड़कों के ..	3853	3937	3954
(2) लड़कियों के ..	684	707	717
(ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या :			
(1) लड़कें .. (अ)	2358101	2286948	2460216
(2) लड़कियों .. (ब)	607552	583235	669487
(ग) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या :			
(1) पुरुष ..	85836	85,545	86,037
(2) महिला ..	17727	18,527	18,612

1	2	3	4
(घ) माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या।			
1—हाई स्कूल परीक्षा—			
(1) लड़कों की शिक्षा संस्थायें . . .	3716	3717	4090
(2) लड़कियों की शिक्षा संस्थायें . . .	630	632	685
2—इंटरमीडिएट परीक्षा :—			
(1) लड़कों की शिक्षा संस्थायें . . .	2001	2002	2183
(2) लड़कियों की शिक्षा संस्थायें . .	367	368	393

*वर्ष 1978–79 के आँकड़े अस्थायी हैं।

(अ) एवं (ब) इंटर कक्षाओं के विद्यार्थी सम्मिलित नहीं है।

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार के अनुदान देने एवं विद्यालयों के विकास की व्यवस्था की गई है, जिनमें से कतिपय योजनायें निम्नवत् हैं :—

1—योजना संकेत संख्या 601102057—असाहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के असाहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1968–79 में पर्वतीय क्षेत्र के 19 विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया। वर्ष 1979–80 में 6 पर्वतीय क्षेत्र में तथा 30 मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाये जाने का प्रस्ताव है।

2—योजना संकेत संख्या 601102059—सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त छात्र संख्या तथा सिनेटरी सुविधा हेतु अनुदान।

इस योजना के अधीन जिन विद्यालयों में छात्र संख्या में वृद्धि हो जाती है, उन्हें अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा साज-सज्जा के लिये अनावर्तक अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1978–79 में इस योजना के अन्तर्गत 154 विद्यालयों को अनुदान दिया गया तथा वर्ष 1979–80 में पर्वतीय क्षेत्र के 23 विद्यालयों को तथा मैदानी क्षेत्र के 45 विद्यालयों को अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है।

3—योजना संकेत संख्या 601022060—सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकालय के सम्वर्धन हेतु अनुदान।

इस योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को अच्छी पुस्तकें खरीदने के लिये अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1978–79 में पर्वतीय क्षेत्र के 29 तथा मैदानी क्षेत्र के 60 विद्यालयों को पुस्तकालय अनुदान दिया गया। वर्ष 1979–80 में 20 विद्यालयों को अनुदान दिये जाने की प्रस्तावना है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के 6 विद्यालय सम्मिलित हैं।

4—योजना संकेत संख्या 601020065—सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान।

वर्ष 1978–79 में प्रदेश के 1017 विद्यालयों को यह अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष 1979–80 में भी 90 विद्यालयों को यह अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के 18 विद्यालय सम्मिलित हैं।

5—योजना संकेत संख्या 601022072—सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला तथा विज्ञान उपकरण हेतु प्राविधान।

इस योजना के अन्तर्गत विज्ञान विषय से संचालित विद्यालयों को विज्ञान शिक्षा में सुधार हेतु यह अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1978–79 में प्रदेश के 105 विद्यालयों को यह अनुदान दिया गया तथा वर्ष 1979–80 में 52 विद्यालयों को यह अनुदान दिया जाने का प्रस्ताव है जिसमें 7 विद्यालय पर्वतीय क्षेत्र के सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उक्त शीर्षक में रु0 1,94,118,400 की वृद्धि हुई है जो सहायता प्राप्त 30 माध्यमिक विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान देने तथा विकास हेतु विभिन्न प्रकार की नई योजनाओं के क्रियान्वित किये जाने के फलस्वरूप है। इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों को रुपए 750 प्रतिमास से अनधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को महानगरपालिका क्षेत्र में 10% तथा अन्य 14 नगरपालिकाओं में 7–1/2% की दर से मकान किराया भत्ता की सुविधा 1 अप्रैल, 1978 से प्रदान की गयी है। साथ ही शिक्षकों के सेवा निवृत्त लाभों में भी राज्य कर्मचारियों के समकक्ष 30 जून, 1974 से सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही 58 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त होने पर विकल्प देनेवाले शिक्षकों को मृत्यु तथा सेवा निवृत्त आनुतोषिक की भी सुविधा जून, 1978 से अनुमन्य की गई है। सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समकक्ष 1 मार्च, 1978 से पेन्शन तथा सामान्य भविष्य निधि की भी सुविधा प्रदान कर दी गई है।

उपर्युक्त सभी सुविधाओं के लिये वर्ष 1979–80 के आय-व्ययक में आवश्यक व्यवस्था की गई है।

6--छात्र वृत्ति/छात्रवेतन

1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
79.504	81.910	86.080

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा 6-8 एवं 9-12 में विभिन्न प्रकार की योग्यता छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस वर्ष भी मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन देने तथा उनके अध्ययन हेतु विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। विद्यार्थियों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सहायता देने हेतु राष्ट्रीय-छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 1979-80 में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख छात्रवृत्तियां प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है :

क्रम सं0	छात्रवृत्तियों के नाम	आय-व्ययक अनुमान 1979-80	छात्रवृत्तियों की संख्या एवं दर
1	2	3	4
		रु0	
1	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों की योग्यता छात्र वृत्ति	1,24,000	102 छात्रवृत्ति 50 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रवासी को 75 रु0 प्रतिमाह
2	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की केन्द्रीय योजना	22,83,000	माध्यमिक स्तर पर 2,110 छात्रवृत्तियां 50 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रवासी छात्रों को 75 रु0 प्रतिमाह की दर से दी जाती है।
3	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधायें और छात्रवृत्तियां	5,00,000	कक्षा 6-8 तक 8 रु0 प्रतिमाह, कक्षा 9-10 में 15 रु0 प्रतिमाह, कक्षा 11-12 में 25 रु0 प्रतिमाह, पुस्तकीय सहायता क्रमशः कक्षा 6-8 तक 50 रु0 कक्षा 9-10 में 75 रु0 एवं कक्षा 11-12 में 100 रु0 प्रति छात्र।
4	माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र को छात्रवृत्तियां	94,000	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर कक्षा 9-10 में 10 रु0 प्रतिमाह, कक्षा 11-12 में 15 रु0 प्रति माह
5	हाई स्कूल परीक्षा के आधार पर दी जाने वाली इंटर में मिलने वाली योग्यता छात्रवृत्तियां	2,16,000	2,985 छात्रवृत्ति 25 रु0 प्रतिमाह
6	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को छात्र-वृत्तियां तथा पुस्तकीय सहायता देने के लिए व्यवस्था	1,39,000	(1) कक्षा 1-5 तक 1116 छात्रवृत्तियां 3 रु0 मासिक तथा 600 पुस्तकीय सहायता 10 रु0 प्रतिछात्र प्रति वर्ष। (2) जूनियर हाई स्कूल के कक्षाओं में 130 छात्रवृत्तियां, कक्षा 6 में 4 रु0, कक्षा 7 में 5 रु0 एवं कक्षा 8 में 6 रु0 प्रति माह एवं 666 पुस्तकीय सहायता 15 रु0 प्रति छात्र। (3) हाई स्कूल में 153 छात्रवृत्तियां, कक्षा 9-10 में 10 रु0 मासिक तथा 500 पुस्तकीय सहायता कक्षा 9-10 में 20 रु0 प्रति छात्र प्रति वर्ष। (4) इंटर में 125 छात्रवृत्तियां 16 रु0 प्रति मास एवं 250 पुस्तकीय सहायता कक्षा 11-12 में 25 रु0 प्रति छात्र प्रति वर्ष।
7	राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों को छात्र वेतन	2,50,000	स्वीकृति प्राविधान के अन्तर्गत कक्षा 6-8 को 5 रु0 प्रतिमाह, कक्षा 9-10 को 10 रु0 प्रतिमाह, कक्षा 11-12 को 15 रु0 प्रतिमाह
8	प्रदेश के चुने हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रतिभा-वान बालक एवं बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियां देना	53,000	15 छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 में 50 रु0 प्रति माह तथा छात्रावासी को 100 रु0 प्रतिमाह, कक्षा 11-12 में 75 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावासी को 150 रु0 प्रतिमाह
9	माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-12) पर अतिरिक्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था	1,40,000	3,848 छात्रवृत्तियां कक्षा 9-10 में 15 रु0 तथा 11-12 में 25 रु0 प्रतिमाह
10	अवर उच्च विद्यालयों (कक्षा 7-8) में अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था	1,65,000	1,567 छात्र वृत्तियां 5 रु0 प्रतिमाह

1	2	रु0	3
11	ग्रामीणक्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के (9–10) के प्रतिभावान छात्रों की राष्ट्रीय छात्र वृत्तियां	18,19,000	1,750 छात्रवृत्तियां 15 रु0 मासिक गैर चुने हुए विद्यालयों में जहां शुल्क नहीं लगता। 25 विद्यालयों में जहां शुल्क लगता है। 25 रु0 एवं 50 रु0 प्रतिमाह तथा चुने हुए विद्यालयों के छात्रावासी छात्रों को 100 रु0 प्रतिमास 1,750 छात्रवृत्तियां निम्नलिखित दर पर दी जाती हैं –– (1) ऐसे छात्र जो अनुमोदित विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं (क) छात्रवृत्तियां 1,000 रु0 वार्षिक (ख) गैर छात्रवृत्तीय 500 रु0 वार्षिक 1––अनुमोदित विद्यालयों के अतिरिक्त स्वेच्छा से अन्य विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्र –– (क) जिन विद्यालयों में प्रवेश 250 रु0 वार्षिक शिक्षा शुल्क लिया जाता हो (ख) जिन विद्यालयों में शिक्षा शुल्क 100 रु0 वार्षिक शुल्क लिया जाता हो
12	उफरिन तथा मेरीन कलकत्ता के प्रशिक्षणार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	46,000	20 छात्रवृत्ति 75 रु0 प्रतिमाह की दर से
13	संवान्त क्षेत्रों के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू0पी0पी0एफ0सी0 के जवानों सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के बच्चों/आश्रितों को छात्रवृत्तियां तथा पुस्तकीय सहायता	11,000	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर कक्षा 1–5 में 3 रु0, कक्षा 6 में 4 रु0, कक्षा 7 में 5 रु0, कक्षा 8 में 6 रु0, कक्षा 9–10 में 10 रु0, कक्षा 11–12 में 15 रु0, प्रतिमाह, पुस्तकीय सहायता क्रमशः कक्षा 1–5 में 10 रु0, कक्षा 6–8 में 15 रु0 कक्षा 9–10 में 20 रु0 कक्षा 11–12 में रु0 25।
14	चम्बल घाटी के आत्मसमर्पणकारी डाकुओं के बच्चों आदि को शैक्षिक सुविधायें	20,000	इस योजना के अन्तर्गत चंबल घाटी के आत्मसमर्पणकारी डाकुओं के बच्चों तथा उनके द्वारा सताये गये परिवारों के बच्चों को प्राइमरी स्तर से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक छात्रवृत्ति दी जाती है।
15	माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल तथा इण्टर परीक्षा में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को विशेष शैक्षिक सुविधायें	20,000	इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को एक समारोह करके निम्नलिखित विशेष शैक्षिक सुविधायें प्रदान की जाती हैं : 1––हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को आगे दो वर्षों तक, यदि वे किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में प्रवेश लेंगे, तो उन्हें विशेष शुल्क से मुक्ति प्रदान करना 2––उक्त छात्र, छात्राओं के लिये पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था हेतु क्रमशः 200 रु0 तथा 300 रु0 का अनुदान 3––छात्र/छात्राओं की श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र 4––सम्बन्धित संस्थाओं से प्रधानाचार्यों का प्रशंसा पत्र 5––सम्बन्धित संस्थाओं को ट्राफी 6––छात्रों एवं अध्यापकों को विद्यालय से समारोह स्थल तक जाने के बाबत आने हेतु 75 रु0 प्रति व्यक्ति की दर से यात्रा भत्ता 7––छात्रों एवं अध्यापकों को समारोह स्थल पर 3 दिन तक ठहरने तथा उनके भोजन आदि पर व्यय के लिए 50 रु0 प्रति व्यक्ति की दर से दिया जाता है
16	1965 तथा 1971 के पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों एवं उनके बच्चों तथा आश्रितों को शैक्षिक सुविधायें	11,000	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर कक्षा 1–5 में 3 रु0, कक्षा 6 में 4 रु0, कक्षा 7 में 5 रु0, कक्षा 8 में 6 रु0, कक्षा 9–10 में 10 रु0, कक्षा 11 व 12 में 15 रु0, प्रतिमाह। पुस्तकीय सहायता क्रमशः कक्षा 1–5 में 10 रु0, कक्षा 6–8 में 15 रु0, कक्षा 9–10 में 20 रु0, कक्षा 11–12 में 25 रु0।
17	वीरचक्र शृंखला विजेताओं को शैक्षिक सुविधायें	6,000	,,
18	प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय्य, में एक अतिरिक्त हाईस्कूल छात्रवृत्ति की व्यवस्था	13,85,000	,,
19	हाई स्कूल तथा इन्टर छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि	10,34,000	,,
	योग ..	83,16,000	

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राविधान में 4,17,000 रु0 की वृद्धि हुई है, जो वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की हुई है।

VII—शिक्षकों का प्रशिक्षण—

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
1	2	3
रु0 132.032	रु0 142.753	रु0 140.010

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों को सुलभ करने हेतु प्रदेश में कुल 12 एल0 टी0 प्रशिक्षण कालेज है, जिनमें से 5 राजकीय तथा 7 अराजकीय हैं। राजकीय कालेज, निम्नलिखित हैं :—

1—राजकीय सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद।
2—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
3—राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी।
4—राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
5—राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0, इलाहाबद।

इसके अतिरिक्त अशासकीय सहायता प्राप्त एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय निम्नवत् हैं :

1—के0 पी0 ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद।
2—किशोरी रमण प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
3—डी0 ए0 वी0 ट्रेनिंग, कालेज, कानपुर।
4—क्रिश्चियन ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ।
5—किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती।
6—दिग्विजय नाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर।
7—सकलडीहा प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी।

इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रवेश संख्या एवं परीक्षार्थियों की संख्या का विवरण एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की संख्या निम्न लिखित तालिका में प्रदर्शित की गयी हैं :—

एल0 टी0 स्तर के प्रशिक्षण विद्यालय	राजकीय विद्यालयों की संख्या		प्रशिक्षणार्थियों की निर्धारित प्रवेश संख्या		वर्ष 1978—में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		वर्ष 1978 में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—एल0टी0 (सामान्य)	1	1	100	100	141	148	98	136
—एल0टी0 (बेसिक)	1	..	60	60	99	36	69	15
—एल0टी0 (रचनात्मक)	1	..	175	..	113	69	96	59
—एल0टी0 (गृह विज्ञान)	..	1	..	30	..	15	..	14
शासकीय प्रशिक्षण महाविदद्यालय	7	..	680	..	721	212	493	175

नोट:—1—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में एल0 टी0 (रचनात्मक) एल0 टी0 (विज्ञान) तथा ए0 टी0 (कृषि) में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

2—स्तम्भ 6 एवं 9 में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों में गत वर्ष अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या भी शामिल है।

3—अध्यापक छात्र अनुपात राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय 1:10 तथा अशासकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 1:12 का है।

4—पुरुष एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों में महिलाओं का भी प्रवेश होता है, किन्तु उनके लिये कोई स्थान निर्धारित नहीं है।

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित अध्यापकों के सेवाकालीन क्षण हेतु जो योजना वर्ष 1976–77 में चलाई गयी थी, वह वर्ष 1978–79 में पुनः चालू की गयी है। यह योजना अब केवल एल0 0 स्तर के प्रशिक्षण के लिये होगी, क्योंकि सी0 टी0 स्तर का नियमित प्रशिक्षण सम्प्रति समाप्त किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत ापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, किन्तु सेवा कालीन, एल0 टी0 शिक्षण के प्रथम फेरे में 755 पुरुष एवं 141 महिलाओं ने ही ा लिया है। इन्हीं प्रशिक्षणार्थियों की द्वितीय फेरा 1979–80 के ग्रीष्मावकाश में 22 मई, 1979 से 5 जुलाई, 1979 तक होग।

राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में इस समय यह अकेला राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जहां माध्यमिक शिक्षा के लिये अध्यापिकाओं शिक्षित किया जाता है। इससे सम्बद्ध एक विस्तार सेवा केन्द्र भी है, जिसके माध्यम से माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों सेवारत अध्यापिकाओं से सम्पर्क स्थापित होता है। पिछले कई वर्षों से इस विद्यालयमें शोध विभाग भी खुल गया है, जिसमें एव ता नियुक्त है। बालिकाओं की शिक्षा समस्याओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर शोध कार्य किया जाता है।

(i) प्रशिक्षण--इस प्रशिक्षण महाविद्यालय का सत्र 15 जुलाई से प्रारम्भ होता है। कुल 100 छात्राओं के प्रशिक्षण का इस वद्यालय में प्राविधान है, जिसमें 50 स्थान विज्ञान के लिये सुरक्षित है। 18 अनुसूचित जाति, 2--स्थान अनुसूचित जनजाति, 15 पिछड़ी जाति, 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 3 सैनिक कर्मचारी, 2 विकलांग उसके अतिरिक्त 7 स्थान सामान्य वर्ग की अभ्यर्थियों द्वारा पूर्ति की जाती है। प्रशिक्षणार्थियों के निर्वाचन हेतु सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वर्ष 1978-79 में कुल 97 छात्रायें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इनमें से 25 छात्राओं को 30 रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

(ii) शारीरिक शिक्षा पर विचार गोष्ठी--शारीरिक शिक्षा के महत्व को अनुभव करते हुए विस्तार सेवा विभाग द्वारा सितम्बर, 1977 में दो दिवसीय गोष्ठी की गयी। इसमें झांसी और इलाहाबाद मण्डल की 35 शिक्षिकायें उपस्थित थी शिक्षिकाओं ने इसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव किया जो कि मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के अनुशासन में योगदान देती है।

(iii) विज्ञान गोष्ठी--आज का युग विज्ञान का युग है। जीवन प्रयोग पर आधारित हो गया है और इसके मूल्य और मान्यतायें तीव्रता से बदलते जा रहे हैं। विज्ञान गोष्ठी का आयोजन नवम्बर, 1977 में किया गया था जिसमें एकीकृत प्रश्नपत्रों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। भौतिक रसायन और विज्ञान के किटों का प्रदर्शन भी शिक्षिकाओं के समक्ष किया गया।

(iv) प्रयोगात्मक परियोजना गोष्ठी--जनवरी, 1978 में स्थानीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं एवं प्रधानाचार्यों की एक गोष्ठी आयोजित की गयी। इसमें स्थानीय 7 बालिका विद्यालयों मे चलने वाली प्रयोगात्मक योजनाओं की शिक्षिकाओं ने अपने-अपने विद्यालयों के प्रगति की आख्या प्रस्तुत किया। बाद में प्रयोगात्मक परियोजना की प्रशिक्षण गोष्ठी आगरा में आयोजित हुई।

(v) इतिहास गोष्ठी--इतिहास विषय के महत्व को देखते हुए गत मार्च अप्रैल में एक गोष्ठी हुई। इसमें पुरातत्व में कनिष्क-विषय पर तथा प्राचीन कला और वास्तुकला पर वार्ता प्रस्तुत की गयी। शिक्षिकाओं ने प्रयाग विश्व विद्यालय के कौशाम्बी कक्ष का भी भ्रमण किया।

(vi) लघु गोष्ठी प्रयोगात्मक परियोजना--एक लघु गोष्ठी का भी आयोजन मई, 1978 में किया गया, जिसमें प्रयोगात्मक परियोजनाओं से सम्बन्धित जो शिक्षिकायें उपस्थित थीं, उनकी शंकाओं का भी समाधान किया गया। इसके अन्तर्गत स्थानीय विद्यालयों से आने वाली शिक्षिकाओं को विस्तार विभाग से पुस्तकें तथा सहायक उपकरण भी दिये गये।

उपरोक्त के अतिरिक्त विस्तार सेवा विभाग के अन्तर्गत प्रधानाचार्या सम्मेलन, शिक्षक अभिभावक संघ गोष्ठी आदि का आयोजन भी इस प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा किया गया।

इस प्रकार अपनी विभिन्न इकाइयों के द्वारा यह संस्थान शिक्षा के विस्तार एवं उन्नयन का कार्य कर रहा है।

इस शीर्षक के अन्तर्गत 2,74,300 रु0 की मगी हुई है, जो आवश्यकता के आधार पर है।

ix--अन्य व्यय--

1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
568.527	587.278	601.210

उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद् मनोवैज्ञानिक ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, केन्द्रीय राज्य पुरतकाल स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की स्रोत सामग्रियों का संकलन एवं प्रकाशन के कार्य, शैक्षिक संग्रहालय एवं प्रकीर्ण अन्य व्ययों के प्राविधा सम्मिलित किये जाते हैं।

1--माध्यमिक शिक्षा परिषद्--

1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
543.136	557.358	557.290

प्रदेश में हुई हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड के परीक्षाओं का संचालन एवं इनके पाठ्क्रमों का निर्धारण माध्यमिक शि परिषद् द्वारा किया जाता है। परीक्षार्थियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि एवं बढ़े हुऐ कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिऐ 1972 में मेरठ में परिषद् के एक उप कार्यालय की स्थापना की गयी, जिसमें मेरठ एवं आगरा मण्डल के सभी जिलों की परी एवं विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 1978 से वाराणसी में भी एक उप कार्यालय की स्थापना की गयी है। इसके अन्तर्गत वाराणसी तथा गोरखपुर मण के जिले सम्मिलित हैं। परीक्षा वर्ष 1979 से इस मण्डल का परीक्षा से पूर्व का प्रारम्भिक कार्य लगभग समस्त कार्य इसी कार्या से संपादित होगा। परिषद् के विकेन्द्रीकरण का यह दूसरा चरण है।

वर्ष 1977 की परीक्षा में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या मुख्य तथा पूरक परीक्षाओं में कुल 13,07,482 थ माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 1978 की परिषद् परीक्षाओं में 1366796 परीक्षार्थी सम्मिलित हुये हैं। अब बिना कक्षा

पास किये हुये भी छात्र हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है । इस छूट के परिणामस्वरूप वर्ष 1977 की परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, किन्तु वर्ष 1978 की परीक्षा पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ।

वर्ष 1976–77 से 1979–80 के बीच माध्यमिक शिक्षा परिषद् के परीक्षार्थियों का विवरण

वर्ष	परीक्षा वर्ष	परीक्षार्थियों की पंजीकृत संख्या	पूरक परीक्षार्थियों की पंजीकृत संख्या	कुल परीक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1976–77	1977	11,70,893	1,36,589	13,07,482
1977–78	1978	12,52,200	1,14,596	13,66,796
1978–79	1979	13,14,847*	1,20,287	14,35,134
1979–80	1980	13,80,589*	1,26,301	15,06,890

*आंकड़े अनुमानित हैं ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत गत वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर वर्ष 1978–79 के प्राविधान में कमी की गयी है । वर्ष 1978–79 की नई मांगों की अनुसूची द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था हेतु व्यय की व्यवस्था की गई है । इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 68,000 रु0 की कमी हुई है, जो आवश्यकता के आधार पर है ।

II––मनोवैज्ञानिक ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
6.419	9.220	10.330

इलाहाबाद में स्थापित मनोविज्ञानशाला द्वारा मनोविज्ञान के शैक्षिक, व्यावसायिक क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक निर्देशन के साथ-साथ प्रशिक्षण प्रवेश डिप्लोमा इन गाइडेन्स साइक्लोजी चयन, शोध प्रकाशन तथा व्यावसायिक सूचनाओं के प्रसारण का विज्ञानशाला का सुदृढ़ एवं मनोवैज्ञानिक सेवाओं के विस्तार हेतु वर्ष 1975–76 में मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र, कानपुर की स्थापना हो चुकी है तथा वर्ष 1976–77 में तीन नये मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र, बरेली, आगरा एवं वाराणसी में खोले जा चुके हैं । 1978–79 में भी मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र, लखनऊ, मेरठ तथा गोरखपुर की भी स्थापना हो चुकी है । वर्ष 1976–77 में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों के लिये राज्य आवासीय छात्र योजना प्रारम्भ हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मण्डल में किसी एक विद्यालय में छात्रों के लिये विशेष शिक्षा व्यवस्था की जाती है, उन्हें उचित शैक्षिक, व्यावसायिक परामर्श देने के उद्देश्य से उन्हीं के विद्यालयों में उनका विस्तृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है तथा भविष्य में इसकी देख-रेख की जाती है । मनोविज्ञानशाला में वर्ष 1975–76 में गाइडेन्स साइकोलाजी डिप्लोमा का प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत 10 के स्थान पर 15 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है । इसके अतिरिक्त दीक्षा विद्यालयों के मनोविज्ञान के अध्यापकों को भी द्विवर्षीय नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत इस वर्ष 1979–80 के प्राविधान में 1,11,000 रु0 की वृद्धि की गयी है, जो मुख्यतः मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद की सेवाओं का पुनर्गठन एवं विकास करने के कारण है । इस शीर्षक के अन्तर्गत नई मांगों की अनुसूची द्वारा वर्तमान संभागीय मनोविज्ञान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण तथा नवीन केन्द्रों की स्थापना हेतु 1,18,000 रु0 के व्यय की व्यवस्था आयोजनागत बजट में की गई है ।

III––केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय––

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
3.703	3.959	4.320

इलाहाबाद में स्थित राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय एक अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण संस्था है । यह सन् 1949 में स्थापित किया गया था । इसमें प्रेस तथा रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में प्रकाशित प्रायः प्रत्येक पुस्तक की एक–एक प्रति संग्रह की जाती है । इस प्रकार प्रतिलिपि अधिकार (कापी राइट) संग्रह की लगभग एक लाख पुस्तकें संग्रहीत की जा चुकी हैं । इनमें से कुछ पुस्तकें अत्यन्त दुर्लभ, बहुमूल्य और शोध एवं अनुसंधान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद हैं । इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली तथा संस्कृत भाषाओं के लगभग 44,999 पुस्तकों का नवीनतम संग्रह है । पुस्तकालय में शोध छात्रों के अतिरिक्त 4.665 पंजीकृत गृहीता और 3,264 नियमित पाठक हैं ।

केन्द्रीय पुस्तकालय से सम्बद्ध मैदानी क्षेत्र में आठ जिला पुस्तकालय आगरा, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ एवं बरेली जिलों में हैं । पर्वतीय क्षेत्र में छः जिला पुस्तकालय पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली तथा अल्मोड़ा में स्थित हैं । ये सभी पुस्तकालय अपने-अपने जनपदों में जनसाधारण को उन्मुक्त स्वाध्याय की सुविधा को प्रदान करते हैं । प्रत्येक जिला पुस्तकालय में बारह हजार तक पुस्तकों का संग्रह है । राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सुविधायें एवं निर्देशिकाओं का प्रकाशन, पुस्तकालय विज्ञान के प्रशिक्षण एवं पुस्तकालयों के नियोजन आदि का कार्य भी किया जाता है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1979–80 में 3,61,000 रु0 की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः सामान्य वेतन वृद्धियों के कारण है । इस शीर्षक के अन्तर्गत नई मांगों की अनुसूची द्वारा वर्तमान आठ जिला पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण तथा तीन जिला पुस्तकालयों की स्थापना हेतु आयोजनागत आय-व्ययक में रु0 44,000 के व्यय की व्यवस्था की गई है ।

VI––स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की स्रोत सामग्रियों का संकलन एवं प्रकाशन––

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
1.185	1.670	1.520

उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम इतिहास समिति के निर्देशन में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का स्रोत सामग्रियों के संकलन एवं प्रकाशन की व्यवस्था की गई है । इसके संकलन और प्रकाशन के लिये नवम्बर, 1975 में 4 द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित तथा 8 तृतीय श्रेणी के अराजपत्रित पदों का सृजन करके स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन किया गया । समिति के सदस्य सचिव के पद पर शिक्षा विभाग के उप सचिव की नियुक्ति करके इसका कार्य प्रारम्भ किया गया । स्वतंत्रता इतिहास की स्रोत सामग्रियों के संकलन करने हेतु समिति के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सदस्यों को विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना पड़ता है । इसके लिये समिति के सदस्यों की बैठक भी हुआ करती है जिसमें प्राप्त सामग्रियों पर विचार किया जाता है । समिति द्वारा उपरोक्त इतिहास के 6 भाग तक का संकलन पूर्ण किया जा चुका है ।

VII––शैक्षिक संग्रहालय––

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
0.540	0.531	0.580

शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश के चार जिले मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, इटावा और देवरिया में शैक्षिक संग्रहालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें कला, शिल्प, दस्तकारी आदि की शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त छात्रों द्वारा बनाये विशेष प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया जाता है । इनकी देखभाल सम्बन्धित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा की जाती है ।

चालू वित्तीय वर्ष 1979–80 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 4,900 रु0 की प्राविधान में वृद्धि हुई है जो वास्तविक आवश्यकता के आधार हैं ।

X––प्रकीर्ण-अन्य व्यय––

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
13.544	14.540	27.170

इस शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सस्थाओं को उनके कार्य कलापों को संपादित करने हेतु अनेक प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं । ये अनुदान/आवर्तक/अनावर्तक रूप में आयोजनेतर एवं आयोजनागत आय-व्ययक में व्यवस्थित प्राविधानों से स्वीकृत किये जाते हैं । वर्ष 1979–80 में निम्नलिखित अनुदानों की व्यवस्था मुख्य रूप से की गई है :

क्रम–सं0	संस्थाओं के नाम	वर्ष 1979–80 म दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि
1	2	3
		रु0
1	पुस्तकालयों और वाचनालयों को अनुदान	1,64,00(
2	भारत स्काउट्स और गाइड्स को अनुदान	70,00(
3	ऐंग्लो इण्डियन और यूरोपियन शिक्षा के लिये अंशदान	5,00(
4	कतिपय सस्थाओं को अनावर्तक सहायक अनुदान देने के लिये एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था	50,00(

1	2	3
		रु0
5	आचार्य नरेन्द्र देव पुस्तकालय, लखनऊ को अनुदान	50,000
6	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कला तथा साहित्य में लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जो धनाभाव से ग्रस्त हैं, वित्तीय सहायता	2,60,000
7	वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर, राजस्थान को सहायक अनुदान	25,000
8	शिक्षकों को राज्य पुरस्कार	7,000
9	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत शैक्षिक टेक्नोलाजी, सेल की स्थापना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) ..	2,00,000
10	राजकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में बिजली के पंखों की व्यवस्था	2,00,000
11	राजाराम मोहन राय पुस्तकालय संस्थान, कलकत्ता को सहायक अनुदान	2,00,000
12	मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में नियुक्ति हेतु अध्यापकों/प्रधानाचार्यों का चयन	1,60,000
13	गरीब वजीफेदारों को अनुदान (छात्र वेतन)	1,000
	योग ..	13,92,000

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार--

केन्द्रीय सरकार में वर्ष 1958 में अध्यापकों को विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न होता है जिसमें विभिन्न प्रदेशों के चुने हुये प्रारम्भिक जूनियर एवं माध्यमिक स्तर के अध्यापकों तथा संस्कृत पाठशालाओं के संस्कृत अध्यापकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है । राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर दिनांक 22 दिसम्बर, 1960 को राष्ट्रपति महोदय ने यह विचार व्यक्त किया था कि शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान करना प्रारम्भ किया जाय ।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिये निर्धारित शिक्षकों की संख्या से दुगनी संख्या के बराबर अध्यापकों के नाम भारत सरकार को राज्य सरकार भेजती है । इन सस्तुत शिक्षकों की संख्या में से भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये अध्यापकों के नाम चुनती है । शेष अध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है । वर्ष 1976 से राज्य सरकार ने तीन संस्कृत पाठशालाओं और दो अरबी, फारसी, मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं को पुरस्कार प्रदान करने का निश्चय किया गया है । वित्तीय वर्ष 1977-78 में प्रशिक्षण और नर्सरी स्तर के दो-दो अध्यापकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित करने का निश्चय किया गया है । वित्तीय वर्ष 1979-80 में भी इसके कार्यान्वयन हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है । इस योजना में चुने गये अध्यापकों के 500 रु0 नगद तथा एक ऊनी शाल मेडल और प्रमाण-पत्र दिया जाता है ।

वर्ष 1974-75 से वर्ष 1979-80 तक राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अध्यापकों की संख्या निम्नवत् है :--

क्रम संख्या	वर्ष	राज्य पुरस्कृत अध्यापकों की संख्या						योग	राष्ट्रीय पुरस्कृत अध्यापकों की संख्या
		माध्यमिक स्तर					प्रशिक्षण और नर्सरी		
		माध्यमिक हाई स्कूल	जूनियर	प्राथमिक	संस्कृत	अरबी/ फारसी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1974-75	3	1	8	..	..	..	12	14
2	1975-76	..	4	8	..	..	..	12	14
3	1976-77	3	1	8	3	2	..	17	14
4	1977-78	3	1	8	3	2	..	17	14
5	1978-79	3	1	8	3	2	4	21	14
6	1979-80	3	1	8	3	2	4	21	14 (प्रस्तावित)
	योग .. 1974--80 ..	15	9	48	12	8	8	100	84

इस शीर्षक के अन्तर्गत नई मांगों की अनुसूची द्वारा निम्नांकित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये उनके सम्मुख अंकित व्यय की व्यवस्था वर्ष 1979-80 के आयोजनागत आय-व्ययक में की गई है :

	रुपया
1--क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना (मा0 शिक्षा परिषद् के लिये)	10,50,000
2--सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	2,75,000
योग ..	13,25,000

प्रकीर्ण अन्य व्यय के अन्तर्गत कुल रु0 12,63,000 की वृद्धि प्रदर्शित की गई है जो विभिन्न संस्थाओं को आवश्यकतानुसार अनुदान प्रदान करने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना नामक योजना के कार्यान्वयन के कारण है ।

मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों में नियुक्त अध्यापकों/प्रधानाचार्यों का चयन

माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षण के स्तरों में सुधार एवं उन्नयन हेतु उत्तर प्रदेश के 56 जिलों के मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों में योग्यतम अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अनुसार अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के चयन के लिये चयन समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है । इस कार्य के लिये पारिश्रमिक एवं भत्ता देने के लिये इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1977–78 में रु0 1,00,000 तथा वर्ष 1978-79 में रु0 1,50,000 का विधान स्वीकृत किया गया ।

प्रदेश में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 4,500 है । प्रति वर्ष नई मान्यता, इण्टर तथा हाई स्कूलों में विभिन्न वर्गों/विषयों की नई मान्यता एवं छात्र संख्या में वृद्धि होती रहती है । अतएव रिक्त पदों तथा नये पदों के सृजन होते रहते हैं । इन सभी पदों हेतु योग्य अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के चयन करने के उद्देश्य से यह योजना कार्यान्वित की गई है । वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये इस योजनान्तर्गत रु0 1,60,000 के प्राविधान की व्यवस्था की गई है ।

	1977-78	1978-79	1979-80
	वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
ग––विशेष शिक्षा	288.549	377.671	369.360

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा, आधुनिक भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की प्रोन्नति, संस्कृत शिक्षा एवं अन्य भाषाओं की शिक्षा पर होने वाले व्यय का समावेश किया गया है । इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :

I––प्रौढ़ शिक्षा

(i) ग्रामोत्थान योजना––	वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
	65.411	132.636	127.150

उत्तर प्रदेश में साक्षरता के प्रचार कार्य शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा किये जाते हैं । इसके अन्तर्गत (1) ग्रामोत्थान योजना, (2) चलचित्र निर्माण कार्य एवं (3) श्रव्य दृश्य के विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पादित किया जाता है ।

1––ग्रामोत्थान योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में 1,400 पुस्तकालय 3,600 ग्रामीण वाचनालय चलाये जा रहे हैं जिनमें 1,000 ग्रामीण वाचनालय ग्रामीण पुस्तकालय से सम्बद्ध हैं । 1,400 ग्रामीण पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों में 5 रु0 प्रति पुस्तकालयाध्यक्ष प्रति माह पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है । 1,332 पुस्तकालयों को 18 रु0 प्रति वर्ष एवं 68 नये पुस्तकालयों को 36 रुपये प्रति पुस्तकालय व्यय के लिये दिया जाता है । राजकीय ग्रामीण पुस्तकालयों हेतु वर्ष 1978-79 में 10,000 रु0 की पुस्तकें क्रय किये जाने तथा पत्र-पत्रिकाओं के क्रय हेतु 12,000 रु0 का व्यय किया गया । शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित "नव ज्योति" नामक मासिक पत्रिका इन पुस्तकालयों को निःशुल्क भेजी जाती है । इसके अतिरिक्त साक्षरोपयोगी साहित्य भी नवसाक्षरों के लिये तैयार किया जाता है । पुस्तकें प्रति वर्ष लिखी जाती है जिनका मुद्रण भी उसी वर्ष में हो जाती है । ये पुस्तकें उपरोक्त पुस्तकालयों को भेजी जाती हैं । प्रदेश के शिक्षा प्रसार विभाग में चार सचल दल भी स्थापित हैं । यह चारों दल मिलकर समाज शिक्षा की पूर्ण इकाई के रूप में कार्यरत हैं ।

(1) गोष्ठी सचल दल –वर्ष 1978–79 में सचल दल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से वाचनालय सेवा, चलचित्र प्रदर्शन तथा विभिन्न उपयोगी एवं समसामयिक विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन किया गया है ।

(2) साक्षरता सचल दल––इसका कार्य उपरोक्त गोष्ठी द्वारा तैयार की गई पृष्ठ भूमि पर वर्ष में दो 6-6 मास के साक्षरता शिविरों का संचालन करना है । वर्ष 1978–79 में प्रथम शिविर आजमगढ़ जनपद में हलिया महाराजगंज विकास खंड के अन्तर्गत से चलाया गया दूसरा शिविर सर्वेक्षण के पश्चात् चलाया जायेगा "पुस्तकालय सेवा के माध्यम से नवसाक्षरों एवं साक्षरों के लिये प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरायोजन को उपयुक्त साहित्य उपलब्ध कराना एवं समाज शिक्षा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना है ।

(3) प्रदर्शनी सचल दल––(1) यह सचल दल प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न समाजोपयोगी शैक्षिक ज्ञान देने के लिये प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शिविरों का आयोजन करता है तथा समाज शिक्षा के लिये विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर ग्रामीणों के लिये उपयोगी समाज शिक्षा के कार्य को पूर्ण करता है । वर्ष 1978–79 में कुल 12 शिविरों को अनुमानतः आयोजन किया गया है ।

(अ) चल-चित्र निर्माण विभाग––चल-चित्र निर्माण विभाग द्वारा विद्यार्थियों, प्रौढ़ों एवं नव साक्षरों के सामान्य ज्ञान ऊंचा उठाने एवं समाज के विभिन्न स्तरों का ज्ञान कराने हेतु विभिन्न प्रकार के चल-चित्रों का निर्माण किया जाता है । इसके लिये मेकअप तथा सेट बनाने का सामान, केमिकल्स तथा फिल्म आदि क्रय किये जाते हैं । वर्ष 1979 80 में 35 मि0 मी0 से 6 फिल्मों का निर्माण तथा उनकी 16 मि0 मी0 प्रिंट तैयार कराने का प्रस्ताव है ।

(ब) चल-चित्र--इस विभाग के अन्तर्गत प्रदेशीय स्तर का चल-चित्रालय है जिसमें शैक्षिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं अन्य समाजोपयोगी चल-चित्र संग्रह किये जाते हैं । इन चल-चित्रों को नियमानुसार राजकीय/अराजकीय संस्थाओं के छात्रों एवं जन समुदाय के लाभार्थ दिखाया जाता है । अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से समाज को शिक्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(स) श्रव्य-दृश्य शिक्षा -शिक्षा प्रसार विभाग के श्रव्य दृश्य केन्द्र में श्रव्य दृश्य उपादानों के प्रयोग व निर्माण के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है । वर्ष में तीन सत्र प्रशिक्षण के लिये आयोजित किये जाते हैं । 36 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने चाहिये । गत वर्ष 1977-78 में 22 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित किये गये थे । श्रव्य दृश्य शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशन प्रकाशित किये जाते हैं । गत वर्ष "प्रभावशाली शिक्षण" प्रकाशित की गई । प्रशिक्षण विद्यालयों व सेकेन्डरी स्कूलों में इस प्रकार के माध्यम से अध्यापकों तथा श्रव्य दृश्य सम्बन्धी तकनीकी व प्रभावी शिक्षण के लिये शिक्षण सामग्री की रूप-रेखायें पहुंचाई गयी हैं । वर्ष 1978 79 के प्रथम सत्र में 9 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किये गये । दूसरे सत्र की रूप रेखा तैयार की जा रही है । वर्ष 1977-78 में 5 नई गाड़ियां क्रय की गईं । वर्ष 1979 80 में भी चार नई डीजल गाड़ियों के क्रय किये जाने हेतु 4,45,000 रु0 की व्यवस्था आय-व्ययक में की गई है ।

बजट प्राविधान
आयोजनेतर
वर्ष 1979 80

(ii) ग्रामीण एवं नागर क्षेत्रों में अंशकालिक प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की स्थापना रु0 1,11,47,000

प्रदेश में व्याप्त निरक्षरता के निवारण हेतु यह योजना 15-25 वय वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों के लिये आयोजनागत पक्ष में वर्ष 1974-75 में राज्य सरकार के संसाधनों से प्रारम्भ की गई । उस वर्ष 48 मैदानी जिलों में 25 25 तथा 7 पहाड़ी जिलों में 15-15 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई । अगले वर्ष में पहाड़ी जिलों में भी केन्द्रों की संख्या 15 से बढ़कर 25 कर दी गई । इस प्रकार इन केन्द्रों की कुल संख्या 1,375 हो गई । प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में निरक्षता उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त न्याय पंचायतों के मुख्यालयों पर 15-35 वय वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों के लिये 6,000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र वर्ष 1977-78 में और खोले गये । इस प्रकार वर्ष 1977-78 में कुल अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 7,375 हो गई जो वर्ष 1978 79 में भी चलते रहे ।

(2) केन्द्रीय सरकार की किसान साक्षरता योजना--

प्रदेश में यह योजना 25-45 वय वर्ग के कृषकों को साक्षर बनाने तथा उन्हें कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य आदि विषयों का ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के संसाधनों से चतुर्थ आयोजनावधि के प्रथम वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लखनऊ जिले से प्रारम्भ की गई थी । इसके बाद उत्तरोत्तर अन्य जिलों में इसका विस्तार होता रहा । प्रत्येक जिले में 60 साक्षरता केन्द्रों और प्रत्येक केन्द्र पर 30 व्यक्तियों को प्रवेश देने की व्यवस्था की गई । वर्ष 1977-78 तक इस योजना का विस्तार 17 जिलों में किया गया । वर्ष 1978-79 में भी यह योजना 17 जिलों में चलती रही और इसके अन्तर्गत कुल 1,020 केन्द्र संचालित होते रहे ।
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम--

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की नीति की घोषणा करते हुए देश में 15-35 वय वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों, जिनकी अनुमानित संख्या इस समय लगभग 10 करोड़ है, को अगले पांच वर्षों में साक्षर बनाने पर विशेष बल दिया है । 1971 की जन-गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15-35 वय वर्ग के 71.34 लाख पुरुष तथा 107.13 लाख महिलायें- कुल 178.45 लाख निरक्षर व्यक्ति थे जो इस समय लगभग 180 लाख होंगे इन निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिये प्रदेश में 2 अक्तूबर, 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया । छठीं पंचवर्षीय योजना (1979 83) में इसका (180 लाख का) केवल 65 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाना है । अर्थात् लगभग 117 लाख निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना है । इस कार्यक्रम में तीन मुख्य अंग हैं--साक्षरता, व्यवहारिक ज्ञान और चेतना । केन्द्रों पर प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के साथ साथ उनमें समाज की बदलती हुई परिस्थितियों एवं राष्ट्र के विकास कार्यक्रम के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर, उन्हें नई व्यवसायिक दक्षता, ज्ञान और दृष्टिकोण प्राप्त कराया जायगा जिसमें वे परिवार के अच्छे सदस्य, अच्छे नागरिक और अच्छे उत्पादक बनकर सुखी जीवन बिता सकें और राष्ट्र के विकास में अपना समुचित योगदान दे सकें । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा । यह कार्यक्रम राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं, नेहरू युवक केन्द्रों, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों आदि द्वारा संचालित किये जावेंगे ।

उपर्युक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक तैयारी भी प्रारम्भ कर दी गई है । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन, समन्वयन, निर्देशन तथा उठने वाली तत्सम्बन्धी समस्याओं पर मार्ग दर्शन हेतु प्रदेश के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद का गठन कर दिया गया है । निदेशालय स्तर पर प्रशासनिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है । इस हेतु एक अतिरिक्त निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा (रु0 1,600 2,000 वेतन क्रम) में दो सहायक निदेशक (रु0 800-1,450) के वेतन क्रम में तथा अन्य कार्यालय स्टाफ नियुक्त किया गया है । भारत सरकार के निर्देश नुसार राज्य सरकार द्वारा यह कार्यक्रम परियोजनाओं के रूप में, चुने हुए विकास खण्डों में सुसम्बद्ध क्षेत्र में संचालित किया जावेगा । एक-एक परियोजना में 100 से लेकर 500 तक केन्द्र खोले जावेंगे । प्रत्येक केन्द्र पर 30 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जायेगा । भारत सरकार के निर्देशानुसार उपरोक्त अनौपचारिक शिक्षा योजना (ग्रामीण एवं नागर क्षेत्रों में अंशकालिक प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की स्थापना) तथा किसान साक्षरता योजना एक में विलय करके वर्ष 1979-80 से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना के नाम से चलाई जावेगी । इस हेतु अन्य आवश्यक तैयारियों जैसे अपेक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण, पठन-पाठन सामग्रियों तथा शिक्षणोत्तर सामग्रियों के क्रय आदि की व्यवस्था की जा रही है और यथेष्ट संख्या में परियोजनायें संचालित की जावेंगी ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत चालूवित्तीय वर्ष 1979-80 के आय-व्ययक में "राज्य प्रौढ़शिक्षा परिषद् का गठन" नामक नई योजना के कार्यान्वयन हेतु रु0 15,000 की व्यवस्था की गई है ।

II--आधुनिक भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की प्रोन्नति--

(लाख रु0 में)

	1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
	1	2	3
	रु0	रु0	रु0
	12.200	13.450	5.000

अच्छे साहित्य के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिये हिन्दी लेखकों को तथा अच्छी एवं सस्ती पुस्तकों के प्रकाशन के लिये प्रकाशकों को आंशिक सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना चलायी गई है। वर्ष 1978-79 में इसके लिये 2,00,000 रु0 का प्राविधान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 1979-80 में रु0 5,00,000 की व्यवस्था की गई है।

III--संस्कृत शिक्षा	1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
	206.831	224.345	235.780

इस शीर्षक के अन्तर्गत (1) राजकीय संस्कृत पाठशालायें एवं (2) संस्कृत तथा अन्य प्राच्य संस्थाओं को सहायक अनुदान दिया जाता है।

इस शीर्षक के अन्तर्गत रु0 11,43,500 की वृद्धि इस वर्ष के प्राविधान में हुई है, जिसका शीर्षकानुसार विवरण निम्नवत् है --

(1) राजकीय संस्कृत पाठशालायें--

(लाख रु0 में)

	1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
	1	2	3
	रु0	रु0	रु0
	0.604	0.633	0.690

इस शीर्षक के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के राजकीय संस्कृत पाठशाला चकिया एवं ज्ञानपुर (वाराणसी) तथा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित छः राजकीय संस्कृत पाठशालाओं (टिहरी, चम्बा, मुखेम, सौढ़, आमड़ी, जिला टिहरी गढ़वाल तथा खरसाली, उत्तरकाशी) एवं अन्य अशासकीय संस्कृत पाठशालाओं के लिये आवश्यक प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार 5,700 रु0 की प्राविधान में हुई वृद्धि मुख्यतः वार्षिक वेतन वृद्धियों के कारण है।

(2) संस्कृत तथा अन्य प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता --

(लाख रु0 में)

	1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
	1	2	3
	रु0	रु0	रु0
	206.227	223.712	235.090

उत्तर प्रदेश में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त सरकारी, गैर सरकारी 1392 संस्कृत पाठशालायें हैं, जिनकी स्थिति निम्नांकित है--

क--सहायता प्राप्त	985
ख--असहायता प्राप्त	398
ग--पूर्णतया राजकीय	9
योग ..	1392

राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के संबंध में ऊपर विवरण दिया जा चुका है । प्रदेश के 985 संस्कृत पाठशालाओं को अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है । ये विद्यालय प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों में विभाजित हैं ।

उत्तर प्रदेश में स्थित पाठशालाओं का निरीक्षण एवं सुव्यवस्था निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला द्वारा किया जाता है । इनके अधीन सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें अपने क्षेत्र की संस्कृत पाठशालाओं का निरीक्षण तथा उनके सम्यक् संचालन की देखभाल करते हैं ।

अशासकीय संस्कृत तथा अरेबिक पाठशालाओं एवं अन्य प्राच्य संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान निम्नवत हैं—

शीर्षक/मदें	वर्ष 1979–80 आय–व्ययक प्राविधान
1	2
	रु0
1—अशासकीय संस्थाओं को सहायता–संस्कृत तथा अरेबिक पाठशालाओं को सहायक अनुदान ..	2,32,17,000
2—संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान सूची पर लाया जाना	37,000
3—संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण	7,000
4—लब्ध प्रतिष्ठ संस्कृत पंडितों को सहायता	1,00,000
5—संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान	1,48,000
योग ..	2,35,09,000

योजना संकेत संख्या 60103008—संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान—

प्रदेश के सहाध्यिक संस्कृत पाठशालाओं के विकास हेतु योजना के माध्यम से विकास अनुदान दिया जाता है । वर्ष 1978–79 में प्रदेश के 44 संस्कृत संस्थाओं को यह अनुदान दिया गया ।

वर्ष 1979–80 में 69 विद्यालयों को विकास अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है ।

योजना संकेत संख्या 60103010—संस्कृत पाठशालाओं को अनुरक्षण अनुदान—

प्रदेश की असहाध्यिक संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान सूची में लाने की कार्यवाही इस योजना के अधीन की जाती है । वर्ष 1978–79 में प्रदेश के 26 असहाध्यिक संस्थायें अनुदान सूची पर लाई गई । वर्ष 1979–80 में 36 पाठशालाओं को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1979–80 के प्राविधान में 11,43,500 रु0 की वृद्धि प्रदर्शित की गई है, जो मुख्यतः अशासकीय संस्थाओं को सहायता, संस्कृत तथा अरेबिक पाठशालाओं को सहायक अनुदान तथा संस्कृत पाठशालाओं के अनुरक्षण अनुदान, संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान तथा लब्ध प्रतिष्ठ संस्कृत पंडितों को सहायता आदि दिये जाने के कारण है ।

IV—अन्य भाषाओं की शिक्षा— (लाख रु0 में)

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
1	2	3
रु0	रु0	रु0
4.107	7.240	1.430

इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है—

शीर्षक मदें	वर्ष 1979–80 का आय-व्ययक प्राविधान
1	2
	रु0
1—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सहायता	10,000
2—अरेबिक मदरसों को विकास एवं प्रारम्भिक अनुदान	1,33,000
योग ..	1,43,000

योजना संकेत संख्या 601103—केन्द्र द्वारा संचालित क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षण की योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों को 20 रुपये प्रति अध्यापक प्रति मास विशेष वेतन दिया जाता है । यह वेतन उन प्रशिक्षित अध्यापकों को देय है, जो सम्बन्धित भाषा के कम से कम 10 छात्रों को पढ़ाते हैं ।

2—योजना संकेत संख्या 60101090—अरेबिक मदरसों को विकास एवं प्रारम्भिक अनुदान—

इस योजना के अधीन सहायता प्राप्त अरेबिक मदरसों को विकास हेतु भवन, साज-सज्जा व पुस्तकालय अनुदान दिया जाता है तथा असहायिक मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किया जाता है । वर्ष 1978-79 में 40 मदरसों को विकास अनुदान तथा 23 मदरसों को प्रारम्भिक अनुदान दिया गया । वर्ष 1979-80 में 15 विद्यालयों को विकास अनुदान तथा 13 मदरसों को प्रारम्भिक अनुदान दिये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 5,81,000 रु० की कमी प्रदर्शित की गई है जो आवश्यकतानुसार है ।

घ—विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा

I—निदेशन और प्रशासन

(लाख रु० में)

	1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
	1	2	3
	रु०	रु०	रु०
	11.192	14.724	19.550

इस शीर्षक के अन्तर्गत शिक्षा निदेशालय (उच्च शिक्षा), इलाहाबाद में कार्यरत अधिकारियों एवं स्टाफ के वेतन आदि का प्राविधान शामिल है ।

इस निदेशालय के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रशासन, अशासकीय महाविद्यालयों को अनुरक्षण एवं अन्य अनुदान देने का कार्य तथा उच्चस्तरीय संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के सामान्य एवं शोध कार्य हेतु अनुदान देने का कार्य होता है । उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों एवं छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां स्वीकृत करना एवं नये अशासकीय महाविद्यालयों तथा वर्तमान कालेजों को नयी संकाय एवं विषयों को अनुदान प्रदान करने का कार्य भी इस निदेशालय द्वारा किया जाता है । निदेशालय स्तर पर उच्च शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का दायित्व शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) पर है । इनके कार्यों में सहायता देने के लिये कतिपय अन्य अधिकारी भी शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के अधीन कार्य करते हैं । निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत हैं :

क्रम संख्या	पद	वेतनक्रम	संख्या
1	2	3	4
1	शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) ..	2250-2750	1
2	संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)	1400-1800	1
3	उप शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)	900-1600	1
4	सहायक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)	800-1450	2
5	ज्येष्ठ लेखाधिकारी (उच्च शिक्षा)	800-1450	1
6	लेखाधिकारी (उच्च शिक्षा)	550-1200	2
7	सहायक उप शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)	550-1200	2
8	सहायक लेखाधिकारी	450-950	1
9	वैयक्तिक सहायक, शि० नि० (उच्च शिक्षा)	500-750	1
		योग ..	12

इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के प्राविधान में 4,82,600 रु० की वृद्धि की गई है । यह वृद्धि मुख्यतः उच्च शिक्षा निदेशालय के सुदृढ़ीकरण तथा उसमें कार्यरत कर्मचारियों के सामान्य वेतन वृद्धियों के कारण है । इस शीर्षक के अन्तर्गत नई मांगों की अनुसूची द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हेतु आयोजनागत आय-व्ययक में 2,88,000 रु० का प्राविधान किया गया है ।

II—विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिये सहायता—सहायक अनुदान—

1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
रु०	रु०	रु०
467.548	480.255	422.400

इस समय राज्य में 19 निम्नलिखित विश्वविद्यालय हैं--

1--लखनऊ, विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

2--इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।

3--गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ।

4--आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ।

5--कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ।

6--मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ ।

7--सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

8--काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

9--कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल ।

10--गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) ।

11--अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।

12--रुहेलखड विश्वविद्यालय, बरेली ।

13--बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी ।

14--रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की ।

15--कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर नैनीताल) ।

16--आचार्य नरेन्द्र देव कृषि प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।

17--चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर ।

18--अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।

19--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

समस्त प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के प्रशासन एवं उनके अनुरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार क अनुदान स्वीकृत करने का सारा कार्य शासन के स्तर पर क्रमशः शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा होता है । इसी प्रकार कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उपरोक्त कार्य कृषि विभाग द्वारा किया जाता है ।

उपरोक्त उन्नीस विश्वविद्यालयों में से निम्नलिखित 13 विश्वविद्यालय (मैदानी क्षेत्र के 11 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 2 विश्व-विद्यालयों) को पंचम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शासकीय स्तर पर विकास अनुदान स्वीकृत किया जाता है--

1--इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।

2--लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

3--आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ।

4--गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ।

5--सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

6--कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ।

7--मेरठ विश्वविद्यालय , मेरठ ।

8--काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।

9--कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल ।

10--गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल ।

11--रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली ।

12--अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।

13--बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी ।

शासकीय स्तर पर ही प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं उपाधि महाविद्यालयों की सहकारिता के आधार पर पुस्तकलयों को संचालित करने के लिये अनावर्तक अनुदान भी स्वीकृत किये जाते हैं ।

III--राजकीय महाविद्यालय

	1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
	54.212	75.808	81.680

वर्ष 1977–78 तक प्रदेश में निम्नलिखित 24 राजकीय महाविद्यालय थे :

मैदानी क्षेत्र के राजकीय डिग्री कालेज	पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय डिग्री कालेज
1	2
1—के0 एन0 डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी	1—राजकीय डिग्री कालेज, गोपेश्वर, चमोली
2—राजकीय रजा डिग्री कालेज, रामपुर	2—राजकीय डिग्री कालेज, ऋषिकेश, देहरादून
3—राजकीय डिग्री कालेज, चन्दौली (वाराणसी)	3—राजकीय डिग्री कालेज, रानीखेत, अल्मोड़ा
4—राजकीय डिग्री कालेज, दुद्धी (मिर्जापुर)	4—राजकीय डिग्री कालेज, काशीपुर, नैनीताल
5—राजकीय डिग्री कालेज, जखिनी (वाराणसी)	5—राजकीय डिग्री कालेज पिथौरागढ़
6—राजकीय डिग्री कालेज, हमीरपुर	6—राजकीय डिग्री कालेज, उत्तर काशी
7—राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद, सीतापुर	7—राजकीय डिग्री कालेज, कोटद्वारा, गढ़वाल
8—राजकीय महाविद्यालय, वीसलपुर, पीलीभीत	8—राजकीय डिग्री कालेज, जयहरीखाल, लैन्सडाउन, गढ़वाल
9—राजकीय महिला महाविद्यालय, रामपुर	9—राजकीय डिग्री कालेज, बेरीनाग, पिथौरागढ़
10—राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	10—राजकीय डिग्री कालेज, रुद्रपुर, नैनीताल
11—राजकीय महाविद्यालय, चकिया (वाराणसी)	11—राजकीय डिग्री कालेज, अगस्त मुनि, चमोली
	12—राजकीय डिग्री कालेज, बागेश्वर, अल्मोड़ा
	13—प्यारेलाल नन्द किशोर गलवलिया जनता महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल)

वर्ष 1975–76 में निम्नलिखित 5 राजकीय महाविद्यालय, कुमायूं एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालयों के रूप में सम्मिलित हो गये और वर्ष 1977–78 (अगस्त, सितम्बर, 1977) से इन महाविद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण भी विश्वविद्यालयों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। अब यह विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग हो गये हैं—

1—राजकीय डी0 एस0 वी0 डिग्री कालेज, नैनीताल
2—राजकीय डिग्री कालेज, अल्मोड़ा
} कुमायूं विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालय के रूप में

3—राजकीय बिरला डिग्री कालेज, श्रीनगर, गढ़वाल
4—राजकीय बी0 गोपाल रेड्डी डिग्री कालेज, पौड़ी
5—स्वामी रामतीर्थ राजकीय डिग्री कालेज, टिहरी गढ़वाल
} गढ़वाल विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में

वित्तीय वर्ष 1978–79 में निम्नांकित चार राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं—

क्रम-संख्या	महाविद्यालय का नाम	संकाय स्तर विषय
1	2	3
1	राजकीय महाविद्यालय, चरखारी, हमीरपुर	कला स्नातक हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान ।
2	राजकीय महाविद्यालय, ऊंचाहार, रायबरेली	कला स्नातक हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान ।
3	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांदा	,, ,, ,, ,,
4	राजकीय कन्या महाविद्यालय, देवरिया	,, ,, ,, ,,

वित्तीय वर्ष 1978–79 में निम्नांकित राजकीय महाविद्यालयों में उनके समक्ष अंकित संकायों तथा विषयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नयी कक्षायें खोली गयीं :

क्रम सं0	महाविद्यालयों के नाम	संकाय	स्तर	विषय
1	2	3	4	5
1	राजकीय महाविद्यालय, बागेश्वर, अल्मोड़ा	कला	स्नातकोत्तर	हिन्दी, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल
2	राजकीय महाविद्यालय, पिथौरागढ़	कला	,,	इतिहास
		वाणिज्य		एम0 काम0
3	राजकीय महाविद्यालय, उत्तरकाशी	कला		संस्कृत इतिहास, अंग्रेजी
		विज्ञान		भौतिक शास्त्र
4	राजकीय महाविद्यालय, रामपुर	कला	स्नातक	समाज शास्त्र, ड्राइंग एवं पेंटिंग
5	राजकीय कन्या महाविद्यालय, रामपुर	कला	,,	समाजशास्त्र
6	राजकीय महाविद्यालय, गाजीपुर	कला	स्नातक	संगीत (गायन)
		कला	स्नातक	उर्दू, दर्शनशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मानव शास्त्र प्रा0 इतिहास. भूगोल
		विज्ञान	,,	संगीत (गायन तथा वादन) ललितकला (ड्राइंग एवं पेंटिंग) रसायन प्राणिशास्त्र वनस्पति शास्त्र
7	राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर वाराणसी ..	कला	,,	समाज शास्त्र

शासन ने दिसम्बर, 1974 ई0 में प्रदेशके विश्वविद्यालय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकोंके लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान 1 जनवरी, 1973 ई0 से लागू कर दिया था । राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को यह लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था । अब शासन ने राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतन मान 1 जनवरी, 1973 ई0 से लागू कर दिया है ।

उच्चशिक्षा निदेशालयके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में श्रेणीवार अध्यापकों के पदों की अनुमानित संख्या उनके वेतनमान सहित निम्नवत् है—

	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	
			शासकीय	अशासकीय
1	प्रचार्य (स्नातकोत्तर)	1500–2500	3	47
2	प्राचार्य (स्नातकोत्तर एवं स्नातक)	1200–1900	25	264
3	विभागाध्यक्ष (स्नातकोत्तर)	700–1600	66	—
4	विभागाध्यक्ष (स्नातक)	700–1600	179	—
5	रीडर्स/सीनियर प्रवक्ता	700–1600	—	400
6	ज्येष्ठ प्रवक्ता	700–1600	52	—
7	प्रवक्ता	700–1600	467*	11,000
8	डिमान्स्ट्रेटर	500–900	—	40

*(इस संख्या में सहायक प्रोफेसर के 56 स्थायी पद स्थगित हैं)

राजकीय महाविद्यालयों के भवन के लघु निर्माण कार्यहेतु वर्ष 1978–79 में 1,30,000 रु0 का प्राविधान था, वित्तीय वर्ष 1979–80 में इस कार्य हेतु रु0 1,50,000 का प्राविधान किया गया है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1979–80 के प्राविधान में 5,87,200 रु0 की वृद्धि की गई है जो मुख्यतः वर्तमान उपाधि महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यरत कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धियों एवं बढ़ी हुई महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि तथा मशीनों तथा सज्जा उपकरण एवं संयत्र तथा प्रकीर्ण व्यय एवं संयोगिक व्यय के प्राविधान में आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने के कारण है ।

इस शीर्षक अन्तर्गत नयी मांगों की अनुसूची द्वारा आयोजनागत आय–व्ययक के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं के लिये उनके सम्मुख अंकित प्राविधान की व्यवस्था की गई है—

(1)	नये राजकीय उपाधि महाविद्यालयों की स्थापना तथा अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों को प्रान्तीयकरण	2,12,000
(2)	राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, वाचनालयों एवं योगशालाओं में गुणनात्मक सुधार तथा प्रांगण विकास की योजना	7,50,000

(3) वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश	5,90,000
योग ..	15,52,000

IV--अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता--सहायक अनुदान--

1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
2121.788	2343.310	2274.050

वर्ष 1977-78 तक अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 340 थी जिनमें 265 पुरुषों के तथा 75 महिलाओं के महाविद्यालय थे। इनमें सहायताप्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 301 थी, जिनमें पुरुषों के 241 तथा महिलाओं के 60 महाविद्यालय थे।

सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत करने की पुरानी प्रणाली शासन द्वारा समाप्त करके 1 अप्रैल, 1975 से अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन संदाय की प्रणाली लागू की गई। इसके अन्तर्गत कला संकाय वाले महाविद्यालयों से उनकी शुल्क का 80 प्रतिशत तथा विज्ञान संकाय वाले महाविद्यालयों से उनके शुल्क का 75 प्रतिशत वेतन संदाय खाते में जमा करा दिया जाता है। अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन के लिये कम पड़ने वाले धनराशि को पोषण अनुदान के रूप में विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

कतिपय अशासकीय महाविद्यालयों में एम0एड0 एवं बी0एड0 की प्रशिक्षण कक्षाओं की भी व्यवस्था की गई है इनमें सम्बन्धित कतिपय सूचनायें नीचे दी गयी हैं :

वर्ष	महाविद्यालयों की प्रशिक्षण संस्थायें (एम0एड0 एवं बी0एड0)		योग
	पुरुष	महिला	
1	2	3	4
1976-77	78	22	100
1977-78	78	23	101
1978-79	78	23	101

स्तम्भ 4 में उल्लिखित संस्थाओं में 6 राजकीय महाविद्यालयों के साथ संलग्न प्रशिक्षण संस्थायें भी शामिल हैं।

अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अन्य अनुदान देने हेतु निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :

क्रम-संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1979-80 के लिये प्राविधानित धनराशि
1	गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा दिया जाना	13,01,000
2	अशासकीय महाविद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार का अंशदान	4,92,000
3	छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन	49,000
4	स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को नये संकायों एवं विषयों के प्रारम्भ करने हेतु सहायक अनुदान	9,00,000
5	अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों को विकास अनुदान	1,00,000
6	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों के अंशदान हेतु महाविद्यालयों, पुस्तकालयों को प्रयोगशालाओं हेतु विकास अनुदान	12,05,000
7	अशासकीय महाविद्यालयों को प्रांगण विकास तथा छात्रावासों में सुधार हेतु अनुदान	2,00,000
8	अशासकीय स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा व्यवस्था	15,17,000
9	अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने हेतु अनुदान	5,40,000
	योग ..	48,04,000

नये विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवाओं की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्राविधान किया गया है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत इस वर्ष 1979 80 के प्राविधान में कुल 59,26,000 रु0 की कमी प्रदर्शित की गई है जो मुख्यतः गत वर्ष के व्यय के आधार पर है । इस शीर्षक के अन्तर्गत नई मांगों की अनुसूची द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु आयोजनागत आय-व्ययक में कुल रु0 20,62,000 की व्यवस्था की गई है ।

अशासकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वतिपय शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन 1 अप्रैल, 1978 से मकान किराया भत्ता की सुविधा प्रदान की गई है । पर्वतीय क्षेत्र के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 1 जुलाई, 1978 से पर्वतीय विकास भत्ता की भी सुविधा अनुमन्य की गई है तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि की सुविधा 1 अप्रैल, 1979 से दी जाने लगी है । इस हेतु वर्तमान वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है ।

V--अध्यापकों का विकास कार्यक्रम --

1977--78 वास्तविक व्यय	1978--79 पुनरीक्षित अनुमान	1978--80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
1.044	1.450	0.750

अशासकीय महाविद्यालयों से सम्बद्ध कतिपय गैर सरकारी विस्तार सेवा केन्द्रों के समाप्त होने के कारण वर्ष 1979-80 के आय-व्ययक में केवल 75,000 रु0 की व्यवस्था की गई है ।

VI - छात्रवृत्तियां --

1977--78 वास्तविक व्यय	1978--79 पुनरीक्षित अनुमान	1979--80 आय-व्ययक अनुमा
रु0	रु0	रु0
41.779	48.633	48.530

प्रदेश के स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के परिश्रमी एवं प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन देने एवं निर्धन तथा मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है । साथ ही विभिन्न युद्धों में मारे गये या अपंग हो गये, बन्दी बना लिये गये या लापता घोषित सैनिकों के बच्चों एवं आश्रितों को छात्रवृत्तियां प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है । साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों एवं बच्चों को शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने एवं शोध छात्रवृत्तियां तथा विश्वविद्यालय के छात्रों को पुस्तकों की व्यवस्था करने हेतु भी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

घ--विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत देय प्रमुख छात्रवृत्तियों का विवरण निम्नवत् है :

घ --विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा--VI--"छात्रवृत्तियां" का विवरण :

क्रम-संख्या	छात्रवृत्तियों के नाम	आय-व्ययक अनुमान 1979 80	छात्रवृत्तियों की संख्या एवं दर
1	2	3	4
		रुपया	
1	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों की योग्यता छात्रवृत्ति	1,83,000	कुल छात्रवृत्तियां 230, 75 रु0 से 125 रु0 प्रति माह स्वीकृत होती है । स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध कक्षा में नवीनीकरण होता है ।
2	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की केन्द्रीय योजना	38,94,000	लगभग 825 छात्रवृत्तियां डिग्री स्तर पर प्रत्येक वर्ष दी जाती है तथा विगत वर्षों का लगभग 4, 50 छात्रवृत्ति/वृत्तियों का नवीनीकरण किया जाता है, जो 75 रु0 से 125 रु0 तक स्वीकृत होती है ।

1	2	3	4
		रुपया	
3	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधायें और छात्रावृत्तियां	3,62,000	छात्रवृत्तियों एवं पुस्तकीय सहायता की संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्येक छात्रवृत्ति न्यूनतम 30 रु0 प्रति मास तथा अधिकतम 50 रु0 प्रति मास तथा पुस्तकीय सहायता न्यूनतम 150 रु0 से 180 रु0 वार्षिक प्राविधानित धनराशि के आधार पर स्वीकृत की जाती है। स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्तियों की स्वीकृतियां मण्डलीय अधिकारियों के द्वारा तथा शोध कक्षाओं में निदेशालय द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।
4	माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां	54,000	आचार्य में 40 रु0 तथा शास्त्री में 30 रु0 प्रति माह की दर से कुल 68 छात्रवृत्तियां निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत की जाती है।
5	विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्र वेतन तथा पुस्तकों की व्यवस्था	1,50,000	152 वृत्तिकायें 30 रु0 मासिक 12 मास के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक पाने पर योग्यतानुक्रम में मण्डलीय अधिकारियों द्वारा प्रदत्त की जाती है।
6	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों की व्यवस्था	50,000	200 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रति मास 100 छात्रवृत्ति बी0 ए0, बी0 एस-सी0, प्रथम वर्ष तथा 100 छात्रवृत्तियां द्वितीय वर्ष में छात्र/छात्राओं के श्रेष्ठतानुसार प्रदान की जाती है।
7	इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली में शोध कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	29,000	2 छात्रवृत्ति को 300 रु0 प्रति मास/इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली में शोधरत 2 छात्रों को 300 रु0 प्रति मास की दर से 3 साल के लिये छात्रवृत्ति देय है।
8	वर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण	2,000	छात्रवृत्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्येक छात्रवृत्ति 82.50 रु0 से 90 रु0 प्रति मास तक वृत्तिका तथा न्यूनतम 112 रु0 से 150 रु0 तक पुस्तकीय सहायता निदेशालय द्वारा स्वीकृत की जाती है।
9	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों को छात्र वेतन	8,000	18 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रति मास मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
10	1971 के पाकिस्तान आक्रमण से प्रभावित प्रतिरक्षा कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को शैक्षिक सुविधायें	8,000	33 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रति मास की दर से 12 माह के लिये स्वीकृत होती है।
11	सन् 1962 एवं 1965 के युद्धों में मारे अथवा स्थायी रूप से अपंग तथा 1971 के युद्ध में बन्दियों एवं लापता घोषित प्रतिरक्षा कार्मिकों के बच्चों, विधवाओं की सुविधायें	4,000	..
12	स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को अतिरिक्त वर्सरी छात्रवृत्तियां	11,000	ये छात्रवृत्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। प्राविधानित धनराशि के आधार पर विभिन्न दरों से छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती हैं।
13	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को मुफ्त शिक्षा	80,000	..
14	लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विद्यालय में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां	4,000	..
15	वीरगति प्राप्त हुए अथवा अंगहीन प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था	5,000	..
16	भारत की सुरक्षा में सीमावर्ती क्षेत्रों में वीरगति प्राप्त प्रान्तीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी के जवानों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा	2,000	..
17	सामरिक क्षेत्रों में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा	5,000	..
	योग ..	48,51,000	

इस शीर्षक के अन्तर्गत 10,300 रुपये की कमी प्रदर्शित की गई है जो वास्तविक आवश्यकता के आधार पर है ।

VII—पुस्तकों की प्रोन्नति (लाख रु0 में)

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
6.000	20.000	20.000

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी साहित्य के प्रकाशनार्थ एक स्वायत्त निगम की स्थापना की गयी है ।

उच्च शिक्षा के स्तर पर हिन्दी माध्यम में विविध विषयों पर उपयुक्त पाठ्य ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये पंचम पंचवर्षीय योजना म केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत उच्च स्तर पर हिन्दी साहित्य के सृजन हेतु एक स्वायत्त निगम की स्थापना की गई है । इस योजना का सम्पादन एवं निगम पर नियंत्रण शासन के स्तर से किया जाता है । निगम के क्रिया–कलापों को चालू रखने के लिये विभिन्न वर्षों में उनके सम्मुख निम्नवत् प्राविधान किया गया है :

वर्ष	आय-व्ययक प्राविधान
	रु0
1977–78	20,00,000
1978–79	20,00,000
1979–80	20,00,000

VIII—अन्य-व्यय (लाख रु0 में)

1978–79 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
40.429	52.268	56.520

इस शीर्षक के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उनके सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् पेंशन एवं ग्रेच्युटी प्रदान करने हेतु वर्ष 1979–80 में 9,00,000 रु0 की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं को उनके क्रिया-कलापों हेतु आवश्यक प्राविधान देने की भी व्यवस्था की गई है । कतिपय प्रमुख अनुदानों का विवरण निम्नवत् है:—

क्रम–सं0	अनुदान की मदें	वर्ष 1979–80 का आय-व्ययक प्राविधान
1	2	3
		रु0
1	अशासकीय विशेष विद्यालयों को अनुदान	2,00,000
2	हिन्दुस्तानी अकादमी, उत्तर प्रदेश को अनुदान	35,00,000
3	कालविन तालुकेदार स्कूल और ट्रेनिंग कालेज को अनुदान	25,00,000
4	विदेश जाने वाले छात्रों को यात्रा व्यय	50,000
5	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	6,000
6	साहित्य का विकास	2,60,000
7	नागरी प्रचारिणी सभा एवं चौखम्भा संस्कृत सिरीज	10,000
8	अखिल भारतीय काशी राज ट्रस्ट को अनुदान	25,000
9	गांधी अध्ययन संस्थान वाराणसी को सहायक अनुदान	3,50,000
10	उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल समिति को सहायक अनुदान	13,61,000
11	पर्वतारोहण दलों को अनुदान	15,000
12	विद्यालयों आदि के लिये अनुदान	15,000
13	प्रौढ़ नामिनेशन फण्ड को अनुदान	1,000
14	ईश्वरी प्रसाद ऐतिहासिक संस्थान (इन्स्टीट्यूट आफ हिस्ट्री), इलाहाबाद को अनुदान (आवर्तक) ..	15,000
15	भारतीय विद्यार्थियों के यूनियन और छात्रावास बल को अनुदान	5,000

1	2	3
		रु0
16	गोविन्द वल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद को अनुदान	2,50,000
17	उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान को अनुदान	15,60,000
18	मेहता गणित तथा गणित शोध संस्थान, अरवारी को अनुदान	50,000
19	बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट, लखनऊ को अनुदान	5,000
20	उच्च कोटि के पुस्तकों के प्रकाशन के लिये एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था	50,000
21	संस्कृत विश्व परिषद् को अनुदान	5,000
22	वंश तथा लोक संस्कृति समिति, लखनऊ	2,000
23	उत्तर प्रदेश इतिहास समिति	4,000
24	लखनऊ विश्वविद्यालय की उर्दू सोसाइटी को अनुदान	4,000
25	विज्ञान परिषद्	2,000
26	उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित उन संस्थाओं को अनुदान जो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिये रहने और भोजन की व्यवस्था करती हैं	6,000
27	भारतीय नाटक शास्त्र समिति को अनुदान	1,000
	योग ..	1,02,52,000

इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1979–80 के प्रविधान में रु0 4,25,200 की वृद्धि आवश्यकता के आधार पर संस्थाओं को अधिक अनुदान देने के कारण है।

(35) पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद का प्रान्तीयकरण एवं सुदृढ़ीकरण— (लाख रु0 में)

	1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 अनुरक्षित अनुमान	1979–80 आय-व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
	1.605	2.230	3.150

प्रदेश में इस प्राचीन पुस्तकालय की स्थापना सन् 1863–64 में हुई थी। तब से इस पुस्तकालय में अत्यन्त महत्वपूर्ण दुर्लभ पाठ्य सामग्री संग्रहीत होती आ रही है। इस समय इसमें हिन्दी, अंग्रेजी तथा इतर योरोपीय भाषाओं के साथ–साथ उर्दू, अरबी/फारसी, बंगला एवं संस्कृत भाषाओं की लगभग 73,000 पुस्तकों का संग्रह है। यहां ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में शोध स्तर की अत्यन्त दुर्लभ पुस्तकों का संकलन है। 15 अगस्त, 1975 में शासन द्वारा प्रान्तीयकृत किये जाने के उपरान्त इसमें संग्रहीत जीर्ण–शीर्ण अध्ययन सामग्री को वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण देने हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसमें पाठकों को सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त शोध सम्बन्धी विशेष सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

वर्ष 1975–76 में इस लाइब्रेरी का प्रान्तीयकरण के उपरान्त इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 1.663 लाख रुपये का प्राविधान किया गया। 1976–77 में 1.54 लाख रुपये का तथा वर्ष 1977–78 एवं 1978–79 में क्रमशः 2.90 लाख तथा 2.20 लाख रुपये के प्राविधान की व्यवस्था की गई।

वर्ष 1979–80 में पाठकों के लिये नई पुस्तकों के क्रय करने के अतिरिक्त एक लेमोनेशन मशीन विदेश से आयात करने का भी लक्ष्य है। पुस्तकों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अन्य यांत्रिक संयंत्रों को क्रय करने तथा लेमोनेशन मशीन क्रय करने के उपरान्त उसके कक्ष हेतु आवश्यक साज–सज्जा की भी व्यवस्था की जायेगी।

इस शीर्षक के अन्तर्गत रु0 92,000 की वृद्धि हुई है, जो नये पदों के सृजन, पुस्तकों के संरक्षण हेतु एक लेमोनेशन मशीन विदेश से आयात कराने तथा साज–सज्जा उपकरण और संयंत्र पर अधिक व्यय प्रस्तावित किये जाने के कारण हैं।

(च) क्रीड़ा एवं युवक कल्याण— (लाख रु0 में)

	1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय-व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
	347.171	412.370	300.370

इस शीर्षक के अन्तर्गत युवक कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अनुदान के प्राविधान शामिल हैं। उपरोक्त कार्य हेतु गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रु0 1,12,00,000 की कमी की गई है, जो खेलकूद निदेशालय से सम्बन्धित मदों के लिये व्यवस्थित प्राविधानों को अनुदान संख्या 36 में हस्तान्तरित कर दिये जाने के कारण है।

iii—युवक कल्याण योजनायें— (लाख रु० में)

1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
रु०	रु०	रु०
262.919	296.665	30.370

इस शीर्षक के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिये सैन्य प्रशिक्षण, नेशनल फिटनेस कोर योजना एवं राष्ट्रीय शिक्षा युवक कल्याण कार्यक्रम को प्रोन्नति एवं अन्य प्रकार के अनुदान सम्मिलित हैं। इसके अन्तर्गत 3,70,500 रु० की वृद्धि की गई है जिसका विवरण प्रत्येक लघु शीर्षक के अनुसार निम्नवत् है:—

(1) विद्यार्थियों के लिये सैन्य प्रशिक्षण— (लाख रु० में)

1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
रु०	रु०	रु०
8.231	2.793	2.170

प्रदेशीय शिक्षा दल योजना के 1972 में समाप्त किये जाने के फलस्वरूप उस योजना के भूतपूर्व अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि उस समय तक भुगतान किया जाना है जब तक इस योजना के कर्मचारियों का शिक्षा विभाग में विलीनीकरण नहीं हो जाता। इस योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व प्रदेशीय शिक्षा दल योजना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने युवक कल्याण अभियानों के संचालन, समन्वय, एकीकरण तथा युवक शिविरों का आयोजन किया। इस योजना के कर्मचारियों ने युवक/युवतियों के समारोह, प्रशिक्षण एवं अभिरुचि केन्द्रों, जनपदीय, मण्डलीय, अन्तर्मण्डलीय तथा राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया तथा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान का संचालन उनको प्रदेशीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता तथा शारीरिक शिक्षा के कार्यों का सम्पादन किया। चालू वित्तीय वर्ष 1979-80 में इस योजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार केवल 2,17,000 रु० की व्यवस्था की गई है।

(iii) नेशनल फिटनेस कोर योजना— (लाख रु० में)

1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
रु०	रु०	रु०
55.105	55.780	51.380

नेशनल फिटनेस कोर योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता था। इस योजना का प्रशासनिक नियंत्रण दिनांक 1 अक्तूबर, 1972 से प्रदेशीय सरकार को सौंपा गया। नेशनल फिटनेस कोर योजना के अन्तर्गत वर्तमान समय में दो अधिकारी तथा 25 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 775 अनुदेशक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों में पदस्थित हैं। इन अनुदेशकों की सेवाओं को दिनांक 1 जुलाई, 1976 से प्रदेशीय सेवा में "शारीरिक शिक्षा अनुदेशक" के नाम से सृजित एक नवीन संवर्ग में विलीन कर लिया गया है। उक्त दिनांक से यह अनुदेशक राज्य कर्मचारी हो गये हैं। परन्तु उनके वेतन तथा भत्तों की प्रतिपूर्ति पूर्ववत् भारत सरकार द्वारा तब तक की जाती रहेगी। जब तक वे सेवा में रहेंगे और सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी के व्यय का वहन भी भारत सरकार द्वारा ही किया जायगा। इन अनुदेशकों के सेवा सम्बन्धी कार्य शिक्षा निदेशालय (शविर), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीन एन०एफ०सी० अनुभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

नेशनल फिटनेस कोर योजना का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा के लिये शारीरिक क्षमता, कठोरता, साहस, सहनशीलता, अनुशासन एवं देशभक्ति के प्रति उत्साह पैदा करते हुये नवयुवकों को शारीरिक दृष्टि से मजबूत और लचीला बनाना है। छात्रों में जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझाना और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना है। इन अनुदेशकों के कार्यकलाप निम्नवत् हैं:—

(1) विद्यालयों में छात्रों को व्यायाम, आसन, कवायद एवं मार्चिंग करवाना।

(2) लेजिम, जिमनास्टिक, लोक नृत्य, खेलकूद एवं रिले।

(3) धावनपथ तथा मैदान की प्रतियोगितायें, पद यात्रा (हाईकिंग)।

(4) मुकाबले के खेल।

(5) राष्ट्रीय आदर्श और अच्छी नागरिकता, व्यवहारिक योजनायें, राष्ट्रीय भावनात्मक तथा राष्ट्रीय एकता के गीतों का सामूहिक गान।

(6) जिला मण्डलीय तथा प्रदेशीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में योगदान देना।

(7) विद्यालयों में अनुशासन बनाये रखना।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल योजना को तत्परतापूर्वक चलाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अनुदेशकों को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह खेलकूद द्वारा छात्र/छात्राओं में मानसिक एवं शारीरिक दक्षता तथा जीवन में अनुशासन प्रदान करें। साथ ही उन्हें अच्छे नागरिक बनाकर राष्ट्र का उत्थान करें। इस उद्देश्य को लेकर गतवर्ष विद्यालयों में व्यायाम, आसन जिमनस्टिक,

आयोजित किये गये । इसके अतिरिक्त हाकी, वालीबाल, बास्केट बाल, फुटबाल, खो-खो, टेबुल टेनिस, बैडमिन्टन, क्रिकेट इत्यादि खेल जिला, मण्डल, प्रदेशीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किये गये ।

राष्ट्रीय फिटनेस कोर योजना का प्रभाव विद्यालयों में खेलकूद के मैदानों में तथा विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जीवन में बढ़ते हुये अनुशासन के रूप में स्पष्ट प्रतीत होता है ।

शारीरिक शिक्षा अध्यापक की तरह शारीरिक शिक्षा अनुदेशक जो दिनांक 1 जुलाई, 1976 से अपने नये पद पर पूर्ण रूप से प्रदेशीय शासन के अन्तर्गत आ गये हैं, राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों में पदस्थित होकर छात्र/छात्राओं को खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करते हैं । इसके अतिरिक्त विद्यालयों में खेलकूद की अनिवार्य योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को पाठ्येतर कार्यक्रम के अतिरिक्त उनके द्वारा विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे पूर्ण रूप से खेलों में दक्ष होकर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें । इसके अतिरिक्त युवक कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय क्रियाकलापों की व्यवस्था की गई है ।

शासन के आदेशानुसार वर्ष 1976-77 में नेशनाल फिटनेस कोर योजना के अनुदेशकों की सेवायें प्रदेशीय सरकार में विलीन किये जाने तथा उनके निर्धारित किये गये वेतन तथा महंगाई भत्ते की धनराशि के अन्तर को वेतन की संज्ञा दिये जाने के फलस्वरूप उनकी सुरक्षित परिलब्धियों पर 1 जुलाई, 1976 से महंगाई भत्ता, मकान तथा नगर भत्ते का भुगतान किया गया । अतः वित्तीय वर्ष 1977-78 में 57,23,000 रु0 का व्यय हुआ । वित्तीय वर्ष 1978-79 में इस योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय क्रिया-कलापों के सम्पादनार्थ, 43,68,300 रु0 का प्राविधान किया गया था । चालू वित्तीय वर्ष 1979-80 में इस योजना के लिये कुल 51,38,000 रु0 की व्यवस्था है ।

इसके अतिरिक्त कतिपय निम्न प्रमुख योजनायें भी हैं, जिनके कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक मद के सम्मुख अंकित धनराशि की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 1979-80 में की गई है :-

	योजना/मदों के नाम	आय व्ययक प्राविधान 1979-80
		रु0
1	राष्ट्रीय सेवायोजना का कार्यान्वयन	33,00,000
2	राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान का कार्यक्रम	34,000
3	शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्यक्रम की प्रोन्नति	2,35,000
4	केन्द्र सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत नेशनल सर्विस कोर की सहायता (केन्द्र सेक्टर की राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविरों का कार्यान्वयन)	16,50,000
	योग ..	52,19,000

1—राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यान्वयन—

यह योजना शिक्षा आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रारम्भ की गई है । यह सर्वप्रथम वर्ष 1969-70 में वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय में लागू की गई । इस समय प्रदेश के 19 विश्वविद्यालयों एवं 334 डिग्री कालेजों में लागू है । इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों में नेतृत्व और उत्तरदायित्व की भावना का विकास एवं सामाजिक कार्यक्रमों का ज्ञान कराना है । इससे एन0सी0सी0 की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई ।

2—राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान कार्यक्रम—

हर वर्ष प्रत्येक वर्ग के सभी पुरुष, स्त्री को अपनी शारीरिक कुशलता को परखने तथा सुधारने का मुख्य उद्देश्य इस योजना के अन्तर्गत निहित है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शारीरिक क्षमता की आवश्यकता लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय कुशलता के उच्च स्तरों को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 1959-60 में संचालित की गई थी ।

इस योजना का सम्पूर्ण संचालन शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ।

3—शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्यक्रम की प्रोन्नति

प्रदेश के छात्र छात्राओं में खेलकूद के कार्यक्रमों में रुचि उत्पन्न करना, मनोबल को ऊंचा उठाना एवं उनके शारीरिक, मानसिक एवं चरित्र निर्माण का विकास करना एवं उनमें कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह योजना चलायी गई है ।

वित्तीय वर्ष 1978-79 में 2,35,000 रु0 का प्राविधान था । चालू वित्तीय वर्ष 1979-80 में 2,35,000 रु0 की व्यवस्था है ।

4—केन्द्र सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत नेशनल सर्विस कोर की सहायता—

विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों में नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने हेतु सामाजिक दायित्व एवं राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरूक रखने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारम्भ किया गया है । वित्तीय वर्ष 1979-80 में इस योजना के कार्यान्वयन के लिये 16,50,000 रु0 का प्राविधान स्वीकृत किया गया है ।

(9) खेलकूद तथा अन्य विद्यालय के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु व्यवस्था

(लाख रु0 में)

1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
8.812	8.438	1.480

इस योजना के उद्देश्य विद्यार्थियों में खेलकूद, पाठ्येत्तर कार्यक्रमों के प्रति अभिरुचि, शारीरिक तथा मानसिक विकास के साथ-साथ चरित्र का निर्माण, सहयोगी जीवन के प्रति सद्भावना तथा कर्तव्यनिष्ठा की भावना जागृत करना है ।

चालू वित्तीय वर्ष 1979–80 में इस योजनान्तर्गत 1,48,000 रु0 का प्राविधान है ।

वर्ष 1979-80 में इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय विद्यालय भी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं को प्राथमिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाओं में वृद्धि का प्रस्ताव है ।

(10) राष्ट्रीय सेना छात्र-दल

(लाख रु0 में)

1977–78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
168. 700	201. 539	186. 370

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अधिकांश कालेजों में विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत रु0 15,16,900 की कमी की गई है, जो वास्तविक आवश्यकता के आधार पर है ।

छ—सामान्य

I—छात्रवृत्तियां–

(लाख रु0 में)

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
0. 129	0. 231	0. 240

इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्न छात्रवृत्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान किया गया है :

क्रमांक	संस्थाओं के नाम	वर्ष 1979–80 के लिये प्राविधान
		रु0
1	राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय, देहरादून को छात्रवृत्तियां	15,000
2	नौगांव और अजमेर के मिलीटरी कालेजों में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति ..	2,000
3	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड़कवासला में उत्तर प्रदेश के छात्र सैनिकों के लिये छात्रवृत्तियां तथा छात्रवेतन	7,000
	योग ..	24,000

1(ब) "288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण"

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े हुये वर्गों का कल्याण

(लाख रु0 में)

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय-व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
29. 597	222. 364	303. 200

11- —सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े हुये वर्गों के कल्याण हेतु शासन ने कतिपय योजनायें चलायी हैं । शिक्षा विभाग के अधीन उसके लिये एक अलग लेखा शीर्षक "288 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण" नामक योजनान्तर्गत वर्ष 1979–80 में कुल 3,03,20,000 रु0 की व्यवस्था की गयी है, जिससे निम्नांकित योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है :

क्रम-सं0	शीर्षक	वर्ष 1979–80 में व्यवस्थित धनराशि
1	2	3
		रु0
1	अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय को आर्थिक सहायता ..	4,12,000
2	अनुसूचित जन जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक के बालकों, बालिकाओं को फीस हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान	55,000
3	अनुसूचित जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक बालकों/बालिकाओं को फीस हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की क्षतिपूर्ति अनुदान	10,00,000

1	2	3
		रु0
4	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान	59,116,000
5	मेहतरों के बच्चों के लिये आश्रम पद्धति के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् के अनुदान	6,228,000
6	अनुसूचित जन जातियों के बालकों, बालिकाओं को कक्षा 1–5 तक, कक्षा 6–8 में छात्रवृत्तियां तथा अनावर्तक आर्थिक सहायता	5,115,000
7	अध्यापक छात्र अनुपात को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं नागर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापक भी सम्मिलित हैं, की नियुक्ति	1,02,514,000
8	अनुसूचित जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं की बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता	9,335,000
9	पिछड़ी जातियों के पूर्व माध्यमिक शिक्षा स्तर के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता	5,417,000
10	आदिवासियों के पूर्व माध्यमिक स्तर तक के अध्ययन कर रहे बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता	2,836,000
11	ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों तथा बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान ..	83,654,000
12	ट्राइबल प्लान ग्रामीण क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने तथा उनके भवनों के निर्माण हेतु अनुदान	10,000,000
13	आयोजनागत ट्राइबल प्लान राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उन्नयन तथा नये हाई स्कूलों का खोला जाना	1,033,000
14	जन जाति सब–प्लान ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान ..	1,330,000
15	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों को भवन निर्माण हेतु अनुदान	1,775,000
	योग––288––सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण..	3,03,220,000

इस शीर्षक के अन्तर्गत रु0 80,83,600 की वृद्धि की गई है जो अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों तथा पिछड़े हुये वर्गों की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त नई मांगों की अनुसूची द्वारा प्लान एवं जन जाति सब प्लान का प्राविधान किया गया है । अधिक अनुदान प्रदान किये जाने के कारण है ॥ इसके आयोजनागत आय व्ययक के अन्तर्गत ट्राइबल विभिन्न योजनाओं के लिये कुल रु0 14,08,000 का प्राविधान किया गया है। 2––अनुदान संख्या 53 लेखा शीर्षक 299––विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र––पर्वतीय क्षेत्र––शिक्षा

(लाख रु0 में)

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुदान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
2140.329	2588.177	3057.520

पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974–75 से पर्वतीय क्षेत्र के आठ जिलों (नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, चमोली तथा पिथौरागढ़) में शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यालयों एवं अशासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये आवश्यक प्राविधान किया जाता है । ये विद्यालय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से सम्बन्धित हैं । इनमें वेतन, महंगाई भत्ते या यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्ययक, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण, भवन किराया, उपशुल्क एवं कर मशीनों तथा सज्जा एवं अंशदान देने हेतु आवश्यक प्राविधान की व्यवस्था की गई है । इसी प्रकार अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन देने हेतु शोधन की व्यवस्था की गई हैं । निर्धन एवं मेधावी छात्रों को अध्ययन में सहायता पहुंचाने हेतु विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्तियों तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की गई है । युवक कल्याण योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा एवं खेल कूद प्रतियोगिता की व्यवस्था है तथा बालचर योजना तथा शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण की भी योजना कार्यान्वित की जा रही है। विद्यार्थियों के लिये सैन्य प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय सेना छात्र दल योजना के अन्तर्गत युवकों के लिये सैन्य प्रशिक्षण का भी प्राविधान है । वर्ष 1974–75 में पर्वतीय क्षेत्र में कुमायूं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है तथा डी0एस0बी0 राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल तथा राजकीय डिग्री कालेज अल्मोड़ा को कुमायूं विश्वविद्यालय को तथा राजकीय डिग्री कालेज, श्रीनगर (गढ़वाल), पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल को गढ़वाल विश्वविद्यालय के कान्स्टीटूएन्ट डिग्री कालेजों के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 1978–79 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 24,93,47,200 रु0 का प्राविधान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 1979–80 में इस शीर्षक में कुल रु0 30,57,52,000 का प्राविधान है ।

वर्ष 1979–80 के लिये आयोजनेतर नई मांगों की अनुसूची द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में आय–व्ययक निम्नांकित मदों के लिये प्राविधान किया गया है :

क्रम संख्या	योजना	वर्ष 1979–80 का प्राविधान
1	2	3
		रु0
1	सहायता प्राप्त अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन वितरण की व्यवस्था	1,48,,00,000
2	गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा का दिया जाना	30,000
	योग ..	1,48,30,000

इसके अतिरिक्त छठी योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु नई मांगों की अनुसूची द्वारा वर्ष 1979–80 के आय–व्ययक में कुल 4,37,03,000 रु0 की व्यवस्था की गई है ।

विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत प्राविधान का विवरण :

(3) अनुदान संख्या 53 लेखा शीर्षक 299 विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र––

ख––सार्वजनिक निर्माण कार्य––

1––निर्माण कार्य (i) सीमावर्ती निर्माण कार्य (ii) भवन शिक्षा

(लाख रु0 में)

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
..	0.040	0.010

पार्वतीय क्षेत्र में स्थित शिक्षा विभाग के भवनों के निर्माण/मरम्मत के कार्यों को पूरा करने हेतु वर्ष 1977–78 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 75,600 रु0 की व्यवस्था थी । चालू वित्तीय वर्ष 1979–80 में इस हेतु 1,000 रु0 की व्यवस्था की गई है ।

(4) अनुदान संख्या 29––लेखा शीर्षक 259–सार्वजनिक निर्माण कार्य––

(2) (निर्माण) अनावासिक भवन–ङ–शिक्षा––

(लाख रु0 में)

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
0.050	0..361	0.360

वर्ष 1978–79 में 36,100 रु0 का प्राविधान किया गया था । वर्ष 1979–80 में 36,000 रु0 का प्राविधान है ।

(5) अनुदान संख्या 43–लेखा शीर्षक 283–आवास भवन–राजकीय आवासीय भवन (i) निर्माण (झ) शिक्षा

(लाख रु0 में)

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
0.198	0.100	..

(8) अनुदान संख्या 77––सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान––अधिष्ठान व्यय का अनुपातिक विवरण–लेखा शीर्षक, 477–शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय––

1977–78 वास्तविक व्यय	1978–79 पुनरीक्षित अनुमान	1979–80 आय–व्ययक अनुमान
रु0	रु0	रु0
3.999	5. 124	13.470

इस शीर्षक के अन्तर्गत शिक्षा विभागीय–निर्माण कार्यों के लिये, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सम्पादित होता है, 11 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय के हेतु आवश्यक प्राविधान किया गया है । वर्ष 1978–79 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 5,98,300 रु0 का प्राविधान था । चालू वित्तीय वर्ष 1979–80 में इसके लिये 13,47,000 रु0 का प्राविधान किया गया है ।

(9) अनुदान संख्या 82--लेखा शीर्षक 459-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-(1) निर्माण अनावासिक भवन (ड) शिक्षा---

(लाख रु0 में)

	1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
	(--)0.167	2.000	4.000

शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु इस शीर्षक में वित्तीय वर्ष 1978-79 में 2,00,000 रु0 का प्राविधान था। वित्तीय वर्ष 1979-80 में 4,00,000 रु0 का प्राविधान है।

(10) अनुदान संख्या 83---सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय भवनों पर पूंजीगत परिव्यय-लेखाशीर्षक 477--शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय (प्राविधिक शिक्षा को छोड़कर)।

(लाख रु0 में)

	1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
	23.634	44. 660	124.190

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित विद्यालय भवनों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1978-779 में इस योजनान्तर्गत 58,92,400 रु0 की व्यवस्था थी। चालू वित्तीय वर्ष 1979-80 में इस योजना के अन्तर्गत 1,244,19,000 रु0 का प्राविधान किया गया है, जिसका वर्गवार विवरण निम्नवत् है :

वर्ग	वर्ष 1979-80 के लिये प्राविधान
	रु0
(1) प्राथमिक शिक्षा (क) भवन	50,000
(2) माध्यमिक शिक्षा (क) भवन	1,19,24,000
(3) विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा (क) भवन..	4,45,000
योग ..	1,24,19,000

(11) अनुदान संख्या 90--लेखा-शीर्षक- 499-विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय- क-- पर्वतीय क्षेत्र का विकास (1) सार्वजनिक निर्माण विभाग (क) भवन--3--शिक्षा :

(लाख रु0 में)

	1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
	131.572	119.030	153.670

(12) अनुदान संख्या 111- ऋण और अग्रिम शिक्षा-लेखाशीर्षक- 677-शिक्षा कला एवं संस्कृति के लिये ऋण- ग सामान्य शिक्षा (प्राविधिक शिक्षा को छोड़कर) : --

(लाख रु0 में)

	1977-78 वास्तविक व्यय	1978-79 पुनरीक्षित अनुमान	1979-80 आय-व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
	54.128	68.000	62.400

इस शीर्षक के अन्तर्गत आयोजनागत आय-व्ययक के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा के लिये 2466 ऋण छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है। यह छात्रवृत्ति 50 रु0 प्रति माह एवं छात्रवासी छात्र को 60 रु0 प्रतिमाह की दर से दी जाती है। यह छात्रवृत्ति हाई स्कूल के पश्चात् उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सुयोग्य प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति के अर्हता हेतु फाइनल परीक्षाओं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा अभिभावकों की आय छः हजार रुपये वार्षिक से कम होना आवश्यक है। छात्र के नौकर हो जाने के एक साल बाद अथवा पढ़ाई छोड़ने के तीन साल के बाद ऋण के रूप में दी गई धनराशि की वसूली आरम्भ होती है। शारीरिक अक्षमता तथा ऋणी की मृत्यु हो जाने के कारणों से ऋण की माफी का भी प्राविधान है। इसके अतिरिक्त ऐसे ऋण छात्र/छात्राओं के दशमांश भाग को माफ करने का भी प्राविधान है, जिन्होंने अध्यापन कार्य अपना लिया है। सबसे अधिक छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होते हैं। इस योजनान्तर्गत बी0 ए0 तथा बी0 एस-सी0 एवं एम0 एस-सी0, बी0 एड0, एम0 बी0 बी0 एस0, एल-एल0 एम0, नेचरल इंजीनियरिंग आदि के विद्यालयों के स्कालर को 75 रु0 प्रतिमास से लेकर 100 रु0 प्रतिमास तक तथा हास्टलरों को 110 रु0 से लेकर 125 रु0 प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति योग्यतानुसार अनुमन्य है। वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिये आय-व्ययक में इसके लिये 76,10,000 रु0 की व्यवस्था की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये इस योजना के अन्तर्गत कुल रु0 62,40000 का प्राविधान है।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No.............................
Date.....................................

पी0 एस0 यू0 पी0—2 शिक्षा—18-5-79—1,800 (मोनो)